फरवरी, 2022

I.S.S.N. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह

ISSN-2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2022 अंक - 2

प्रधान संपादक

कमला कान्त

संपादक

असलम खान

(2022) 1 सि. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website https://bharatkosh.gov.in/product/product

---

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

यदि कोई व्यवसायी अपने उत्पाद को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत कराता है तो क्या वह अपने उत्पाद वर्ग या संवर्ग के विरुद्ध अन्य व्यवसायी के उसी प्रकार के उत्पाद वर्ग या संवर्ग के विरुद्ध व्यापार चिह्न अतिलंघन का आक्षेप कर सकता है । इसी प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने **बिस्वनाथ होजरी मिल्स लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **मिकी मेटल्स लिमिटेड** (2022) 1 सि. नि. प. 157 वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई व्यवसायी अपने उत्पाद को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत कराता है तो उस उत्पाद वर्ग या संवर्ग में जब तक उच्चाधिकारप्राप्त विधिक इकाई का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वह अन्य व्यवसायी के उसी के तत्समान उत्पाद वर्ग या संवर्ग से भिन्न उत्पाद के विरुद्ध इस आधार पर आक्षेप नहीं कर सकता है कि उसके उत्पाद के वर्ग या संवर्ग उसके व्यापार चिह्न का अतिलंघन करते हैं या वह उसके व्यापार चिह्न को चला रहा है ।

यदि कोई हिन्दू व्यक्ति अपनी सहदायिकी संपत्ति की वसीयत अपने कई पुत्र-पुत्रियों में से एक के पक्ष में करता है तो क्या ऐसी वसीयत हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा में मान्य होगी । इसी प्रकार के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने **सोनिया बाई (श्रीमती) और अन्य** बनाम **दशरथ साहू और एक अन्य** (2022) 1 सि. नि. प. 175 वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई हिन्दू व्यक्ति अपनी सहदायिकी सम्पत्ति का वसीयत अपने कई पुत्र-पुत्रियों में से किसी एक के पक्ष में करता है तो ऐसी वसीयत हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा में मान्य नहीं होगा और विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा द्वारा शासित होता है ।

यदि कोई भूमि शासनादेश द्वारा अधिगृहीत की जाती है और उक्त भूमि को संबंधित अधिनियमों में अधिसूचित नहीं किया जाता है तो उक्त भूमि के स्वामी को क्या उपचार उपलब्ध होंगे । इसी प्रकार के

प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **राजेन्द्र कुमार और अन्य** बनाम **नितिन कुमार गोयल और एक अन्य** (2022) 1 सि. नि. प. 206 वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया कि यदि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रश्नगत भूमि संबंधित अधिनियमों में अधिसूचित की गई है तो प्रश्नगत भूमि में स्थित दुकानों के किराए और बेदखली के लिए वाद, सिविल न्यायालय में कायम रखे जा सकते हैं और अपीलार्थी को युक्तियुक्त और विधिसंगत उपचार प्रदान किया जा सकता है ।

इस अंक में, सती (निवारण) अधिनियम, 1987 का हिन्दी पाठ भी प्रकाशित किया जा रहा है जो पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक और अतिमहत्वपूर्ण है जिसका परिशीलन किया जा सकता है । उपर्युक्त निर्णयों के अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय प्रकाशित किए जा रहे हैं जो विधि-विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे ।

कमला कान्त, परामर्शदाता
प्रभारी – उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2022

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. **बनाम** श्रीमती शकुंतला और अन्य	253
खेम सिंह और अन्य **बनाम** श्री भीम सिंह और अन्य	245
गिरिराज शर्मा **बनाम** भारत संघ मार्फत प्रवर्तन निदेशालय	135
बिस्वनाथ होजरी मिल्स लिमिटेड और एक अन्य **बनाम** मिकी मेटल्स लिमिटेड	157
राजेन्द्र कुमार और अन्य **बनाम** नितिन कुमार गोयल और एक अन्य	206
शोभा पाटिल **बनाम** हरिश ग्रोवर और अन्य	223
सुनील कुमार अलेडिया **बनाम** बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और अन्य	220
सेक्यूरिट्रेन्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड **बनाम** श्री मनोज प्रसाद और अन्य	234
सोनिया बाई (श्रीमती) और अन्य **बनाम** दशरथ साहू और एक अन्य	175

संसद् के अधिनियम

सती (निवारण) अधिनियम, 1987 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 - 12

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 482, 378 और 407 [सपठित धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 47 और 65] – असाधारण अधिकारिता – आवेदक के विरुद्ध पहले से ही शिकायत में जांच जारी रहना – आवेदक के विरुद्ध पदीय पद के दुरुपयोग करने का आरोप – आवेदक के विरुद्ध जांच में आवेदक को अभियुक्त नहीं बनाया जाना और 'आगे साक्ष्य प्राप्त' होने के आधार पर पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज करने का आदेश – आक्षेप – यदि संबंधित मामले में जांच अभिकरणों ने विधि की समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना निष्कर्ष निकाले हैं तो ऐसा निष्कर्ष मनमाना, अयुक्तियुक्त और विधि के प्रतिकूल होगा और ऐसे निष्कर्ष के आधार पर आवेदक के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत पोषणीय नहीं होगा जब तक कि मामले में 'अन्य आगे साक्ष्य' प्राप्त होने के आधार पर कार्यवाही अपेक्षित न हो ।

गिरिराज शर्मा बनाम **भारत संघ मार्फत प्रवर्तन निदेशालय** 135

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)

– धारा 173 – यान दुर्घटनाग्रस्त होना – यान में यात्रा कर रहे यात्रियों की मृत्यु कारित होना – यात्रियों की मुफ्त यात्री के रूप में यात्रा करना साबित नहीं होना – चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति होना – प्रतिकर का निर्धारण – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त यान के चालक के पास यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति

पृष्ठ संख्या

थी और उस यान में यात्रा कर रहे व्यक्ति मुफ्त यात्री के रूप में यात्रा नहीं कर रहे थे तो बीमा-कम्पनी ऐसी दुर्घटना में कारित क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगी जिसका निर्धारण संबंधित अधिकरण द्वारा तत्समय लागू विधियों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की अर्जित आय, आयु इत्यादि और परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है ।

इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम **श्रीमती शकुंतला और अन्य** 253

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47)

– धारा 29, 91 और 134 – वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध उसके व्यापार चिह्न के अतिलंघन और उसके व्यापार चिह्न को चला देने के विरुद्ध वाद फाइल करना – वादी द्वारा अपने उत्पाद को प्रतिवादी के उत्पाद के विभिन्न वर्ग या संवर्ग में सिद्ध नहीं करना न ही उत्पाद के संबंध में अपना उच्चाधिकार प्राप्त विधिक इकाई सिद्ध करना – यदि कोई व्यवसायी अपने उत्पाद को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत कराता है तो उस उत्पाद वर्ग या संवर्ग में जब तक उच्चाधिकारप्राप्त विधिक इकाई का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वह अन्य व्यवसायी के उसी के तत्समान उत्पाद वर्ग या संवर्ग से भिन्न उत्पाद के विरुद्ध इस आधार पर आक्षेप नहीं कर सकता है कि उसके उत्पाद के वर्ग या संवर्ग उसके व्यापार चिह्न का अतिलंघन करते हैं या वह उसके व्यापार चिह्न को चला रहा है ।

बिस्वनाथ होजरी मिल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम **मिकी मेटल्स लिमिटेड** 157

पृष्ठ संख्या

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 226 – रिट याचिका – याची के आवेदन पर समुचित सुनवाई किए बिना, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड द्वारा याची का विद्युत कनेक्शन काटने का नोटिस जारी करना – चुनौती – यदि याची की समुचित सुनवाई किए बिना, याची के विद्युत कनेक्शन काटने का नोटिस जाता है तो यह मनमाना और अयुक्तियुक्त होगा – संबंधित प्राधिकारी याची की समुचित सुनवाई करने के पश्चात् ही कोई न्यायसंगत निर्णय ले सकता है ।

सुनील कुमार अलेडिया बनाम **बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और अन्य** 220

– अनुच्छेद 226 [सपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(घ)] – कर्मकार के विरुद्ध विभागीय जांच – जांच के आधार पर कर्मकार की पदच्युति का आदेश – जांच की विधिमान्यता और वैधता को चुनौती – यदि नियोजक द्वारा किसी कर्मकार के विरुद्ध अवचार के लिए विभागीय जांच करवाता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कर्मकार को पदच्युत कर दिया जाता है तो कर्मकार को उक्त विभागीय जांच की विधिमानता और वैधता को चुनौती देने का अधिकार है किन्तु सभी श्रम न्यायालय इस प्रकार के प्रश्न को 'आरम्भिक विवाद्यक' के रूप में विरचित करेंगे और उसके उत्तर के आधार पर ही मामले में आगे कार्यवाही करेंगे ।

सेक्यूरिट्रेन्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड बनाम **श्री मनोज प्रसाद और अन्य** 234

पृष्ठ संख्या

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

– धारा 100 – द्वितीय अपील – पक्षकारों के बीच टैरिस पर रखी पानी की टंकी के स्थान के बारे में विवाद – तथ्य का प्रश्न होना – द्वितीय अपील में ग्राह्य नहीं होना – यदि पक्षकारों के बीच कोई विवाद्यक ऐसी प्रकृति का है कि उसे विधि का सारवान् प्रश्न के रूप में विचारित नहीं किया जा सकता है तो द्वितीय अपील में ऐसे विवाद्यक से संबंधित प्रश्न का विचारण करने हेतु ग्रहण नहीं किया जा सकता है ।

शोभा पाटिल बनाम **हरिश ग्रोवर और अन्य** 223

– धारा 100 और आदेश 2 का नियम 11 [सपठित दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 1 और धारा 50 तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507] – द्वितीय अपील – प्रश्नगत दुकानों के किराए और बेदखली के लिए वाद – वाद कायम रखने को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उक्त प्रश्नगत दुकानों के लिए अनुतोष संबंधित दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अधीन उपलब्ध है क्योंकि प्रश्नगत भूमि को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचित 'शहरी क्षेत्र में' आता है – चुनौती खारिज होना – यदि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रश्नगत भूमि संबंधित अधिनियमों में अधिसूचित की गई है तो प्रश्नगत भूमि में स्थित दुकानों के किराए और बेदखली के लिए वाद, सिविल न्यायालय में कायम रखे जा सकते हैं और अपीलार्थी को युक्तियुक्त और विधिसंगत उपचार प्रदान किया जा सकता है ।

राजेन्द्र कुमार और अन्य बनाम **नितिन कुमार गोयल और एक अन्य** 206

पृष्ठ संख्या

– धारा 100 – द्वितीय अपील – विचारण न्यायालय द्वारा इस संहिता के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन आवेदन का निपटारा किए बिना मामले में निर्णय और डिक्री पारित किया जाना – चुनौती मंजूर होना – यदि विचारण न्यायालय के समक्ष किसी मामले की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन कोई आवेदन दिया जाता है तो विचारण न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वह ऐसे मामले में कोई निर्णय या डिक्री पारित करने के पूर्व उस आवेदन का निपटारा करे अन्यथा उस आवेदन का निपटारा किए बिना मामले में कोई निर्णय या डिक्री पारित करता है तो वह विधि में दूषित और कायम रखे जाने योग्य नहीं होगा ।

खेम सिंह और अन्य बनाम **श्री भीम सिंह और अन्य** 245

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का 30)

– धारा 63 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6] – प्रतिवादी द्वारा अपने जीवन-काल में वसीयत किया जाना – वसीयतकर्ता द्वारा अपने कई पुत्र-पुत्रियों में से सिर्फ एक पुत्र को अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाना – यहां तक कि एक पुत्री जो विधवा है उसको भी वसीयत में सह-भागीदारी नहीं बनाना – वसीयत को चुनौती देना इस आधार पर कि मिताक्षरा विधि में यह प्रावधान है कि वसीयतकर्ता से जन्मे सभी पुत्र-पुत्रियों का उसकी संपत्ति में समान अधिकार

पृष्ठ संख्या

होगा – यदि कोई हिन्दू व्यक्ति अपनी सहदायिकी सम्पत्ति का वसीयत अपने कई पुत्र-पुत्रियों में से किसी एक के पक्ष में करता है तो ऐसी वसीयत हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा में मान्य नहीं होगी और विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा द्वारा शासित होता है ।

सोनिया बाई (श्रीमती) और अन्य बनाम **दशरथ साहू और एक अन्य** 175

गिरिराज शर्मा

बनाम

भारत संघ मार्फत प्रवर्तन निदेशालय

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482/378/407 के अधीन 2021 की वाद संख्या 4050)

तारीख 2 नवंबर, 2021

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482, 378 और 407 [सपठित धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 47 और 65] – असाधारण अधिकारिता – आवेदक के विरुद्ध पहले से ही शिकायत में जांच जारी रहना – आवेदक के विरुद्ध पदीय पद के दुरुपयोग करने का आरोप – आवेदक के विरुद्ध जांच में आवेदक को अभियुक्त नहीं बनाया जाना और 'आगे साक्ष्य प्राप्त' होने के आधार पर पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज करने का आदेश – आक्षेप – यदि संबंधित मामले में जांच अभिकरणों ने विधि की समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना निष्कर्ष निकाले हैं तो ऐसा निष्कर्ष मनमाना, अयुक्तियुक्त और विधि के प्रतिकूल होगा और ऐसे निष्कर्ष के आधार पर आवेदक के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत पोषणीय नहीं होगा जब तक कि मामले में 'अन्य आगे साक्ष्य' प्राप्त होने के आधार पर कार्यवाही अपेक्षित न हो ।

वर्तमान मामले में, स्वीकृति की पहली तारीख पर, इस न्यायालय ने तारीख 23 अक्तूबर, 2021 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री प्रांजल कृष्णा और विरोधी पक्षकारों के विद्वान् भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल श्री एस. बी. पांडे और विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल के साथ विद्वान् सहायक केंद्रीय सरकार के स्थायी काउंसेल श्री शिव पी. शुक्ला को सुना गया । इस आवेदन के

माध्यम से, आवेदक ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है – "इसलिए, माननीय न्यायालय से यह विनम्रतापूर्वक अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह ई.सी.-आई.आर./09/धन-शोधन निवारण अधिनियम/एलजेडओ/2013 से उत्पन्न धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के अधीन दांडिक मामला संख्या 1154/2021 (प्रवर्तन निदेशालय, लखनऊ बनाम गिरिराज शर्मा) में आवेदक के अभियोजन को रद्द करने की कृपा करें, जो विद्वान् विशेष न्यायालय (धन-शोधन निवारण अधिनियम), लखनऊ के समक्ष लंबित है जिसमें पूरक अभियोजन शिकायत तारीख 29 जून, 2020 और संज्ञान आदेश तारीख 11 अगस्त, 2021 शामिल है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके ।" आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी है कि वर्तमान मामला इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि आवेदक पर इस मामले में झूठा वाद चलाया जा रहा है, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए तारीख 29 जून, 2020 (ई.डी.) की पूरक अभियोजन शिकायत पर विशेष न्यायाधीश आवेदक के विरुद्ध संज्ञान लेकर ने विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है । इसलिए, वह विनम्रतापूर्वक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के असाधारण अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रार्थना कर रहा है । न्यायालय द्वारा आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, आक्षेपित पूरक अभियोजन शिकायत की अनुप्रमाणिकता या वैधता की जांच करने के लिए, इस न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या पूरक अभियोजन शिकायत किसी 'आगे के साक्ष्य' के आधार पर फाइल की गई है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, अभियोजन पक्षकार ने 'अतिरिक्त साक्ष्य' पर विचार नहीं किया है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के कथनों पर विचार किया है, जो अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अधीन अभिलिखित किए गए हैं, उस तारीख से पहले जब पहली शिकायत तारीख 30 जून, 2018 को अभिलिखित की गई थी । तारीख 2015 से तारीख 29 जून, 2018 तक अभिलिखित किए गए विभिन्न व्यक्तियों के कथनों के आधार पर तारीख 30 जून, 2018 को फाइल की गई मूल शिकायत में आवेदक को

अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया है, इस बारे में विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि ई.डी. को पहले कथनों के आधार पर भी आवेदक पर वाद चलाने की पर्याप्त शक्ति मिली है । मूल शिकायत अभिलिखित करने के बाद प्राप्त किए गए 'आगे के साक्ष्य' के बारे में प्रश्न पर, विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को उस बिंदु पर कोई विशिष्ट निर्देश नहीं मिले हैं । विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल से यह भी पूछे जाने पर कि क्या पूरक अभियोजन शिकायत में आवेदक के विरुद्ध धन-शोधन का कोई विशिष्ट आरोप लगाया गया है जिससे कि अधिनियम, 2002 की धारा 3 के प्रावधान लागू किया जा सके, श्री शिव पी. शुक्ला ने दलील दी है कि चूंकि आवेदक, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों की सत्यता और इस संबंध में आवश्यक अभिलेख के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी था और वह अनुबंध प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार था, वह ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए, उसने अपने पदीय पद का दुरुपयोग किया और उसने कपटपूर्ण तरीके से संबंधित रजिस्टरों में सीमेंट, बिटमेन और रेक्रॉन के जाली बिलों की प्रविष्टियां तैयार की, इसलिए, वह भी उत्तरदायी है । इसलिए, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि क्या प्रविष्टियों और बिलों को सत्यापित करने में समुचित ध्यान और सावधानी नहीं बरतते हुए उसके पदीय पद का दुरुपयोग करने का आरोप, अधिनियम, 2002 के अधीन एक अपराध के रूप में माना जाएगा, शपथपत्रों के आदान-प्रदान के बाद विचार किया जा सकता है । मैंने उपाबंध संख्या 2 से एक और बात पर ध्यान दिया है, जो तारीख 30 अक्तूबर, 2013 को सी.बी.आई. के विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष सी.बी.आई. द्वारा फाइल एक आरोप पत्र है, जो वर्तमान आवेदक की सदोषिता को इंगित करता है । इसका प्रासंगिक भाग आवेदन के पृष्ठ 58 पर है जिसमें आवेदक को लोक सेवक के रूप में अपने पदीय पद का दुरुपयोग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है और यह आरोप भी ठेकेदार श्री बी. आर. अरोड़ा से अवैध लाभ स्वीकार करने से संबंधित है । आवेदक के विरुद्ध आक्षेपित पूरक अभियोजन शिकायत में वही आरोप लगाया गया है जैसाकि सी.बी.आई. ने लगाया है । आवेदन के पृष्ठ 133 पर, ई.डी. द्वारा जांच के निष्कर्ष में भी शाब्दिक रूप से संकेत दिया गया है उसी भाषा को वही आरोप लगाए गए है जो सी.बी.आई. द्वारा लगाए गए हैं । यदि यह ई.डी. द्वारा एक स्वतंत्र जांच थी, तो निष्कर्ष और परिशीलन को अलग तरीके से

रखा जाना चाहिए या कम से कम सी.बी.आई. के आरोप पत्र की भाषा की नकल नहीं की जानी चाहिए थी । प्रथमदृष्ट्या, ऐसा प्रतीत होता है कि ई.डी. ने सी.बी.आई. के आरोप पत्र के प्रासंगिक भाग में कटौती की है, इसकी प्रतिलिपि बनाई है और इसे अपनी पूरक अभियोजन शिकायत में चिपकाया है, जिसकी सराहना नहीं की जा सकती है । इसके अलावा, यदि ई.डी. सी.बी.आई. के आरोप पत्र के उसी आरोप पर विश्वास कर रहा था जो तारीख 30 अक्तूबर, 2013 को फाइल किया गया था, तो आवेदक को मूल शिकायत में आरोपी बनाया जाना चाहिए था जो तारीख 30 जून, 2018 को फाइल किया गया था । इसलिए, प्रथमदृष्ट्या, यह प्रतीत होता है कि विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और तथ्यों और घटनाओं की उपरोक्त श्रृंखला का उचित स्पष्टीकरण दिए बिना, आवेदक के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत फाइल की गई है । चूंकि, आक्षेपित अनुपूरक अभियोजन शिकायत, ई.डी. की विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष फाइल की गई थी, इसलिए, उपरोक्त अनुपूरक अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले अधिनियम, 2002 की धारा 44(1)(ii) के प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए था । विद्वान् विचारण न्यायालय को अभियोजन पक्षकार से यह पूछना चाहिए कि वर्तमान मामले में आवेदक पर वाद चलाने के लिए पहले अभियोजन शिकायत फाइल करने के बाद क्या 'अतिरिक्त साक्ष्य', मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किया गया है क्योंकि आगे की जांच केवल अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई 'आगे साक्ष्य', मौखिक या दस्तावेजी लाने के लिए की जा सकती है । वर्तमान मामले में, ई.डी. की विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 11 अगस्त, 2021 (उपाबंध संख्या 6) के आक्षेपित आदेश के माध्यम से दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत के विरुद्ध संज्ञान लिया है और प्रासंगिक तथ्यात्मक और विधिक पहलुओं पर ध्यान दिए बिना आवेदक के विरुद्ध समन जारी किया है । (पैरा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2024] 2024 की अपील (दा.) सं. 8499 की विशेष इजाजत से उद्भूत 2019 की दांडिक अपील सं. 1852 : **न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.** बनाम **कृष्णा कुमार** ; 5, 10

[2016] (2016) 16 एस. सी. सी. 30 :
प्रभु चावला बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** ; 6, 11

[2011] 2011 का सी.आर.एल.एम.सी. संख्या 114 (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 482 के अधीन आवेदन) :
श्रीमती जनता झा और अन्य बनाम **सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार और अन्य** ; 8, 9

[1998] (1998) 5 एस. सी. सी. 749 :
पेप्सी फूड्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम **विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य** । 27

असाधारण अधिकारिता : दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482/378/407 के अधीन 2021 की वाद संख्या 4050.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री प्रांजल कृष्णा

प्रत्यर्थी की ओर से सहायक महासालिसिटर

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान – आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री प्रांजल कृष्णा और विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल श्री शिव पी. शुक्ला को सुना ।

2. स्वीकृति की पहली तारीख पर, इस न्यायालय ने तारीख 23 अक्तूबर, 2021 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है :–

> "आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री प्रांजल कृष्णा और विरोधी पक्षकारों के विद्वान् भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल श्री एस. बी. पांडे और विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल के साथ विद्वान् सहायक केंद्रीय सरकार के स्थायी काउंसेल श्री शिव पी. शुक्ला को सुना गया ।
>
> इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है –

"इसलिए, माननीय न्यायालय से यह विनम्रतापूर्वक अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह ई.सी. आई.आर./09/धन-शोधन निवारण अधिनियम/एलजेडओ/2013 से उत्पन्न धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के अधीन दांडिक मामला संख्या 1154/2021 (प्रवर्तन निदेशालय, लखनऊ बनाम गिरिराज शर्मा) में आवेदक के अभियोजन को रद्द करने की कृपा करें, जो विद्वान् विशेष न्यायालय (धन-शोधन निवारण अधिनियम), लखनऊ के समक्ष लंबित है जिसमें पूरक अभियोजन शिकायत तारीख 29 जून, 2020 और संज्ञान आदेश तारीख 11 अगस्त, 2021 शामिल है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके ।"

आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी है कि वर्तमान मामला इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि आवेदक पर इस मामले में झूठा वाद चलाया जा रहा है, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए तारीख 29 जून, 2020 (ई.डी.) की पूरक अभियोजन शिकायत पर विशेष न्यायाधीश ने आवेदक के विरुद्ध संज्ञान लेकर विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है । इसलिए, वह विनम्रतापूर्वक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए प्रार्थना कर रहा है ।

आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री प्रांजल कृष्णा ने इस न्यायालय का ध्यान आवेदन के पृष्ठ 58 की ओर आकर्षित किया है, जो आरोप पत्र का हिस्सा है जो कि तारीख 13 अक्तूबर, 2013 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आरोप पत्र में वर्तमान आवेदन से संबंधित प्रासंगिक भाग है और उसके बाद ई.डी. द्वारा फाइल शिकायत की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें आवेदक के पृष्ठ 133 पर ध्यान देने की मांग की गई, जिसमें आरोपी की भूमिका है । वर्तमान आवेदक निरंक है और अन्वेषण का निष्कर्ष शब्दशः वैसा ही है जैसा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का है ।

श्री प्रांजल कृष्णा ने दलील दी है कि यदि ई.डी. अन्वेषण के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंची है, यदि कोई हो, तो ई.डी. के निष्कर्ष को स्वतंत्र निष्कर्ष के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन ई.डी. ने विवेक का प्रयोग किए बिना उसी सी.बी.आई. के निष्कर्ष को ही केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निष्कर्ष रूप में वर्णित किया है ।

श्री प्रांजल कृष्णा ने यह भी दलील दी है कि पूरक शिकायत सरासर, अवैध और अनुचित तरीके से फाइल की गई, जबकि अधिनियम, 2002 की धारा 44(1) के स्पष्टीकरण संख्या 2 का उपयोग करते हुए ऐसी पूरक शिकायत अभिलिखित नहीं की जा सकती थी ।

इसके विपरीत, विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल ने इस आवेदन की विचारणीयता के संबंध में, प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा है कि अधिनियम, 2002 की धारा 47 के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन फाइल करने के बजाय, आवेदक को पुनरीक्षण आवेदन फाइल करना चाहिए था ।

हालांकि, उस आपत्ति पर, आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री प्रांजल कृष्णा ने हरियाणा राज्य और अन्य **बनाम** भजन लाल और अन्य (1992) 1 एस. सी. सी. 335 और पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य **बनाम** विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य ने (1998) 5 एस. सी. सी. 749 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए यह कथन कि यह आवेदन अच्छी तरह से पोषणीय है ।

चूंकि विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल ने आवेदक के विद्वान् काउंसेल की पूर्वोक्त कानूनी निवेदन का उल्लेख करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ समय देने की प्रार्थना की है, इसलिए, बनाने के लिए इस मामले को अतिरिक्त वाद सूची में नए सिरे से तारीख 27 सितंबर, 2021 को सूचीबद्ध किया जाता है ताकि विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को पोषणीयता के बिंदु पर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने में समर्थ हो सकें ।

आवेदक के विद्वान् काउंसेल भी अगली तारीख पर पोषणीयता के बिंदु पर तैयार होकर आएंगे ।"

3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन फाइल वर्तमान आवेदन की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति का जवाब देते हुए, श्री प्रांजल कृष्णा ने इस न्यायालय का ध्यान धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 47 (इसके बाद इसे अधिनियम, 2002 कहा जाएगा) की ओर आकर्षित किया है, जो इस प्रकार है :–

> "47. **अपील और पुनरीक्षण** – उच्च न्यायालय, जहां तक लागू हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय XXIX या अध्याय XXX द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग, उच्च न्यायालय के भीतर एक विशेष न्यायालय के रूप में कर सकता है । उच्च न्यायलय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों की सुनवाई करने वाला एक सत्र न्यायालय था ।"

4. श्री प्रांजल कृष्णा ने दलील दी है कि अधिनियम, 2002 की धारा 47 के अधीन, उच्च न्यायालय को अपील और पुनरीक्षण की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है । 'हो सकता है' शब्द का उपयोग इस अर्थ में किया गया है कि वे अधिनियम, 2002 की धारा 65 के अतिरिक्त औऱ पूरक है, जो अधिनियम, 2002 के अधीन लाए गए मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में बात करता है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के उपबंध शामिल है । इस आवेदन के अलावा, आवेदक ने न केवल तारीख 11 अगस्त, 2021 के संज्ञान आदेश को आक्षेपित किया है, बल्कि तारीख 29 जून, 2020 की पूरक परिवाद शिकायत को भी रद्द करने की प्रार्थना की है । पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन संज्ञान आदेश को चुनौती दी जा सकती है लेकिन पूरक अभियोजन शिकायत को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह पुनरीक्षण के दायरे से बाहर है । हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकारिता के अधीन संज्ञान आदेश के साथ-साथ पूरक अभियोजन शिकायत दोनों को चुनौती दी जा सकती है । इसलिए, दी

गई परिस्थितियों में, वर्तमान आवेदक को धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन आवेदन फाइल करने के बजाय दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

5. अपनी पूर्वोक्त दलीलों के समर्थन में, श्री प्रांजल कृष्णा ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.** बनाम **कृष्णा कुमार**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को उद्धृत किया है, जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नलिखित यह मत व्यक्त किया, जो इस प्रकार है :–

> "8. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के अधीन उच्च न्यायालय (या सत्र न्यायालय) के पुनरीक्षण अधिकारिता का दायरा किसी अवर न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की सत्यता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने की सीमा तक सीमित है । पुनरीक्षण न्यायालय किसी अवर न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही की नियमितता को देखने का हकदार है । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में दोहराया गया, इस पुनरीक्षण शक्ति का उद्देश्य पेटेंट दोष या अधिकारिता क्षेत्र या विधिक त्रुटि को ठीक करना है ।"

6. श्री प्रांजल कृष्णा ने **प्रभु चावला** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[2] वाले मामले के पैरा 4, 5, 6, 7 और 8 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया है, जो इस प्रकार है :–

> "4. श्री पी. के. गोस्वामी अपीलार्थियों के वरिष्ठ काउंसेल धारीवाल ने **टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया । उन्होंने इंगित किया कि न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा इस फैसले के पैरा 6 में इस न्यायालय के कई पहले के फैसलों का उल्लेख किया है, जिसमें आर. पी. कपूर **बनाम** पंजाब राज्य और सोम मित्तल

---

[1] 2024 की अपील (दा.) सं. 8499 की विशेष इजाजत से उद्भूत 2019 की दांडिक अपील सं. 1852.

[2] (2016) 16 एस. सी. सी. 30.

बनाम कर्नाटक सरकार के फैसले शामिल हैं । (धारीवाल मामला, एस. सी. सी. पृष्ठ. 372)

> 6..... मात्र इस कारण कि पुनरीक्षण आवेदन विचारणीय है, यह अपने आप में, संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन को ग्रहण करने के लिए वर्जित नहीं करता है ।

5. श्री गोस्वामी ने राज कपूर और अन्य **बनाम** राज्य और अन्य के मामले में, खण्ड न्यायपीठ में माननीय न्यायाधीश कृष्णा अय्यर, के निर्णय का जोरदार अवलंब लिया । मधु लिमये **बनाम** महाराष्ट्र राज्य के मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णय का अवलंब लेते हुए और वहां से उद्धृत करते हुए, माननीय न्यायाधीश कृष्णा अय्यर, ने अपनी अनूठी शैली में पैरा 10 में विधि को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जो इस प्रकार है –

> "10. पहला प्रश्न यह है कि क्या धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण शक्ति के परस्पर व्याप्त होने पर विफल हो जाती है । धारा 482 के प्रारंभिक शब्द इस विवाद का खंडन करते हैं क्योंकि संहिता की कोई भी बात, यहां तक कि धारा 397 भी, धारा 482 की भाषा द्वारा इतने शब्दों में संरक्षित अंतर्निहित शक्ति के आयाम को प्रभावित नहीं कर सकती है । फिर भी, एक सामान्य सिद्धांत विधि की इस शाखा में व्याप्त है जब एक विशिष्ट उपबंध किया जाता हैः बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर अंतर्निहित शक्ति का आसान सहारा लेना सही नहीं है । ऐसा नहीं है कि अधिकारिता का अभाव है, लेकिन उस अंतर्निहित शक्ति को उसी संहिता के अधीन विशिष्ट शक्ति के लिए अलग किए गए क्षेत्रों पर आक्षेपित नहीं करना चाहिए । मधु लिमये **बनाम** महाराष्ट्र राज्य में, इस न्यायालय ने व्यापक रूप से और यदि मैं बड़े सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूं, तो त्रुटि से परे विधि पर सही चर्चा और चित्रण किया है । हालांकि यह सच है कि धारा 482 व्यापक है, लेकिन, यह उसी संहिता में लिखे गए कानूनी

अंतर्विरोधों को खत्म नहीं करता है, उदाहरण के लिए, धारा 397(2) में । दोनों प्रावधानों और एक सुखद समाधान के बीच कुछ स्थितियों में प्रकट विरोधाभास उत्पन्न हो सकता हैं ।

यह कहा जा सकेगा कि उपधारा (2) धारा 397 में उपबंधित वर्जन, केवल उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में लागू होती है, जिसका अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय के पास किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की कोई शक्ति नहीं होगी । उसके बाद, ऊपर वर्णित एक या अन्य सिद्धांतों के अनुसार, अंतर्निहित शक्ति लागू होगी, तब जब संहिता में पीड़ित पक्षकार की शिकायत के निवारण के लिए कोई अन्य उपबंध नहीं है । किन्तु, उसके बाद, यदि आक्षेपित आदेश शुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती प्रकृति का है जिसे 1898 की संहिता के अधीन उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में ठीक किया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर देगा । लेकिन यदि आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से ऐसी परिस्थिति लाता है जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना बिल्कुल आवश्यक है, तो धारा 397 (2) में निहित कोई भी चीज, उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को सीमित या प्रभावित नहीं कर सकता है । लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होंगे । उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से करना चाहिए । उन मामलों में जहां अवैध रूप से, तंग करने वाली या अधिकारिता के बिना दांडिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है वहां उन्हें को रद्द करने की वांछनीयता होगी । (एस.सी.सी. पी.पी. 555-56, पैरा 10)

संक्षेप में, उन मामलों में, अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है जहां न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या अन्य असाधारण स्थिति होती है, न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग

कर सकता है । परिसीमा स्वयं निर्बंधित है, इससे अधिक कुछ नहीं । विधि की नीति स्पष्ट है कि शुद्ध और साधारण अंतर्वर्ती आदेशों को उच्च न्यायालय ले जाया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी और विलम्ब होता है । दूसरी ओर ऐसे अंतिम आदेश पर स्पष्ट रूप से अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए न की न्यायालय के समक्ष आमुख पर ही घोर अन्याय हो । इस दुविधा के बीच में, न्यायमूर्ति उन्तवालिया ने उदाहरण के लिए बताया है, कि जहां यह शुद्ध रूप से अंतर्वर्ती आदेश से अधिक है और अंतिम निपटारे से कम है । वर्तमान मामला उस संवर्ग के अंतर्गत आता है जहां अभियुक्त न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा उत्पीड़न की शिकायत करता है । क्या हम कह सकते हैं कि इस तीसरे संवर्ग अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है ? उन्तवालिया के शब्दों में – (एस. सी. सी. पृष्ठ 556, पैरा 10)

> '10.... उत्तर सुस्पष्ट है कि न्यायालय, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने और/या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करता है । पीड़ित पक्षकार द्वारा फाइल आवेदन का स्तर अतात्विक है । उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अधीन समुचित रूप से मामले की परीक्षा कर सकता है । वर्तमान मामला, निस्संदेह 1973 की संहिता की धारा 482 के अनुसरण में, उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के अन्तर्गत आता है, यह उपधारणा करते हुए कि यद्यपि यह स्वीकार नहीं करते हुए कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का अवलम्ब लेना अननुज्ञेय है ।'

इसलिए, मेरे विवेक में स्पष्ट है कि हमारे समक्ष स्थिति मामले में, अंतर्निहित शक्ति खण्डनीय नहीं है । दोनों पक्षकारों के काउंसेल, विधि के प्रति हमारी संवेदनशील ढंग से प्रत्युत्तर देते हुए, सही ही सहमत हुए कि समाप्ति के अधीन आदेश की एक प्रतिलिपि औपचारिक रूप से फाइल करने पर हठधर्मी निवेदन को

इस न्यायालय द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । हमारा निष्कर्ष दोनों पक्षकारों के काउंसेल की इस रियायत से सहमत है कि मात्र इस कारण से कि आदेश की प्रति इस न्यायालय के अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, बावजूद इसके कि यह न्यायालय के अभिलेख पर मौजूद है । मेरे लिए यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं कि सम्पूर्ण पुनरीक्षण शक्ति विफल हो गई है और अंतर्निहित शक्ति कमजोर हो गई है ।

'6. हमारे सुविचारित विचार में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति से संबंधित मुद्दे के संबंध में विधि की व्याख्या करने का कोई भी प्रयास अनुचित है । हम केवल यह दोहराते हैं कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता एक सर्वोपरि खंड के साथ शुरू होती है, जिसमें कहा गया है –

"482. **उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति** – इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवृत्त करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ।

दुर्भाग्य से, इस तरह के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है, न्यायाधीश कृष्णा अय्यर के शब्दों में ।

'न्यायालय की प्रक्रिया या अन्य असाधारण स्थिति का दुरुपयोग न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को उत्तेजित करता है । सीमा आत्मसंयम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं ।'

हम समर्थन में एक और कारण भी जोड़ सकते हैं । चूंकि दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 397 अंतर्वर्ती के अलावा अन्य सभी आदेशों के विरुद्ध लागू होती है, इसलिए, एक विपरीत मत यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों की उपलब्धता मात्र लघु अंतर्वर्ती आदेशों तक सीमित कर देगी ऐसी परिस्थिति पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है ।

7. अगली कड़ी के रूप में, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश हैं कि खंड न्यायपीठ, मोहित **उर्फ** सोनू के मामले में और एक अन्य वाले मामले में, विशेष रूप से पैरा 28 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के संबंध में विधि को सही ढंग से कथन नहीं करती है । हम अपनी आदरपूर्वक असहमति अभिलिखित करते हैं ।

8. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश को **धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड** (उपरोक्त) और अन्य पूर्ववर्ती मामलों में अधिकथित विधि, जिनका हवाला दिया गया था, किन्तु तारीख 5 फरवरी, 2009 को एक अन्य विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा 2006 की एस. बी. दांडिक प्रकीर्ण याचिका संख्या 289 संजय भण्डारी वाले मामले में पारित उस न्यायालय के निर्णय में वरीयता देने में गलत तौर से अवहेलना की जो 2009 की विशेष इजाजत याचिका संख्या 4744 से उद्भूत संबंधित दांडिक अपील में अपेक्षित है, के फैसले को प्राथमिकता देते हुए उन्हें गलत तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था । परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें मंजूर की जाती है, वरियतः प्रभु चावला द्वारा और दूसरी जगदीश उपासने और अन्य वाला मामला । राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 2 अप्रैल, 2009 को पारित आक्षेपित सामान्य आदेश को अपास्त किया जाता है और मामलों को ऊपरवर्णित विधि के आलोक में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदनों की नए सिरे से सुनवाई और विधि के अनुसरण में निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है । चूंकि, मामले लंबे समय से लंबित हैं, इसलिए, उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह

अधिकतम छह माह के भीतर मामलों की तेजी से सुनवाई करें और निर्णय ले ।"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, श्री प्रांजल कृष्णा ने यह दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल वर्तमान आवेदन विचारणीय है ।

8. इसके विपरीत, विपक्षी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल श्री शिव पी. शुक्ला ने **श्रीमती जनता झा और अन्य** बनाम **सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार और अन्य**[1] वाले मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के तारीख 16 दिसंबर, 2013 के निर्णय को उद्धृत करते हुए यह दलील दी है कि एक आवेदन के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई थी, उसी अधिनियम अर्थात् अधिनियम, 2002 के अधीन फाइल आवेदन को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए खारिज कर दिया था कि यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उपलब्ध अंतर्निहत शक्ति का उपयोग, धन-शोधन निवारण अधिनियम के अधीन आरम्भ की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है या नहीं, यह खुला छोड़ा जाता है ।

9. विचारणीयत के मुद्दे पर पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद, मैंने पाया कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पुनः **श्रीमती जनता झा और एक अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदक विचारणीय नहीं है क्योंकि उस आवेदन के आवेदक ने पुनरीक्षण उपचार का लाभ नहीं उठाया है, उसके बजाय यह मत व्यक्त किया है कि अधिनियम, 2002 के अधीन आरम्भ की गई कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय इस बात की परीक्षा कर सकता है कि क्या अंतर्निहित शक्तियों का अवलम्ब लिया गया है या नहीं ।

10. दूसरी ओर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में, स्पष्ट रूप से यह

---

[1] (2011) की सी.आर.एल.एम.सी. संख्या 114 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन).

अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता का दायरा किसी निम्न न्यायालय द्वारा पारित किसी निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की सत्यता, वैधता या औचित्य का समाधान करने की सीमा तक सीमित है । पुनरीक्षण शक्ति का उद्देश्य मौलिक दोष या अधिकारिता या विधि की त्रुटि को ठीक करना है ।

11. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः **प्रभु चावला** (उपरोक्त) में मत व्यक्त किया है कि अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है जहां न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या अन्य असाधारण स्थिति न्यायालय के अधिकारिता उद्भूत करती है । विधि की नीति स्पष्ट है कि अंतर्वर्ती आदेश को शुद्ध और सरल रूप से न्यायालय में नहीं ले जाया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी और विलम्ब होती है ।

12. इसलिए, आवेदन में की गई प्रार्थनाओं को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन निहित इस न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता को लागू किया जा सकता है और इसलिए, वर्तमान आवेदन विचारणीय है ।

13 जहां तक अंतरिम अनुतोष के लिए न्यायालय की प्रथमदृष्ट्या समाधान का संबंध है, मैं तारीख 30 जून, 2018 को प्रर्वतन निदेशालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ई.डी." कहा गया है) द्वारा फाइल एक अभियोजन शिकायत संख्या ई.सी.आई.आर./09/पी.एम.एल.ए./एल.जेडओ/ 2013 आवेदन के उपाबंध संख्या 4 को निर्दिष्ट करूंगा । इसके बाद, मैं तारीख 29 जून, 2020 को फाइल की गई आक्षेपित शिकायत आवेदन के उपाबंध संख्या 5, जो कि एक पूरक अभियोजन परिवाद है, को निर्दिष्ट करूंगा ।

14. यह स्वीकृत है कि वर्तमान आवेदक तारीख 30 जून, 2018 को फाइल अभियोजन शिकायत में अभियुक्त नहीं था । हालांकि, पूरक अभियोजन शिकायत में, जो तारीख 29 जून, 2020 को फाइल की गई थी, वर्तमान आवेदक को अभियुक्त बनाया गया था ।

15. आवेदक के काउंसेल श्री प्रांजल कृष्णा ने अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अधीन अभिलिखित विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न कथनों की ओर, इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जिसके अनुसार, आवेदक के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत फाइल की गई है । उन व्यक्तियों के नाम और तारीखों को इंगित करना उपयुक्त होगा जब कथन अभिलिखित किए गए थे :–

(क) तारीख 25 अक्तूबर, 2016 का श्री प्रभात चंद गोपालन का कथन,

(ख) तारीख 18 नवंबर, 2016 का वर्तमान आवेदक (गिरिराज शर्मा) का कथन,

(ग) तारीख 13 जनवरी, 2015 और तारीख 18 अक्तूबर, 2016 का श्री दिलीप कुमार का कथन,

(घ) तारीख 9 जनवरी, 2015 और तारीख 25 अक्तूबर, 2016 का श्री जोनस लाल मरांडी का कथन,

(ङ) तारीख 16 सितंबर, 2016, तारीख 9 नवंबर, 2016 और तारीख 10 नवंबर, 2016 का श्री धीरेंद्र सिंह का कथन,

(च) तारीख 21 सितंबर, 2016 का श्री भूपेन्द्र सिंह का कथन,

(छ) तारीख 27 अक्तूबर, 2016 का श्री राकेश कुमार गुप्ता का कथन,

(ज) तारीख 23 जनवरी, 2015, तारीख 19 अक्तूबर, 2016 और तारीख 21 नवंबर, 2017 का श्री बी. आर. अरोड़ा का कथन,

(झ) तारीख 29 जून, 2018 का श्री ए. सी. श्रीवास्तव का कथन,

(ञ) तारीख 29 जून, 2018 का श्री एच. सी. पंत का कथन ।

इनके सावधानीपूर्वक परिशीलन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उपरोक्त व्यक्तियों के सभी उपरोक्त कथन, अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अधीन तारीख 30 जून, 2018 से पहले अर्थात् विद्वान् विचारण

न्यायालय के समक्ष अभियोजन परिवाद फाइल करने की तिथि से पहले अभिलिखित किए गए थे ।

16. अधिनियम, 2002 की धारा 44 (1) के स्पष्टीकरण (ii) को निर्दिष्ट करना विपरीत होगा क्योंकि पूरक अभियोजन शिकायत ई.डी. द्वारा विधि के उपरोक्त प्रावधानों के अधीन फाइल की जा सकती थी :–

> "44. **विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध** – (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्वलित भी किसी बात के होते हुए –
>
> (iii) शिकायत में आगे की जांच के संबंध में कोई भी बाद की शिकायत शामिल समझी जाएगी, जो अपराध के संबंध में शामिल किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई और सबूत, मौखिक या दस्तावेजी लाने के लिए संचालित की जा सकती है, जिसके लिए शिकायत पहले ही अभिलिखित की जा चुकी है, चाहे मूल शिकायत में इसका नाम हो या नही ।"

17. विधि के उपरोक्त उपबंध के अनुसार, अन्वेषण अनुज्ञेय अनुमति है, किन्तु यह अपराध के संबंध में शामिल किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी 'आगे का साक्ष्य', मौखिक या दस्तावेजी लाने के लिए संचालित किया जा सकता है, जिसके लिए शिकायत पहले ही फाइल की जा चुकी है, चाहे उसका नाम मूल शिकायत में हो या नहीं ।

18. वर्तमान मामले में, आक्षेपित पूरक अभियोजन शिकायत की अनुप्रमाणिकता या वैधता की जांच करने के लिए, इस न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या पूरक अभियोजन शिकायत किसी 'आगे के साक्ष्य' के आधार पर फाइल की गई है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, अभियोजन पक्षकार ने 'अतिरिक्त साक्ष्य' पर विचार नहीं किया है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के कथनों पर विचार किया है, जो अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अधीन अभिलिखित किए गए हैं, उस तारीख से पहले जब पहली शिकायत तारीख 30 जून, 2018 को अभिलिखित की गई थी ।

19. तारीख 2015 से तारीख 29 जून, 2018 तक अभिलिखित

किए गए विभिन्न व्यक्तियों के कथनों के आधार पर तारीख 30 जून, 2018 को फाइल की गई मूल शिकायत में आवेदक को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया है, इस बारे में विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि ई.डी. को पहले कथनों के आधार पर भी आवेदक पर वाद चलाने की पर्याप्त शक्ति मिली है । मूल शिकायत अभिलिखित करने के बाद प्राप्त किए गए 'आगे के साक्ष्य' के बारे में प्रश्न पर, विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को उस बिंदु पर कोई विशिष्ट निर्देश नहीं मिले हैं ।

20. विरोधी पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल से यह भी पूछे जाने पर कि क्या पूरक अभियोजन शिकायत में आवेदक के विरुद्ध धन-शोधन का कोई विशिष्ट आरोप लगाया गया है जिससे कि अधिनियम, 2002 की धारा 3 के प्रावधान लागू किया जा सके, श्री शिव पी. शुक्ला ने दलील दी है कि चूंकि आवेदक, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों की सत्यता और इस संबंध में आवश्यक अभिलेख के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी था और वह अनुबंध प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार था, वह ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए, उसने अपने पदीय पद का दुरुपयोग किया और उसने कपटपूर्ण तरीके से संबंधित रजिस्टरों में सीमेंट, बिटमेन और रेक्रॉन के जाली बिलों की प्रविष्टियां तैयार की, इसलिए, वह भी उत्तरदायी है ।

21. इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह सुविचारित राय है कि क्या प्रविष्टियों और बिलों को सत्यापित करने में समुचित ध्यान और सावधानी नहीं बरतते हुए उसके पदीय पद का दुरुपयोग करने का आरोप, अधिनियम, 2002 के अधीन एक अपराध के रूप में माना जाएगा, शपथपत्रों के आदान-प्रदान के बाद विचार किया जा सकता है ।

22. मैंने उपाबंध संख्या 2 से एक और बात पर ध्यान दिया है, जो तारीख 30 अक्तूबर, 2013 को सी.बी.आई. के विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष सी.बी.आई. द्वारा फाइल एक आरोप पत्र है, जो वर्तमान आवेदक की सदोषिता को इंगित करता है । इसका प्रासंगिक भाग आवेदन के पृष्ठ 58 पर है जिसमें आवेदक को लोक सेवक के रूप में अपने पदीय पद का दुरुपयोग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया

है और यह आरोप भी ठेकेदार श्री बी. आर. अरोड़ा से अवैध लाभ स्वीकार करने से संबंधित है ।

23. आवेदक के विरुद्ध आक्षेपित पूरक अभियोजन शिकायत में वही आरोप लगाया गया है जैसाकि सी.बी.आई. ने लगाया है । आवेदन के पृष्ठ 133 पर, ई.डी. द्वारा जांच के निष्कर्ष में भी शाब्दिक रूप से संकेत दिया गया है उसी भाषा को वही आरोप लगाए गए हैं जो सी.बी.आई. द्वारा लगाए गए है ।

24. यदि यह ई.डी. द्वारा एक स्वतंत्र जांच थी, तो निष्कर्ष और परिशीलन को अलग तरीके से रखा जाना चाहिए या कम से कम सी.बी.आई. के आरोप पत्र की भाषा की नकल नहीं की जानी चाहिए थी । प्रथमदृष्ट्या, ऐसा प्रतीत होता है कि ई.डी. ने सी.बी.आई. के आरोप पत्र के प्रासंगिक भाग में कटौती की है, इसकी प्रतिलिपि बनाई है और इसे अपनी पूरक अभियोजन शिकायत में चिपकाया है, जिसकी सराहना नहीं की जा सकती है । इसके अलावा, यदि ई.डी. सी.बी.आई. की आरोप पत्र के उसी आरोप पर विश्वास कर रहा था जो तारीख 30 अक्तूबर, 2013 को फाइल किया गया था, तो आवेदक को मूल शिकायत में आरोपी बनाया जाना चाहिए था जो तारीख 30 जून, 2018 को फाइल किया गया था । इसलिए, प्रथमदृष्ट्या, यह प्रतीत होता है कि विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और तथ्यों और घटनाओं की उपरोक्त श्रृंखला का उचित स्पष्टीकरण दिए बिना, आवेदक के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत फाइल की गई है ।

25. चूंकि, आक्षेपित अनुपूरक अभियोजन शिकायत, ई.डी. की विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष फाइल की गई थी, इसलिए, उपरोक्त अनुपूरक अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले अधिनियम, 2002 की धारा 44(1)(ii) के प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए था । विद्वान् विचारण न्यायालय को अभियोजन पक्षकार से यह पूछना चाहिए कि वर्तमान मामले में आवेदक पर वाद चलाने के लिए पहले अभियोजन शिकायत फाइल करने के बाद क्या 'अतिरिक्त साक्ष्य', मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किया गया है क्योंकि आगे

की जांच केवल अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई 'आगे साक्ष्य', मौखिक या दस्तावेजी लाने के लिए की जा सकती है ।

26. वर्तमान मामले में, ई.डी. की विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 11 अगस्त, 2021 (उपाबंध संख्या 6) के आक्षेपित आदेश के माध्यम से दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत के विरुद्ध संज्ञान लिया है और प्रासंगिक तथ्यात्मक और विधिक पहलुओं पर ध्यान दिए बिना आवेदक के विरुद्ध समन जारी किया है ।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पेप्सी फूड्स लिमिटेड और एक अन्य** बनाम **विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य**[1] वाले मामले में पैरा 28 द्वारा यह अधिदेश दिया है कि अभियुक्त को समन करने वाले विद्वान् विचारण न्यायालय के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों के साथ-साथ उस पर लागू विधि पर भी अपना विवेक लगाया है । यदि विद्वान् विचारण न्यायालय मामले के तथ्यों और विधि को ध्यानपूर्वक ध्यान दिए बिना किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन करता है, तो उक्त समन आदेश, विधि की दृष्टि से गलत होगा । सुविधा के लिए, पैरा 28 निम्नानुसार है :–

> "28. दांडिक मामले में अभियुक्त को समन करना एक गंभीर मामला है । दांडिक विधि को निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है । ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता को दांडिक विधि को लागू करने के लिए शिकायत में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल दो साक्षियों को लाना होगा । अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू विधि पर विवेक से विचार किया है । उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में दोनों मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच करनी होगी और क्या यह शिकायतकर्ता के लिए अभियुक्त पर आरोप लगाने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा । ऐसा नहीं है

[1] (1998) 5 एस. सी. सी. 749.

कि अभियुक्त को बुलाने से पहले प्रारंभिक साक्ष्य अभिलिखित करते समय मजिस्ट्रेट मूक दर्शक होता है । मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और वह स्वयं भी शिकायतकर्ता और उसके साक्षियों से प्रश्न कर सकता है ताकि आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्तर प्राप्त किया जा सके या अन्यथा और फिर जांच कर सके कि क्या कोई अपराध प्रथमदृष्ट्या सभी या किसी अभियुक्त द्वारा किया गया है ।"

28. इसमें उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है ।

29. तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रति-शपथपत्र फाइल किया जाए । प्रत्युत्तर शपथपत्र, यदि कोई हो, तत्पश्चात् एक सप्ताह के भीतर फाइल किया जा सकता है ।

30. इस आवेदन को तारीख 29 नवंबर, 2021 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए ।

31. सूचीबद्ध करने की अगली तारीख तक, ई.सी.आई.आर/09/धन-शोधन निवारण अधिनियम/एलजेडओ/2013 से उत्पन्न धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के अधीन, 2021 की दांडिक मामला संख्या 1154 (प्रवर्तन निदेशालय, लखनऊ बनाम गिरिराज शर्मा) में तारीख 11 अगस्त, 2021 (उपाबंध संख्या 6) के आक्षेपित संज्ञान आदेश के प्रवर्तन संचालन और कार्यान्वयन पर रोक रहेगी और आवेदक को उपरोक्त दांडिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

मही./क.

———————

बिस्वनाथ होजरी मिल्स लिमिटेड और एक अन्य

बनाम

मिकी मेटल्स लिमिटेड

(2020 की सिविल वाद संख्या 113)

तारीख 24 अगस्त, 2021

न्यायमूर्ति देबांग्सु बसक

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) – धारा 91, 29 और 134 – वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध उसके व्यापार चिह्न के अतिलंघन और उसके व्यापार चिह्न को चला देने के विरुद्ध वाद फाइल करना – वादी द्वारा अपने उत्पाद को प्रतिवादी के उत्पाद के विभिन्न वर्ग या संवर्ग में सिद्ध नहीं करना न ही उत्पाद के संबंध में अपना उच्चाधिकार प्राप्त विधिक इकाई सिद्ध करना – यदि कोई व्यवसायी अपने उत्पाद को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत कराता है तो उस उत्पाद वर्ग या संवर्ग में जब तक उच्चाधिकार प्राप्त विधिक इकाई का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वह अन्य व्यवसायी के उसी के तत्समान उत्पाद वर्ग या संवर्ग से भिन्न उत्पाद के विरुद्ध इस आधार पर आक्षेप नहीं कर सकता है कि उसके उत्पाद के वर्ग या संवर्ग उसके व्यापार चिह्न का अतिलंघन करते हैं या वह उसके व्यापार चिह्न को चला रहा है ।

वर्तमान मामले में, वर्तमान आवेदन के माध्यम से व्यापार चिह्न और चला देने का अतिलंघन करने वादियों ने वाद में, अंतरिम संरक्षण की ईप्सा की है । न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विरोधी पक्षकारों के मालों के वर्ग या प्रवर्ग में अंतर स्वत: ही चला देने की कार्रवाई को विफल नहीं कर देगा । तथापि, वर्ग या प्रवर्ग में अंतर उन कारकों में से एक है जिसे न्यायालय को ध्यान में रखना होता है । वादी एक सामान्य शब्द के आधार पर भी चला देने की

कार्रवाई को सिद्ध कर सकता है, यदि वह यह सिद्ध करने में समर्थ है कि एक चिह्न के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान्य शब्द ने ऐसी सुभिन्नता प्राप्त कर ली है और वह पर्याप्त समय तक वादी के कारबार से संबंधित रहा है । ऐसी स्थिति में, वादी को यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी ने पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर क्रेताओं या उपयोगकर्ताओं को वादी के उत्पाद के रूप में प्रतिवादी के उत्पाद को क्रय करने या उपयोग करने को उत्प्रेरित करने के लिए चिह्न का उपयोग किया था । वादी को यह भी सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी का आचरण, असद्भावपूर्ण और बेईमानीपूर्ण आशय का है । वादी अपने उत्पादों के विपणन में प्रतिवादी से बहुत पूर्व से ही "लक्स" शब्द का उपयोग कर रहे हैं । "लक्स" शब्द वादियों द्वारा लाया गया अपने आप में नया शब्द-निर्माण नहीं है । "लक्स" शब्द का अर्थ है प्रकाश का माप । शब्द में कुछ भी अनूठा नहीं है जिससे वादियों द्वारा यह दावा किया जा सके कि उन्होंने शब्द-निर्माण किया है । वास्तव में वादी ने ऐसा करने का दावा नहीं किया है । "लक्स" शब्द का उपयोग विभिन्न विधिक इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों के विपणन के लिए किया गया है । वादियों के पक्ष में विद्यमान प्रतिलिप्याधिकार के पंजीकरण के संबंध में, वादी हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड के साथ मुकदमेबाजी में अंतर्वलित थे । हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड ने प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में परिशोधन के लिए प्रतिलिप्याधिकार की धारा 50 के अधीन पंजीकरण सं. क 814-72 को निकालने के लिए आवेदन किया था । प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड ने पीटीसी 86 (सीपी) में प्रकाशित किए गए मामले में "लक्स" शब्द मैसर्स बिश्वनाथ होजरी के स्वत्वधारी गिरधारी लाल टोडी के नाम पर पंजीकरण सं. क 814-72 में से "लक्स" शब्द को निकाल कर प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में परिशोधन का निदेश दिया था । वादी ने प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के पश्चात्वर्ती आदेश को अभिलेख पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड ने प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में परिशोधन का निदेश देने वाले अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया था । "लक्स" शब्द का पंजीकरण कम से कम दो पक्षकारों अर्थात् वादी और हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड के पक्ष में भिन्न-भिन्न वर्गों में किया गया है । वादी और प्रतिवादी कारबार के भिन्न-

भिन्न वर्गों में है । वादी होजरी के कारबार में है जबकि प्रतिवादी टी. एम. टी. बार्स का विनिर्माण करते हैं । यह अत्यधिक असंभाव्य है कि होजरी के माल और टीएमटी बार्स के एक ही माल दुकान में विक्रय किए जाएंगे । व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 124 के अधीन तैयार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की बेबसाइट पर प्रकाशित सुविख्यात चिन्हों की सूची में वादी का चिह्न नहीं है । वादी ने व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 124 के संदर्भ में अपने व्यापार चिह्न को एक सुविख्यात व्यापार चिह्न के रूप में माने जाने के लिए आवेदन नहीं किया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक बार जब वादी के व्यापार चिह्न को रजिस्टर से हटाने का विनिश्चय कर लिया गया और उसके पश्चात् सहमति से रजिस्टर पर व्यापार चिह्न के प्रत्यावर्तन किए जाने से स्पष्ट है कि "लक्स" के संबंध में उच्चाधिकार है, यदि किसी अन्य विधिक इकाई के पक्ष में मंजूर उसी के समान अधिकार नहीं है । ऐसी विधिक इकाई इस वाद में पक्षकार नहीं है । यह तथ्य कि उच्चाधिकार मौजूद हैं, तीसरे पक्षकार के पक्ष में "लक्स" शब्द के संबंध में तत्समान अधिकार नहीं है, तो वह "लक्स" चिह्न की सुभिन्नता के वादी के दावे को क्षीण करता है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी के चिह्न "लक्स" ने ऐसी सुभिन्नता प्राप्त कर ली है, जिससे वादी को वाद के अंतरिम प्रक्रम पर सफल होने को अनुज्ञात किया जाए । प्रतिवादी का आक्षेप कि एक कंपनी की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल वाद विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है, इसे इस प्रक्रम पर तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे एक साध्य त्रुटि के रूप में माना जा सकता है तथा वादी को इस तरह की त्रुटियों को ठीक करने का एक अवसर दिया जा सकता है, यदि कोई हो । (पैरा 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] 2018 इंडलॉ कलकत्ता 408 :

एक्सॉन मोबिल कारपोरेशन बनाम **पी. के. सेन** ; 7

[2017] 2017 एस. एस. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 16310 :
मैसर्स सुदर्शन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम
विशाल कृषि उत्पाद प्राइवेट लिमिटेड ; 11

[2016] (2016) 2 एस. सी. सी. 683 :
एस. सैयद मोहिदीन बनाम **पी. सुलोचना
बाई** ; 6, 9, 15

[2016] 2016 (66) पी. टी. सी. 173 :
एस्सेल प्रोपैक लिमिटेड बनाम **एस्सेल किचनवेयर
लि.** ; 13

[2016] 2016 (67) पी. टी. सी. 271 :
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम **कॉनकार्ड
एनवायरो सिस्टम प्राइवेट लि.** ; 13, 25

[2013] 2013 (56) पी. टी. सी. 243 :
ब्लूमबर्ग फाइनेंस एल. पी. बनाम **प्रफुल्ल
सकलेचा और अन्य** ; 7

[2011] 2011 (47) पी. टी. सी. 129 :
आई. एच. एच. आर. हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लि.
बनाम **बेस्टेक इंडिया प्राइवेट लि.** : 13, 25

[2011] (2011) 4 एस. सी. सी. 85 :
टी. वी. वेणुगोपाल बनाम **उशोदया एंटरप्राइजेज
लिमिटेड और एक अन्य** ; 7, 16

[2011] 2011 (5) एम. एच. एल. जे. 369 :
**कल्पतरु प्रॉपर्टीज प्राइवेट लि. मुंबई और एक
अन्य** बनाम **कल्पतरु हॉस्पिटैलिटी एंड फैसिलिटी
मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लि.** ; 7, 20

[2010] 2010 (44) पी. टी. सी. 209 :
स्कोल ब्रेवरीज बनाम **यूनिसेफ टेक्नोलॉजीज** ; 13, 25

[2009] 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 531 :
सोनी काबुशिकी कैशा बनाम **महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स** ; 7, 21

[2005] 2005 खंड 2 कलकत्ता उच्च न्यायालय नोट्स 278 :
अमर नाथ चक्रवर्ती बनाम **दत्ता बकेट इंडस्ट्रीज और अन्य** ; 7, 23

[2002] 2002 (25) पी. टी. सी. 86 :
हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम **बिश्वनाथ होजरी** ; 10

[2001] (2001) 5 एस. सी. सी. 73 :
कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम **फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कैडिला** ; 21

[1997] 1997 एस. सी. सी. ऑनलाइन बोम्बे 253 :
एस्सेल पैकेजिंग लि. और अन्य बनाम **एस्सेल टी. एक्सपोर्ट्स लि.** ; 7, 22

[1997] 1997 एस. सी. सी. ऑनलाइन बोम्बे 578 :
एक्टीबोलागेट वोल्वो ऑफ स्वीडन बनाम **वोल्वो स्टील्स लि. ऑफ गुजरात** ; 7, 17

[1994] (1994) 2 एस. सी. सी. 448 :
मैसर्स पावर कंट्रोल एप्लायंस और अन्य बनाम **सुमित मशीन प्राइवेट लि.** । 7, 24

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल वाद संख्या 113.

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 91 के अधीन अपील ।

वादियों की ओर से सर्वश्री एस. एन. मुखर्जी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, देबनाथ घोष, अधिवक्ता, सरोसिज दासगुप्ता, अधिवक्ता, श्रीमती पुबली सिन्हा चौधरी, अधिवक्ता, श्रीमती

हर्षिता गिनोडिया, अधिवक्ता, (सुश्री) मिनी अग्रवाल, अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री आर. बचावत, ज्येष्ठ अधिवक्ता, आर. मित्रा, अधिवक्ता, एस. रॉय चौधरी, अधिवक्ता, भास्कर मुखर्जी, अधिवक्ता (सुश्री) देबजानी घोष और श्रीमती नफीसा यास्मीन अधिवक्ता ।

न्यायमूर्ति देबांग्सु बसक – वर्तमान आवेदन के माध्यम से व्यापार चिह्न और चला देने का अतिलंघन करने वाले वादियों ने वाद में, अंतरिम संरक्षण की ईप्सा की है ।

2. वादियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादी सं. 1 विभिन्न "लक्स" व्यापार चिन्हों का एक रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हैं । "लक्स" चिह्न को वादी सं. 1 के संस्थापक ने वर्ष 1957 में अपनाया था । वादी सं. 1 के पास "लक्स" लेबल पर प्रतिलिप्याधिकार भी है जिसका रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र तारीख 8 अगस्त, 1972 का है । वादी सं. 2 वादी सं. 1 की सहायक कंपनी है और वादी सं. 2 1995 से अपने निगमित नाम के रूप में "लक्स" नाम का उपयोग कर रहा है । उसने वादी के उत्पादों की पैकेजिंग के फोटोचित्र का अवलंब लिया है । इसके अनुसार, वादी की पैकेजिंग भिन्न है ।

3. वादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादी के भारत में कुल 22 रजिस्ट्रीकरण हैं । उन्होंने वर्ष 2008-2009 के पश्चात् से वादी के विक्रय आंकड़ों और विज्ञापन तथा अभिवृद्धि व्ययों को निर्दिष्ट किया है । उन्होंने वर्ष 1986 से वादी के विक्रय बीजक को भी निर्दिष्ट किया है, जो व्यापार चिह्न "लक्स" के बड़े पैमाने पर कारबार और लोकप्रियता को दर्शित करते हैं । उनके अनुसार, विक्रय, प्रचार, गुणवत्ता और उत्पाद तथा "लक्स" शब्द के अविरत और निरंतर उपयोग को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड द्वारा तारीख 15 जुलाई, 2020 को बिश्वनाथ होजरी मिल्स लिमिटेड बनाम फ्रेंडस होजरी और अन्य में मान्यता दी गई है । उन्होंने अन्य आदेशों

को निर्दिष्ट किया है, जो वादी के व्यापार चिह्न "लक्स" के संरक्षण के लिए विभिन्न न्यायालयी कार्यवाहियों से अभिप्राप्त किए गए हैं । उन्होंने दलील दी है कि इस प्रकार की लोकप्रियता, लेबल के मूल्य, सार्वजनिक मांग और उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर वादी का चिह्न "लक्स" सुविख्यात हो गया है । वादी को पुरस्कार मिलें हैं । वादी द्वारा विभिन्न "लक्स" छापों के प्रमोचन आयोजनों को आम तौर पर अग्रणी मीडिया सदनों द्वारा आच्छादित किया गया है । उन्होंने उन व्यक्तित्वों को निर्दिष्ट किया है जो वादी के ब्रांड एंबेसडर रहे हैं । उन्होंने निवेदन किया है कि वादी के उत्पाद विश्व भर में विक्रय किए जाते हैं । वादी की विश्व भर के 47 देशों के बाजार में उपस्थिति है । वादी ने विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है ।

4. वादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी ने प्रस्तावित उपयोग के आधार पर तारीख 25 अक्तूबर, 2019 को वर्ग 6 में एक आकृति के रूप में "लक्स टीएमटी" के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था । उस आवेदन को प्रतिवादी द्वारा प्रत्याहृत कर लिया गया था । प्रतिवादी ने तारीख 30 अप्रैल, 2012 को टीएमटी बार्स और छड़ों के लिए वर्ग 6 में "लक्स टीएमटी 500 + आईएसआई" शब्द का रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया था जिसमें उपयोग की तारीख 1 जनवरी, 2008 प्रदर्शित की गई थी । वादी ने उक्त को चुनौती दी है । प्रतिवादी ने "लक्स टीएमटी दुर्गापुर" का रजिस्ट्रीकरण वर्ग 6 में प्रस्तावित उपयोग किए जाने के आधार पर अभिप्राप्त किया है । उस आवेदन को वादी द्वारा चुनौती भी दी गई है । प्रतिवादी ने तारीख 5 दिसंबर, 3019 को "लक्स – एक सॉलिड सोच" चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए "प्रस्तावित उपयोग के आधार पर" आवेदन किया था और उक्त को वादी के आदेश पर चुनौती भी दी गई है ।

5. वादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी, वादी के समान चिह्न का तद्रूप और इतने समरूप चिह्न जिससे धोखा हो जाए, का पश्चात्वर्ती उपयोगकर्ता है । उन्होंने प्रतिवादी के प्रतिरोध में शपथपत्र को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि प्रतिवादी ने जो प्रतिरक्षा ली है वह अस्वीकार्य है ।

6. वादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने तारीख 18 नवंबर, 2019 को जारी सूचना के समाप्त होने परिविरत और प्रविरत होने के पश्चात्वर्ती पक्षकारों के आचरण को निर्दिष्ट किया है । उन्होंने निवेदन किया है कि चूंकि वादी "लक्स" चिह्न के पूर्व उपयोगकर्ता हैं, इसलिए, वादी के अधिकार रजिस्ट्रीकरण से सर्वोच्च हैं और व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन प्राप्त रजिस्ट्रीकरण से अप्रभावित हैं । उन्होंने **एस. सैयद मोहिदीन** बनाम **पी. सुलोचना बाई**[1] वाले मामले का अवलंब लिया है । उन्होंने दलील दी है कि न्यायालय को यह परिनिर्धारण करने के दौरान कि क्या कोई चिह्न सुविख्यात है या नहीं, इसके लिए व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 11(6) को निर्दिष्ट करना होगा । उन्होंने 1999 के अधिनियम की धारा 29(1)(2) और (3) को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है कि जनसाधारण में भ्रम और प्रवंचना जो इस प्रकार के उपखंडों के अधीन सफलता के संघटक हैं, वह 1999 के अधिनियम की धारा 29(4) के अधीन सफलता के संघटक नहीं है । उनके अनुसार, अतिचार, नवपरिवर्तन और तनुकरण संघटक है । उन्होंने अधिनियम, 1999 की धारा 32 को निर्दिष्ट और उसका अवलंब लिया है ।

7. वादी की ओर से हाजिर होने वाले अधिवक्ता ने **टी. वी. वेणुगोपाल** बनाम **उशोदया एंटरप्राइजेज लिमिटेड और एक अन्य**[2], **एक्टीबोलागेट वोल्वो ऑफ स्वीडन** बनाम **वाल्वो स्टील्स लिमिटेड ऑफ गुजरात**[3], **ब्लूमबर्ग फाइनेंस एल. पी.** बनाम **प्रफुल्ल सकलेचा और अन्य**[4], **एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन** बनाम **पी. के. सेन**[5], **कल्पतरू प्रॉपर्टीज प्राइवेट लि. मुंबई और एक अन्य** बनाम **कल्पतरू हॉस्पिटैलिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लि.**[6], **सोनी काबुशिकी कैशा** बनाम **महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स**[7], **एस्सेल पैकेजिंग लि. और अन्य** बनाम

---

[1] (2016) 2 एस. सी. सी. 683.

[2] (2011) 4 एस. सी. सी. 85.

[3] 1997 एस. सी. सी. ऑनलाइन बोम्बे 578.

[4] 2013 (56) पी. टी. सी. 243.

[5] 2018 इंडलॉ कलकत्ता 408.

[6] 2011 (5) एम. एच. एल. जे. 369.

[7] 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 531.

एस्सेल टी. एक्सपोर्ट्स लि.[1], **अमर नाथ चक्रवर्ती** बनाम **दत्ता बकेट इंडस्ट्रीज और अन्य**[2], **मैसर्स पावर कंट्रोल अप्लायेंसस और अन्य** बनाम **सुमित मशीन प्राइवेट लि.**[3] वाले मामलों का अवलंब लिया है ।

8. प्रतिवादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादी ने एक प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वाद फाइल किया है जो अनुज्ञेय नहीं है, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश xxix नियम 1 को निर्दिष्ट किया है । उनके अनुसार, निगम की ओर से सचिव या किसी निदेशक या निगम के अन्य मुख्य अधिकारी द्वारा अभिवचनों पर हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना चाहिए । चूंकि आवेदन की अभिपुष्टि एक प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गई है जो वादी के सचिव या निदेशक या मुख्य अधिकारी नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किए जाने योग्य है । इस प्रकार की दलीलों के समर्थन में, 2014 के सीएस सं. 4 में 2016 के आईए जीए सं. 82 में पारित तारीख 26 जुलाई, 2016 के आदेश (**पी. के. एस. लिमिटेड** बनाम **स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य**) और तारीख 4 मई, 2017 को 2009 के सीएस सं. 269 में (**घनश्याम शारदा** बनाम **गोबिंद कुमार शारदा**) वाले मामले में खंड न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश का अवलंब लिया है ।

9. प्रतिवादी की ओर से हाजिर होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादी होजरी के सामान के कारबार में है और उनके पास वर्ग 25 में विभिन्न लेबल चिह्न के रजिस्ट्रीकरण है । प्रतिवादी के पास टीएमटी बार और छड़ों के पक्ष में वर्ग 6 में दो रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न हैं, उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में **एस. सैयद मोहिदीन** बनाम **पी. सुलोचना बाई**[4] वाले मामले का अवलंब लिया है कि एक रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 28(3) को ध्यान में रखते हुए व्यापार चिह्न के अतिलंघन के लिए दूसरे स्वत्वधारी पर

---

[1] 1997 एस. सी. सी. ऑनलाइन बोम्बे 253.

[2] 2005 खंड 2 कलकत्ता उच्च न्यायालय नोट्स 278.

[3] (1994) 2 एस. सी. सी. 448.

[4] (2016) 2 एस. सी. सी. 683.

वाद नहीं कर सकता है । इसलिए, उनके अनुसार, वादी व्यापार चिह्न के अतिलंघन के संबंध में किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं है ।

10. जहां तक प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंघन के दावे का संबंध है, प्रतिवादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी है कि वादी के पास तारीख 8 अगस्त, 1972 का प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रीकरण है । उन्होंने प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रीकरण को निर्दिष्ट किया है । उन्होंने दलील दी है कि प्रतिवादी को **हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड** बनाम **बिस्वनाथ होजरी**[1] वाले मामले के निर्णय के विषय में पता चल गया था जिसमें यह प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर से अधिनियम, 1957 की धारा 50 के अधीन प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के समक्ष वादी सं. 1 के पक्ष से रजिस्ट्रीकरण को निकाल कर प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में परिशोधन के लिए एक आवेदन फाइल किया था । प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड ने यह अभिनिर्धारित किया था कि बिश्वनाथ होजरी ने हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से "लक्स" शब्द की नकल की थी और यह शब्द एक मूल शब्द नहीं है । बोर्ड ने वादी सं. 1 के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत शब्द को निकालकर प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर के परिशोधन का आदेश दिया था ।

11. प्रतिवादी की ओर से हाजिर होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादी को उनके और हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बीच मुकदमेबाजी के बारे में पता होने को उक्त मुकदमेबाजी को प्रकट करना चाहिए था । ऐसा नहीं करने पर वादी किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं है । ऐसी दलील के समर्थन में उन्होंने **मैसर्स सुदर्शन सीड्स प्राइवेट लि.** बनाम **विशाल कृषि उत्पाद प्राइवेट लि.**[2] वाले मामले का अवलंब लिया है ।

12. प्रतिवादी की ओर से हाजिर होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि "लक्स" सुविख्यात चिह्न नहीं है । उन्होंने उन इकाइयों/व्यक्तियों की सूची का अवलंब लिया है, जिन्होंने विभिन्न वर्गों

---

[1] 2002 (25) पी. टी. सी. 86.

[2] 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 16310.

में "लक्स" का रजिस्ट्रीकरण लिया है । प्रतिवादी का चिह्न "लक्स" व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की वेबसाइट पर प्रकाशित सुविख्यात चिह्नों की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

13. प्रतिवादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के मामले में कोई व्यादेश नहीं दिया जा सकता है । इस तरह की दलील के समर्थन में उन्होंने **स्कोल ब्रेवरीज** बनाम **यूनिसेफ टेक्नोलॉजीज**[1], **आई. एच. एच. आर. हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लि.** बनाम **बेस्टेक इंडिया प्राइवेट लि.**[2], **एस्सेल प्रोपैक लिमिटेड** बनाम **एस्सेल किचनवेयर लि.**[3], **रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड** बनाम **कॉनकार्ड एनवायरो सिस्टम प्राइवेट लि.**[4] वाले मामले का अवलंब लिया है । उन्होंने निवेदन किया है कि वादी का आवेदन खारिज किया जाना चाहिए ।

14. वादी ने दावा किया है कि प्रतिवादी ने वादी के व्यापार चिह्न, प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन किया है और प्रतिवादी के उत्पाद को वादी के उत्पाद के रूप में चला देने का दोषी है ।

15. **एस. सैयद मोहिदीन** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 27(2) और 28(3) की परस्पर क्रिया पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकार व्यापार चिह्न के पूर्व उपयोगकर्ता के अधिकारों के अधीन है । पूर्व उपयोगकर्ता के अधिकार रजिस्ट्रीकरण की तुलना में उच्चतर हैं और 1999 के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारों से अप्रभावित हैं । कामन विधि अधिकारिता में करने का अधिकार अतिलंघन की तुलना में व्यापक उपचार है ।

---

[1] 2010 (44) पी. टी. सी. 209.

[2] 2011 (47) पी. टी. सी. 129.

[3] 2016 (66) पी. टी. सी. 173.

[4] 2016 (67) पी. टी. सी. 271.

16. यद्यपि चिह्न सामान्य शब्द के रूप में पाया जाता है, तो भी यदि वह ऐसा है कि उसने सुभिन्नता प्राप्त कर ली है और पर्याप्त समय तक वादी के व्यवसाय के साथ सहयुक्त रहा है और उसके पश्चात् प्रतिवादी अपने दो चिह्नों में से एक के समरूप शब्द को अपनाता है जिससे अनभिज्ञ उपयोगकर्ताओं को प्रतिवादी के उत्पाद का उपयोग करने या क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जो एक बेईमानीपूर्ण आशय और असद्भाव को स्थापित करता है, तो न्यायालय को वादी के व्यवसाय के संरक्षण के लिए व्यादेश प्रदान करना चाहिए । एक प्रतिस्पर्धी द्वारा बेईमानीपूर्ण आशय और असद्भाव के साथ संयोजित समरूप शब्द का उपयोग किए जाने पर न्यायालय को ऐसे उपयोगकर्ता और दुरुपयोगकर्ता का अवरोध करके व्यथित पक्षकार के साथ न्यायसंगत न्याय करने में सशक्त बनाता है । उच्चतम न्यायालय द्वारा **टी. वी. वेणुगोपाल** (उपरोक्त) वाले मामले में इसका अनुपालन किया गया है । उस मामले के तथ्यों में, वादी तेलुगु में एक समाचारपत्र प्रकाशित करने के कारबार में लगा हुआ था जिसका शीर्षक ईनाडु था । प्रतिवादी अगरबत्ती के विनिर्माण में लगा हुआ था और ऐसे उत्पादों को आशिकास ईनाडु की तरह विपणन करता था । उस मामले के तथ्यों में, उच्चतम न्यायालय ने पाया था कि वादी ईनाडु के चिह्न ने असाधारण ख्याति और गुडविल अर्जित कर ली थी । प्रतिवादी के उत्पादों और सेवाओं को ईनाडु शब्द से संबंधित, पहचान और सहयुक्त पाया गया था । ऐसी परिस्थिति में, उच्चतम न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी को ईनाडु चिह्न के ईमानदार समवर्ती उपयोगकर्ता के रूप में निर्दिष्ट या परिभाषित नहीं किया जा सकता है ।

17. स्वीडन के **एक्टीबोलोगेट वोल्वो** (उपरोक्त) वाले मामले में यह पाया गया है कि समान क्षेत्र में गतिविधि की विद्यमानता एक चला देने की कार्रवाई में विधि के मामले के रूप में आवश्यक लक्षण नहीं है । उस मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने पाया था कि यद्यपि पक्षकारों की परियोजनाएं समान नहीं थी, लेकिन वादी और प्रतिवादियों के बीच गतिविधि के क्षेत्र के मध्य कुछ अतिव्यापी थी । न्यायालय ने यह भी

अभिनिर्धारित किया है कि वादी ने लगभग विश्वभर में ब्रांड नाम वाल्वो पर बहुत व्यापक और बड़ी गुडविल तथा ख्याति प्राप्त की है ।

18. **ब्लूमबर्ग फाइनेंस एल. पी.** (उपरोक्त) वाले मामले में धारा 29(4) और धारा 29(1)(2)(3) के बीच अंतर पर ध्यान दिया है । यह देखा गया है कि एक मजबूत संरक्षण ऐसे चिह्न को प्रदान किया जाता है, जिसकी ख्याति इस प्रकार के चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के बिना होती है तथा जो समरूप वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में तद्रूप या समान चिह्न के उपयोग से उत्पन्न भ्रम की संभावना को प्रदर्शित करता है । उस मामले के तथ्यों में, वादी अमेरिकी न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए व्यादेश का उपभोग कर रहा था ।

19. **एक्सॉन मोबिल कारपोरेशन** (उपरोक्त) वाले मामले में वादी फार्च्यून 500 कंपनियों का एक हिस्सा था और वादी तथा प्रतिवादी का एक ही वर्ग में रजिस्ट्रीकरण था । यह देखा गया है कि 1999 के अधिनियम की धारा 29(4) द्वारा विस्तारित संरक्षण समरूप वस्तुओं और सेवाओं पर भी प्रदान किया गया है तथा यह तनुकरण के सिद्धांत पर आधारित है । इसने स्पष्ट किया है कि तनुकरण एक प्रकार का व्यापार चिह्न का अतिक्रमण है जिसमें प्रतिवादी का उपयोग भ्रम की संभावना उत्पन्न नहीं करते हुए सुभिन्नता को धुंधला करता है या वादी के चिह्न की छवि को धूमिल करता है ।

20. **कल्पतरु प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में, अभिनिर्धारित किया है कि रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के अतिलंघन और करने की कार्रवाई कायम रखे जाने योग्य होती है, भले ही पक्षकारों द्वारा व्यौहार की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं एक समान न हों ।

21. **सोनी काबुशिकी कैशा** (उपरोक्त) वाले मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायापीठ ने अतिलंघन के एक वाद की अपील पर विचार किया है । उन्होंने **कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड** बनाम **कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड**[1] वाले मामले पर विचार किया । यह देखा गया है कि उनके समक्ष उद्धृत प्राधिकारियों में से किसी ने भी

[1] (2001) 5 एस. सी. सी. 73.

संपूर्ण शब्दों में यह अधिकथित नहीं किया था कि प्रतिद्वन्दी व्यापारियों की वस्तुओं के वर्ग या श्रेणी में अंतर चला देने की कार्रवाई को निष्फल कर देगा । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि यह उनके लॉडशिप की राय नहीं है कि जिस वर्ग या श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं पर व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाता है, चला देने की कार्रवाई का परीक्षण करते समय उसकी पूर्ण रूप से अवज्ञा की जानी चाहिए ।

22. **एस्सेल पैकेजिंग लिमिटेड और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि व्यापार को न केवल ईमानदार होना चाहिए बल्कि आशय से अऋजु भी नहीं होना चाहिए । इस प्रकार की जांच को लागू करते हुए एक व्यादेश मंजूर किया गया था ।

23. **अमर नाथ चक्रवर्ती** (उपरोक्त) वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने एक घोषणा और व्यादेश के एक वाद में व्यादेश के एक आवेदन पर विचार किया था, जिसमें एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न और प्रतिलिप्याधिकार के अतिक्रमण का अभिकथन किया गया था और व्यापार चिह्न को चला देने की शिकायत की गई थी । उस मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने प्रतिवाद करने वाले पक्षकारों के दो लेबलों पर विचार किया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि वे आकार तथा आकृति में समरूप थे । न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि दोनों व्यापार चिह्नों में रंग संयोजन समरूप थे । लेबल की आकृति, रंग संयोजन और अन्य कलात्मक रचना को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 'MAJ' शब्द भ्रामक रूप से 'ताज' शब्द के समरूप था । यह देखा गया है कि एक बार यह सिद्ध हो जाने के पश्चात् कि प्रतिवादी का लेबल भ्रामक रूप से वादी के लेबल से समरूप हैं और वादी पूर्व के समय से लेबल का उपयोग कर रहा है तो न्यायालय के पास प्रतिवादी के ऐसे व्यापार चिह्न के उपयोग को अवरूद्ध करने के लिए व्यादेश प्रदान करने के अलावा तब तक कोई अन्य विकल्प नहीं होता है, जब तक कि प्रतिवादी के व्यापार चिह्न के उपयोग की सहमति देने वाले वादी के सकारात्मक कार्य को प्रतिवादी दर्शित नहीं कर देता है ।

24. **पावर कंट्रोल अप्लायंस और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 30(1)(ख) और 105 पर विचार किया है । यह देखा गया है कि 1958 के अधिनियम की धारा 30(1)(ख) के अधीन उपलब्ध प्रतिरक्षाओं में से एक है । इसे निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है :–

> "26. जब दूसरा कोई अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है और उस पर धन का व्यय कर रहा है तब भी कुछ नहीं करना उपमति है । यह ऐसे आचरण का अनुक्रम है जो किसी व्यापार चिह्न, व्यापार नाम आदि में अनन्य अधिकारों के दावे के साथ असंगत हैं । इसका तात्पर्य सकारात्मक कृत्यों से है ; न कि मात्र मौन या जैसे कि अति विलंब में अंतर्वलित निष्क्रियता से है । हरकोर्ट **बनाम** व्हाइट [(1860) 28 बीव 303 = 54 ई. आर. 382] में सार जॉन रोमिली ने कहा है कि "मात्र उपेक्षा और उपमति में अंतर करना महत्वपूर्ण है । इसलिए, उपमति विलंब का एक पहलू है । यदि वादी जानते हुए भी कुछ नहीं करता है और प्रतिवादियों को महत्वपूर्ण व्यापार का निर्माण तब तक करने देता है जब तक उस व्यापार को दबाना आवश्यक नहीं हो गया तब वादी को उनकी उपमति द्वारा रोक दिया जाएगा । यदि अतिलंघन में उपमति सहमति के समान है, तो यह एक पूर्ण प्रतिरक्षा होगी जैसाकि मूसन (जे. जी.) एंड कंपनी **बनाम** बोहेम [(1884) 26 सी. एच. डी. 406] में अधिकथित किया गया है । उपमति ऐसी होनी चाहिए कि प्रतिवादी में एक नया अधिकार बनाने के लिए पर्याप्त अनुज्ञप्ति अनुमान लगाया जा सके, जैसाकि रॉजर्स बनाम नोविल में अधिकथित किया गया था ।"

25. **स्कोल ब्रेवरीज** (उपरोक्त) वाले मामले में वादी ने तनुकरण द्वारा व्यापार चिह्न के अतिलंघन की शिकायत की थी । उस मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने पाया था कि वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहा है और इसलिए न्यायालय वादी को अनुतोष नहीं प्रदान करने के लिए अग्रसर हुआ था । **आई. एच. एच. आर. हॉस्पिटैलिटी**

प्राइवेट लि. (उपरोक्त) वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों में यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं पाई कि वादी के चिह्न ने भारत में इतनी उच्च ब्रांड की साम्यता को अर्जित कर लिया था कि वादी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से असंबंधित वस्तुओं/सेवाओं के संबंध में इसका उपयोग उस प्रतिष्ठा को कम कर देगा जो वादी के ब्रांड को भारत में प्राप्त है । **एस्सेल पैकेजिंग लि.** (उपरोक्त) वाले मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पाया था कि व्यापार चिह्न अधिनियम के अधीन विभिन्न समूहों के लिए कई प्रवर्गों में 'एस्सेल चिह्न' रजिस्ट्रीकृत था । न्यायालय ने उसमें व्यादेश की प्रार्थना से इनकार कर दिया था । **रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.** (उपरोक्त) वाले मामले में, न्यायालय ने विचार किया था कि क्या प्रतिवादी का लोगो वादी के लोगो से इतना समरूप था जिससे धोखा हो जाए या नहीं । यह पाया गया था कि प्रतिद्वंदी लोगो पूर्ण रूप से अलग थे और इसलिए न्यायालय वादी को कोई भी अनुतोष नहीं प्रदान करने के लिए अग्रसर हुआ ।

26. विरोधी पक्षकारों के मामलों के वर्ग या प्रवर्ग में अंतर स्वत: ही चला देने की कार्रवाई को विफल नहीं कर देगा । तथापि, वर्ग या प्रवर्ग में अंतर उन कारकों में से एक है जिसे न्यायालय को ध्यान में रखना होता है । वादी एक सामान्य शब्द के आधार पर भी चला देने की कार्रवाई को सिद्ध कर सकता है, यदि वह यह सिद्ध करने में समर्थ है कि एक चिह्न के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान्य शब्द ने ऐसी सुभिन्नता प्राप्त कर ली है और वह पर्याप्त समय तक वादी के कारबार से संबंधित रहा है । ऐसी स्थिति में, वादी को यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी ने पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर क्रेताओं या उपयोगकर्ताओं को वादी के उत्पाद के रूप में प्रतिवादी के उत्पाद को क्रय करने या उपयोग करने को उत्प्रेरित करने के लिए चिह्न का उपयोग किया था । वादी को यह भी सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी का आचरण, असद्भावपूर्ण और बेईमानीपूर्ण आशय का है ।

27. वादी अपने उत्पादों के विपणन में प्रतिवादी से बहुत पूर्व से ही "लक्स" शब्द का उपयोग कर रहे हैं । "लक्स" शब्द वादियों द्वारा लाया

गया अपने आप में नया शब्द-निर्माण नहीं है । "लक्स" शब्द का अर्थ है प्रकाश का माप । शब्द में कुछ भी अनूठा नहीं है जिससे वादियों द्वारा यह दावा किया जा सके कि उन्होंने शब्द-निर्माण किया है । वास्तव में वादी ने ऐसा करने का दावा नहीं किया है । "लक्स" शब्द का उपयोग विभिन्न विधिक इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों के विपणन के लिए किया गया है ।

28. वादियों के पक्ष में विद्यमान प्रतिलिप्याधिकार के पंजीकरण के संबंध में, वादी हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड के साथ मुकदमेबाजी में अंतर्वलित थे । हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड ने प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में परिशोधन के लिए प्रतिलिप्याधिकार की धारा 50 के अधीन पंजीकरण सं. क 814-72 को निकालने के लिए आवेदन किया था । प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड ने पी. टी. सी. 86 (सी. पी.) में प्रकाशित किए गए मामले में "लक्स" शब्द मैसर्स बिश्वनाथ होजरी के स्वत्वधारी गिरधारी लाल टोडी के नाम पर पंजीकरण सं. क 814-72 में से "लक्स" शब्द को निकाल कर प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में परिशोधन का निदेश दिया था । वादी ने प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के पश्चात्वर्ती आदेश को अभिलेख पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड ने प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में परिशोधन का निदेश देने वाले अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया था ।

29. "लक्स" शब्द का पंजीकरण कम से कम दो पक्षकारों अर्थात् वादी और हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड के पक्ष में भिन्न-भिन्न वर्गों में किया गया है । वादी और प्रतिवादी कारबार के भिन्न-भिन्न वर्गों में है । वादी होजरी के कारबार में है जबकि प्रतिवादी टी. एम. टी. बार्स का विनिर्माण करते हैं । यह अत्यधिक असंभाव्य है कि होजरी के माल और टीएमटी बार्स के एक ही माल दुकान में विक्रय किए जाएंगे ।

30. व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 124 के अधीन तैयार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की बेबसाइट पर प्रकाशित सुविख्यात चिन्हों की सूची में वादी का चिह्न नहीं है । वादी ने व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 124 के संदर्भ में अपने व्यापार चिह्न को एक सुविख्यात व्यापार चिह्न के रूप में माने जाने के लिए आवेदन नहीं किया था ।

31. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक बार जब वादी के व्यापार चिह्न को रजिस्टर से हटाने का विनिश्चय कर लिया गया और उसके पश्चात् सहमति से रजिस्टर पर व्यापार चिह्न के प्रत्यावर्तन किए जाने से स्पष्ट है कि "लक्स" के संबंध में उच्चाधिकार है, यदि किसी अन्य विधिक इकाई के पक्ष में मंजूर उसी के समान अधिकार नहीं है । ऐसी विधिक इकाई इस वाद में पक्षकार नहीं है । यह तथ्य कि उच्चाधिकार मौजूद हैं, तीसरे पक्षकार के पक्ष में "लक्स" शब्द के संबंध में तत्समान अधिकार नहीं है, तो वह "लक्स" चिह्न की सुभिन्नता के वादी के दावे को क्षीण करता है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी के चिह्न "लक्स" ने ऐसी सुभिन्नता प्राप्त कर ली है, जिससे वादी को वाद के अंतरिम प्रक्रम पर सफल होने को अनुज्ञात किया जाए ।

32. प्रतिवादी का आक्षेप कि एक कंपनी की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल वाद विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है, इसे इस प्रक्रम पर तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे एक साध्य त्रुटि के रूप में माना जा सकता है तथा वादी को इस तरह की त्रुटियों को ठीक करने का एक अवसर दिया जा सकता है, यदि कोई हो ।

33. ऐसी परिस्थितियों में, मुझे वादी को कोई भी अंतरिम अनुतोष प्रदान करने का कारण नहीं दिखता है । 2020 के सी. एस. सं. 113 में 2020 के आई. ए. जी. ए. सं. 1 को खर्चे के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अम./क.

सोनिया बाई (श्रीमती) **और अन्य**

बनाम

दशरथ साहू और एक अन्य

(2015 की प्रथम अपील सं. 95)

तारीख 20 दिसंबर, 2021

न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का 30) – धारा 63 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6] – प्रतिवादी द्वारा अपने जीवन-काल में वसीयत किया जाना – वसीयतकर्ता द्वारा अपने कई पुत्र-पुत्रियों में से सिर्फ एक पुत्र को अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाना – यहां तक कि एक पुत्री जो विधवा है उसको भी वसीयत में सह-भागीदारी नहीं बनाना – वसीयत को चुनौती देना इस आधार पर कि मिताक्षरा विधि में यह प्रावधान है कि वसीयतकर्ता से जन्मे सभी पुत्र-पुत्रियों का उसकी संपत्ति में समान अधिकार होगा – यदि कोई हिन्दू व्यक्ति अपनी सहदायिकी सम्पत्ति का वसीयत अपने कई पुत्र-पुत्रियों में से किसी एक के पक्ष में करता है तो ऐसी वसीयत हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा में मान्य नहीं होगी और विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा द्वारा शासित होता है ।

वर्तमान मामले में, यह प्रथम अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन अपीलार्थियों/प्रतिवादियों द्वारा पांचवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर, जिला बिलासपुर द्वारा सिविल वाद संख्या 124-ए/2014 में पारित तारीख 18 मार्च, 2015 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके अधीन विद्वान् विचारण न्यायालय ने वादी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा फाइल किए गए वाद को खारिज कर दिया था तथा अपीलार्थियों/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा फाइल प्रतिदावे को

खारिज कर दिया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने वसीयतकर्ता स्वर्गीय कचरा बाई, जो वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता थी, द्वारा तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को निष्पादित वसीयत के आधार पर अपने आक्षेपित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 दशरथ साहू, खसरा संख्या 61/14,291/1, बी/2, 291/1, एम/2, 291/4 कुल खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 0.457 हेक्टेयर और खसरा संख्या 291/1, टी/3, क्षेत्रफल 0.101 हेक्टेयर, 2.31 एकड़ भूमि के स्वामी हैं । सुविधा के लिए, पक्षों को सिविल वाद संख्या 124-ए/2014 में उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा, जो स्वामित्व की घोषणा और स्थायी व्यादेश मंजूर करने के लिए फाइल किया गया था । वादपत्र में संक्षेप में, यह कहा गया है कि प्रतिवादीगण श्रीमती सोनिया बाई, श्रीमती मुन्नी बाई और श्रीमती पुष्पा बाई सभी बिलासपुर के निवासी हैं । उपरोक्त कंडिका में इस न्यायालय द्वारा पहले ही वर्णित वाद भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता तथा वादी श्रीमती कचरा बाई की स्व-अर्जित संपत्ति है । श्रीमती कचरा बाई का नाम आक्षेपित भूमि के स्वामित्व धारक के रूप में अभिलिखित किया गया था । आगे यह तर्क दिया गया है कि वादी ने अपने जीवनकाल तक अपनी माता की देखभाल की है, सभी अंतिम संस्कार उसके द्वारा किए गए हैं और उसके द्वारा की गई देखभाल के कारण श्रीमती कचरा बाई ने तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को वादी के पक्ष में वसीयत की थी और तब से वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है । प्रतिवादियों के पास न तो विवादित भूमि का कब्जा है और न ही वे इसके स्वामी हैं । श्रीमती कचरा बाई की मृत्यु के पश्चात्, वादी ने श्रीमती कचरा बाई द्वारा निष्पादित तारीख 28 अक्तूबर, 2010 की वसीयत के अनुसरण में, उत्तराधिकारी होने के नाते अपने नाम पर भूमि के नामान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया । वादी का नाम तारीख 10 सितंबर, 2013 को भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में नामांतरण कर दिया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपील प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने आपत्ति उद्भूत की थी कि वादी न केवल श्रीमती कचरा बाई का उत्तराधिकारी है, बल्कि वे भी श्रीमती कचरा बाई के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए, उनके नाम भी राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किए जाने चाहिए । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी के स्वामित्व वाली भूमि के स्वामित्व और हक में अवैध रूप से हस्तक्षेप

कर रहे हैं, जिसके कारण वादी को घोषणा और स्थायी व्यादेश मंजूर करने के लिए वर्तमान वाद फाइल करना आवश्यक हो गया था । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र में किए गए कथनों का खंडन करते हुए, अपना लिखित कथन फाइल किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि तारीख 28 अक्तूबर, 2010 की वसीयत कूटरचित है, इस प्रकार कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नामांतरण का आदेश अवैध है और विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है, इसलिए, तारीख 10 सितंबर, 2013 का आदेश उन पर बाध्यकारी नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को नामांतरण कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया है, वसीयत कूटरचित है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भी विरुद्ध है तथा कूटरचित वसीयत के आधार पर वादी संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है । आगे यह भी कहा गया है कि वादी ने राजस्व प्राधिकारी के समक्ष एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि वह अपने माता-पिता का एकमात्र पुत्र है तथा उसके अलावा उसके माता-पिता के विवाह से कोई अन्य संतान पैदा नहीं हुई है और वादी द्वारा फाइल शपथपत्र के आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया गया है जो कि अवैध है तथा सिविल वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई है । प्रतिवादियों ने अपना प्रतिदावा फाइल करते हुए दावा किया है कि हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा के अनुसार, वादी को संपत्ति में उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं है, पुत्रियां भी संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार हैं । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने तर्क दिया है कि विवादित भूमि पैतृक संपत्ति है, इसलिए, वे भी इस भूमि के सहदायिक हैं, इसलिए, राजस्व प्राधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित आदेश अवैध है और इसे विचारण न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाना चाहिए । विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और अभिलेख पर विद्यमान सामग्री पर विचार करते हुए, वादी द्वारा फाइल वाद को डिक्री कर दिया, यह घोषित करते हुए कि वादी, वाद भूमि का हक धारक है तथा प्रतिवादियों को वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री, तारीख 18 मार्च, 2015 द्वारा विवादित भूमि के विभाजन के लिए प्रतिवादियों के प्रतिदावे को खारिज कर दिया, जिसे प्रतिवादियों द्वारा सिविल प्रक्रिया

संहिता की धारा 96 के अधीन प्रथम अपील में चुनौती दी गई है । न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विषय पर विधि पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि वसीयत (प्रदर्श पी-1) की वैधता, विधि के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं हुई है और संदिग्ध परिस्थितियां अभिलेख पर उपलब्ध हैं, जिन्हें वादी द्वारा अभिलेख पर सामग्री प्रस्तुत करके स्पष्ट नहीं किया गया है । इसलिए, निर्णय और डिक्री जहां तक यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी वाद भूमि, खसरा संख्या 61/14, 291/1, बी/2, 291/1, एम/2, 291/4 कुल खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 0.457 हेक्टेयर और खसरा संख्या 291/1, टी/3, क्षेत्रफल 0.101 हेक्टेयर, 2.31 एकड़ है, का स्वामी है, को अपास्त किया जाता है । विवाद्यक संख्या 2 पर निर्णय करने के लिए, इस न्यायालय के लिए वर्ष 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों को उद्धृत करना समीचीन है, जो इस प्रकार है – सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण – (1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005* के प्रारंभ से ही, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में, सहदायिक की पुत्री, – (क) जन्म से ही वह पुत्र के समान ही अपने अधिकार से सहदायिक बन जाएगी; (ख) सहदायिक संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो पुत्र होने पर उसे प्राप्त होते; (ग) उक्त सहदायिक संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान दायित्वों के अधीन होगा, तथा हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के प्रति किसी संदर्भ में सहदायिक की पुत्री के प्रति संदर्भ सम्मिलित समझा जाएगा, परंतु कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात 20 दिसंबर, 2004 से पूर्व हुए संपत्ति के विभाजन या वसीयती निराकरण सहित किसी निराकरण या अन्य संक्रामण को प्रभावित या अवैध नहीं करेगी । (2) कोई संपत्ति, जिस पर कोई हिन्दू स्त्री उपधारा (1) के आधार पर हकदार हो जाती है, उसके द्वारा सहदायिक स्वामित्व के साथ धारित की जाएगी और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संपत्ति मानी जाएगी जिसका उसके द्वारा वसीयती व्ययन द्वारा व्ययन किया जा सकता है । (3) जहां हिंदू उत्तरधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पश्चात् किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षरा विधि

द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा, और सहदायिक संपत्ति इस प्रकार विभाजित मानी जाएगी मानो विभाजन हो चुका हो और, – (क) पुत्री को वही हिस्सा आवंटित किया जाएगा जो पुत्र को आवंटित किया जाता है; (ख) पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री का हिस्सा, जो उन्हें विभाजन के समय जीवित रहने पर मिलता, ऐसे पूर्व-मृत पुत्र या ऐसी पूर्व-मृत पुत्री की जीवित संतान को आवंटित किया जाएगा; तथा (ग) पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री की पूर्व-मृत संतान का हिस्सा, जो उस संतान को मिलता यदि वह विभाजन के समय जीवित होती, पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री की पूर्व-मृत संतान को, जैसा भी मामला हो, आवंटित किया जाएगा । स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं । (4) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के पश्चात् कोई भी न्यायालय किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता, दादा या परदादा से बकाया किसी ऋण की वसूली के लिए के विल हिंदू विधि के अंतर्गत ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के ऐसे किसी ऋण का भुगतान करने के पवित्र दायित्व के आधार पर कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा, परंतु कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले लिए गए किसी ऋण के मामले में, इस उपधारा में निहित कोई भी बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी – (क) किसी ऋणदाता का पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार; या (ख) किसी ऐसे ऋण के संबंध में या उसकी संतुष्टि में किया गया कोई हस्तांतरण, और ऐसा कोई अधिकार या हस्तांतरण पवित्र दायित्व के नियम के अधीन उसी तरह और उसी सीमा तक लागू किया जा सकेगा जैसे वह हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अधिनियमित न होने पर लागू होता । स्पष्टीकरण – खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "पुत्र", "पौत्र" या "प्रपौत्र" पद से, यथास्थिति, उस

पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र का उल्लेख समझा जाएगा, जो हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005* के प्रारंभ से पूर्व पैदा हुआ था या गोद लिया गया था । (5) इस धारा में निहित कोई भी बात उस विभाजन पर लागू नहीं होगी जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले किया गया हो । स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विभाजन" से पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन विधिवत् पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या न्यायालय की डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है । वर्तमान प्रतिवादियों ने अपनी मां स्वर्गीय कचरा बाई द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति में सहदायिक होने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिदावा भी फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वसीयत वैध है और प्रतिवादियों के प्रतिदावे को अस्वीकार कर दिया । चूंकि, इस न्यायालय ने साक्ष्यों का अध्ययन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि वसीयत विधि के अनुसार सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए, यह न्यायालय प्रतिवादियों द्वारा फाइल प्रतिदावे की भी परीक्षा कर रहा है । यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादियों ने तारीख 12 नवंबर, 2021 को किए गए संशोधन के माध्यम से प्रतिदावे को नामंजूर करने को भी चुनौती दी है । प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए प्रतिदावा खारिज कर दिया है । इस न्यायालय ने पूर्वगामी पैरा में पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को इस सीमा तक अपास्त कर दिया है कि यह घोषित किया जाता है कि तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को वसीयत, विधि के प्रावधानों के अनुसार साबित होती है, इसलिए, वसीयत के आधार पर वादी के पक्ष में अर्जित अधिकार अपास्त किए जाने योग्य है और तद्नुसार, इसे अपास्त किया जाता है । अपीलार्थियों/प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41, नियम 27 सपठित धारा 151 के अधीन अतिरिक्त दस्तावेज अभिलेख पर पेश करने के लिए आवेदन भी फाइल किया है, जिसमें कहा गया है कि अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थियों/प्रतिवादियों ने आदेश 1, नियम 10(2) सी.पी.सी. के अधीन एक आवेदन फाइल किया है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ने हेमंत

कुमार जायसवाल के पक्ष में कुल 10 डेसीमल भूमि बेची है, इसलिए उन्हें मामले में पक्षकार बनाया गया है । इस न्यायालय ने तारीख 28 जनवरी, 2020 के आदेश के अधीन प्रतिवादी संख्या 3 हेमंत कुमार जायसवाल को प्रस्तावित नोटिस जारी किया था और नोटिस के अनुसरण में, विद्वान् काउंसेल ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थिति अभिलिखित कराई है, इस न्यायालय ने तारीख 11 नवंबर, 2021 को आवेदन मंजूर कर लिया है और हेमंत कुमार जायसवाल को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है । उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि खसरा संख्या 291/1 और 9523/2 की भूमि का विक्रय भी इस अपील के निर्णय के अध्यधीन होगी । इस तथ्य को वादी द्वारा अस्वीकार किया गया है, लेकिन विक्रय विलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 291/1 और 9523/2 में से लगभग 0.040 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को बेची गई है । जो भूमि पहले ही प्रतिवादी संख्या 3 को बेची जा चुकी है, यदि वह वादग्रस्त भूमि का भाग है तो .040 हेक्टेयर भूमि वादी के हिस्से से समायोजित/कम कर दी जाएगी । विषय पर तथ्यों और विधि को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों द्वारा फाइल प्रतिदावा मंजूर किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्रीमती सोनिया बाई, श्रीमती मुन्नी बाई, श्रीमती पुष्पा बाई और वादी दशरथ साहू, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन के अनुसार संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं । (पैरा 22, 23, 24, 25, 28 और 29)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020] 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 464 :
कविता कंवर बनाम **श्रीमती पामेला मेहता** ; 20

[2020] (2020) 9 एस. सी. सी. 1 :
विनीता शर्मा बनाम **राकेश शर्मा और अन्य** । 27

सिविल (अपीली) अधिकारिता : 2015 की प्रथम अपील सं. 95.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री अमन शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से श्री समीर शर्मा, उप-शासकीय अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से श्री दशरथ प्रजापति अधिवक्ता

न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास – यह प्रथम अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन अपीलार्थियों/प्रतिवादियों द्वारा पांचवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर, जिला बिलासपुर द्वारा सिविल वाद संख्या 124-ए/2014 में पारित तारीख 18 मार्च, 2015 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके अधीन विद्वान् विचारण न्यायालय ने वादी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा फाइल किए गए वाद को खारिज कर दिया था तथा अपीलार्थियों/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा फाइल प्रतिदावे को खारिज कर दिया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने वसीयतकर्ता स्वर्गीय कचरा बाई, जो वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता थी, द्वारा तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को निष्पादित वसीयत के आधार पर अपने आक्षेपित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 दशरथ साहू, खसरा संख्या 61/14,291/1, बी/2, 291/1, एम/2, 291/4 कुल खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 0.457 हेक्टेयर और खसरा संख्या 291/1, टी/3, क्षेत्रफल 0.101 हेक्टेयर, 2.31 एकड़ भूमि के स्वामी हैं ।

2. सुविधा के लिए, पक्षों को सिविल वाद संख्या 124-ए/2014 में उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा, जो स्वामित्व की घोषणा और स्थायी व्यादेश मंजूर करने के लिए फाइल किया गया था ।

3. वादपत्र में संक्षेप में, यह कहा गया है कि प्रतिवादीगण श्रीमती सोनिया बाई, श्रीमती मुन्नी बाई और श्रीमती पुष्पा बाई सभी बिलासपुर के निवासी हैं । उपरोक्त कंडिका में इस न्यायालय द्वारा पहले ही वर्णित वाद भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता तथा वादी श्रीमती कचरा बाई की स्व-अर्जित संपत्ति है । श्रीमती कचरा बाई का नाम आक्षेपित भूमि के स्वामित्व धारक के रूप में अभिलिखित किया गया था । आगे यह तर्क दिया गया है कि वादी ने अपने जीवनकाल तक अपनी माता की देखभाल की है, सभी अंतिम संस्कार उसके द्वारा किए गए हैं

और उसके द्वारा की गई देखभाल के कारण श्रीमती कचरा बाई ने तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को वादी के पक्ष में वसीयत की थी और तब से वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है । प्रतिवादियों के पास न तो विवादित भूमि का कब्जा है और न ही वे इसके स्वामी हैं । श्रीमती कचरा बाई की मृत्यु के पश्चात्, वादी ने श्रीमती कचरा बाई द्वारा निष्पादित तारीख 28 अक्तूबर, 2010 की वसीयत के अनुसरण में, उत्तराधिकारी होने के नाते अपने नाम पर भूमि के नामान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया । वादी का नाम तारीख 10 सितंबर, 2013 को भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में नामान्तरण कर दिया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपील प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने आपत्ति उद्भूत की थी कि वादी न केवल श्रीमती कचरा बाई का उत्तराधिकारी है, बल्कि वे भी श्रीमती कचरा बाई के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए, उनके नाम भी राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किए जाने चाहिए ।

4. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी के स्वामित्व वाली भूमि के स्वामित्व और हक में अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके कारण वादी को घोषणा और स्थायी व्यादेश मंजूर करने के लिए वर्तमान वाद फाइल करना आवश्यक हो गया था ।

5. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र में किए गए कथनों का खंडन करते हुए, अपना लिखित कथन फाइल किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि तारीख 28 अक्तूबर, 2010 की वसीयत कूटरचित है, इस प्रकार कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नामांतरण का आदेश अवैध है और विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है, इसलिए, तारीख 10 सितंबर, 2013 का आदेश उन पर बाध्यकारी नहीं है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को नामांतरण कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया है, वसीयत कूटरचित है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भी विरुद्ध है तथा कूटरचित वसीयत के आधार पर वादी संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है । आगे यह भी कहा गया है कि वादी ने राजस्व प्राधिकारी के समक्ष एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि वह अपने माता-पिता का एकमात्र पुत्र है तथा उसके अलावा उसके माता-पिता के विवाह से कोई अन्य संतान

पैदा नहीं हुई है और वादी द्वारा फाइल शपथपत्र के आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया गया है जो कि अवैध है तथा सिविल वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गई है । प्रतिवादियों ने अपना प्रतिदावा फाइल करते हुए दावा किया है कि हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा के अनुसार, वादी को संपत्ति में उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं है, पुत्रियां भी संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार हैं । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने तर्क दिया है कि विवादित भूमि पैतृक संपत्ति है, इसलिए, वे भी इस भूमि के सहदायिक हैं, इसलिए, राजस्व प्राधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित आदेश अवैध है और इसे विचारण न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाना चाहिए ।

6. पक्षों के तर्को पर, विचारण न्यायालय ने आठ विवाद्यक विरचित किए हैं । विवाद्यक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वर्तमान अपील में उद्भूत हुए विवाद के निर्णय के लिए सुसंगत हैं, इसलिए, उन्हें नीचे उद्धृत किया जा रहा है :–

(i) क्या वाद भूमि खसरा संख्या 61/14, 291/1, बी/2, 291/1, एम/2, 291/4 कुल खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 0.457 हेक्टेयर और खसरा संख्या 291/1, टी/3, क्षेत्रफल 0.101 हेक्टेयर, 2.31 एकड़ मृतका स्व. कचरा बाई की स्व-अर्जित संपत्ति है ?

(ii) क्या मृतक कचरा बाई ने वादी के नाम पर वसीयत निष्पादित की ?

(iii) क्या वादी अपनी वसीयत के आधार पर वाद भूमि के संबंध में घोषणा की डिक्री और स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का हकदार है ?

(iv) क्या वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत कूटरचित है तथा इसका क्या प्रभाव पड़ता है ?

(v) क्या वादी और प्रतिवादी संयुक्त रूप से वाद-संपत्ति के संबंध में घोषणा का अनुतोष पाने के हकदार हैं ।

7. वादी ने स्वयं (अभि. सा. 1) के रूप में, अमरनाथ साहू (अभि. सा. 2) वसीयत का अनुप्रमाणन साक्षी है, त्रिभुवन साहू (अभि. सा. 3)

वसीयत का लेखक है, दल्लुराम साहू (अभि. सा.4) अनुप्रमाणन साक्षी संख्या 2 है, भगत साहू (अभि. सा. 5) अनुप्रमाणन साक्षी संख्या 3 है, का सत्यापन किया, रामचंद्र साहू (अभि. सा. 6) अनुप्रमाणन साक्षी संख्या 5 है, प्रदर्श दस्तावेज डीडब्ल्यू-1, तारीख 28 अक्तूबर, 2020 का वसीयत है, राजस्व मामले का आदेश पत्र (प्रदर्श पी-2), तहसीलदार द्वारा पारित आदेश तारीख 10 सितंबर, 2013 (प्रदर्श पी-3) । प्रतिवादियों ने श्रीमती सोनिया बाई की परीक्षा की और दस्तावेज नामांतरण आवेदन (प्रदर्श पी-1), पंचनामा (प्रदर्श पी-2), वंश वृक्ष (प्रदर्श पी-2), भौतिक जांच रिपोर्ट घोषणा (प्रदर्श पी-4), दशरथ साहू का शपथपत्र (प्रदर्श पी-5), भगत का शपथपत्र (प्रदर्श पी-6), राजस्व मामले का आदेश पत्र (प्रदर्श पी-7), तहसीलदार का आदेश तारीख 08 मार्च, 2013 (प्रदर्श पी-8), वादी द्वारा तारीख 30 जनवरी, 2013 को निष्पादित शपथपत्र (प्रदर्श पी-9), तारीख 28 जून, 2013 को निष्पादित शपथपत्र (प्रदर्श पी-10) को प्रदर्शित किया ।

8. विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और अभिलेख पर विद्यमान सामग्री पर विचार करते हुए, वादी द्वारा फाइल वाद को डिक्री कर दिया, यह घोषित करते हुए कि वादी, वाद भूमि का हक धारक है तथा प्रतिवादियों को वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री, तारीख 18 मार्च, 2015 द्वारा विवादित भूमि के विभाजन के लिए प्रतिवादियों के प्रतिदावे को खारिज कर दिया, जिसे प्रतिवादियों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन प्रथम अपील में चुनौती दी गई है ।

9. प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने वसीयत को साबित करने के संबंध में साक्ष्य, अभिलेख पर की सामग्री और विधि का मूल्यांकन नहीं किया । प्रतिवादियों ने वसीयत पर संदेह जताया है और वादी संदेह को हटाने में विफल रहा है । विचारण न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि श्रीमती कचरा बाई ने तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को वसीयत निष्पादित की थी और थोड़े समय के अंतराल में ही तारीख 24 नवंबर, 2010 को उनकी मृत्यु हो गई, इससे यह संदेह पैदा होता है कि

क्या श्रीमती कचरा बाई अंगूठे का निशान लगाने के लिए चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से स्वस्थ थी और यह भी संदेहास्पद है कि उन्होंने वसीयत निष्पादित किया था । वसीयतकर्ता की पुत्री को वसीयत के निष्पादन के बारे में सितंबर, 2013 तक पता नहीं था, जब नामान्तरण का आदेश पारित किया गया तथा वसीयत (प्रदर्श पी-1) लगभग तीन वर्षों तक प्रकाशित नहीं हुई । प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया है कि वसीयत के निष्पादन के संबंध में निष्कर्ष विपरीत है तथा इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है । उन्होंने आगे निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों, जो संपत्ति के सह-उत्तराधिकारी हैं, को हिस्सा न देकर अवैधता कारित की है और उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की है ।

10. दूसरी ओर वादी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा डिक्री विधिक, न्यायानुमत है तथा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । वसीयत, विधि के अनुसार साबित हो गई है तथा इस न्यायालय द्वारा भारी लागत के साथ अपील खारिज किए जाने योग्य है ।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना है, दस्तावेज़ों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

12. उपर्युक्त कथित तथ्यात्मक आधारों पर इस न्यायालय द्वारा दो विवाद्यकों का अवधारण करना है; (i) क्या वसीयत साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (ग) के प्रावधानों के अनुसार साबित हो गई है । (ii) क्या प्रतिवादी, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, सहदायिक होने के नाते वाद भूमि में बराबर हिस्सा पाने के हकदार हैं ।

13. विवाद्यक संख्या 1 को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस न्यायालय के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (ग) के प्रावधानों को उद्धृत करना समीचीन है, जो निम्नानुसार हैं :–

साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 जो निम्नलिखित है –

> "68. ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है – यदि किसी दस्तावेज को विधि द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है, तो उसे साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके निष्पादन को साबित करने के प्रयोजन के लिए कम से कम एक सत्यापनकर्ता साक्षी को नहीं बुलाया जाता है, यदि सत्यापनकर्ता साक्षी जीवित हो, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो तथा साक्ष्य देने में समर्थ हो :
>
> परन्तु किसी दस्तावेज के, जो वसीयत नहीं है, तथा जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत किया गया है, निष्पादन के सबूत के लिए सत्यापनकर्ता साक्षी को बुलाना आवश्यक होगा, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा उसके निष्पादन से, जिसके द्वारा उसके निष्पादित किए जाने का तात्पर्य है, विशेष रूप से इनकार नहीं कर दिया जाता है ।"

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (ग) – वसीयत को दो या अधिक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिह्न लगाते देखा है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की है; और प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित हों, और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं होगा ।

14. श्रीमती कचरा बाई पति स्व. जेठूराम साहू ने 28 अक्तूबर,

2010 को वसीयत निष्पादित की है, वसीयत का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत है :–

वसीयतनामा

मन से मैं कचरा बाई-विधवा स्वर्गीय श्री जेठू राम साहू उम्र 82 वर्ष साकिन सकरी, तहसील, तखतपुर, जिला बिलासपुर की निवासी हूं । जो की मेरी उम्र अत्यधिक हो जाने के कारण में अपनी हक की जमीन जो ग्राम मौजा में स्थित है उसे अपने जीवन काल में ही एक भाग दशरथ साहू पुत्र श्री जेठु साहू उम्र 55 वर्ष ग्राम मौजा सरकरी को इस शर्त पर वसीयत कर रही हूं,

(1) मेरी उम्र अधिक हो चुकी है, फिर भी मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, और अपने जीवन काल में वसीयत कर रही हूं,

(2) यह कि मृत्य के उपरांत सेवा करेगा तथा मृत्यु पर अंतिम संस्कार कर, सामाजिक भोज और पिंडदान करेगा,

(3) यह कि मेरे नाम पर ग्राम मौजा सकरी स्थित पटवारी अभिलेख में समस्त अभिलिखित कृषि भूमि जो 6 डोली वह एक किता खपरैल मकान को वसीयत करती हूं,

(4) यह कि मेरी मृत्यु पश्चात् समस्त कृषि भूमि पर हकदार होगा वह अपना नाम पटवारी अभिलेख में अभिलिखित करा लेगा ।

(5) यह कि मेरी कृषि भूमि पर मृत्यु पश्चात् अन्य कोई रिश्तेदार का हक़ वह दावा नहीं कर सकेगा यदि दावा हक़ करेगा उस परिस्थिति में झूठा व अवैध होगा ।

अतः उक्त वसीयतनामा दो साक्षियों के समक्ष अपनी राजी-खुशी, होशहवास में रहकर वसीयतनामा लिखवा दिया और अपना अंगूठा निशान लगा दिया ।

त्रिभुवन साहू **सही/-**

तारीख 28 अक्तूबर, 2010 **नि .अ। कचरा बाई**

15. प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने विचारण के दौरान अभिलिखित साक्ष्य तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री से वसीयत के निष्पादन में निम्नलिखित संदेहास्पद परिस्थितियों को प्रस्तुत किया है । इन्हें संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है :–

(i) वसीयत की तारीख और वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख बहुत करीब होने से वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति पर संदेह होता है क्योंकि वसीयतकर्ता की मृत्यु तारीख 24 नवंबर, 2010 को हो गई थी और वसीयत तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को निष्पादित की गई थी ।

(ii) अनुप्रमाणक, प्रथम वादी, अर्थात् वसीयत के प्रतिपादक को जानता है, किन्तु मृतक वसीयतकर्ता को नहीं ।

(iii) यह कि तारीख 28 अक्तूबर, 2010 (प्रदर्श पी-1) की वसीयत श्रीमती कचरा बाई द्वारा दशरथ साहू के पक्ष में निष्पादित की गई थी, जो वसीयत के लाभार्थी थे और प्रतिपरीक्षा में वादी ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उसकी सगी बहनें हैं, लेकिन उसने नामांतरण कार्यवाही में अपनी बहनों के बारे में खुलासा नहीं किया है ।

(iv) उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पारिवारिक वंश वृक्ष (प्रदर्श डी-2) में उन्होंने अपनी बहनों के बारे में उल्लेख नहीं किया है ।

(v) वसीयत के निष्पादन के समय उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि उनकी माता स्वस्थ और स्वस्थ चित्त थीं । साक्षी अमरनाथ साहू (अभि.सा.-2) ने भी यह नहीं कहा है कि कचरा बाई स्वस्थ और स्वस्थ चित्त थीं और वह वसीयत निष्पादित करने में सक्षम थी । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसने बताया कि दशरथ साहू उसका वास्तविक रिश्तेदार नहीं है, बल्कि उसी गांव का निवासी होने के कारण उसे भतीजा मानता है । इस साक्षी ने स्वेच्छा से अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि कचरा बाई ने स्वयं उसे बताया था कि उसने संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी पुत्रियों को

दिया था तथा उसने केवल दशरथ साहू के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि वादी की तीन बहनें हैं, लेकिन यह नहीं बताया है कि उसने राजस्व न्यायालय, सकरी के समक्ष अभिलिखित बयान में इस तथ्य का खुलासा क्यों नहीं किया है ।

(vi) वसीयत का लेखक त्रिभुवन साहू (अभि. सा. 3) ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि वसीयत का प्रारूप, निष्पादनकर्ता श्रीमती कचरा बाई के निर्देश पर लिखा गया है ।

(vii) वादी के दामाद दल्लूराम साहू (अभि. सा. 4) अनुप्रमाणन साक्षी सं. 2 ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पंचनामा (प्रदर्श डी-2) में उसने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया है कि (प्रदर्श डी-2) में वादी की बहनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, गलत है ।

(viii) भगत साहू (अभि. सा. 5) जो कि दशरथ साहू के चाचा हैं, ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि मृतका अशिक्षित महिला थी, उसने अभिदाता से वसीयत लिखने को कहा था और उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि श्रीमती कचरा बाई स्वस्थ थी और वसीयत निष्पादित करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थीं, वे वसीयत की विषयवस्तु को समझने में सक्षम थीं । ये तथ्य और परिस्थितियां वसीयत पर अत्यधिक संदेह उत्पन्न करती हैं, जिसके बारे में वादी ने संदेह को दूर नहीं किया है, इस प्रकार, वसीयत के निष्पादन की परिस्थितियां हैं ।

16. प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु तारीख 24 नवंबर, 2010 को हो गई थी और वसीयत (प्रदर्श पी-1) तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को लिखी गई थी, लेकिन वसीयत के निष्पादन के बारे में बहनों को तब तक नहीं बताया गया था, जब तक कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरित नहीं हो गया है । इससे वसीयत पर संदेह उत्पन्न होता है और वादी को यह संदेह दूर करना चाहिए था, जो वह करने में बुरी तरह से विफल रहा

है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी कहा कि श्रीमती सोनिया बाई, जो प्रतिवादी संख्या 1 हैं, ने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वादी ने इस तथ्य को छिपाते हुए कि वसीयतकर्ता श्रीमती कचरा बाई और जेठूराम साहू के विवाह से तीन पुत्रियां भी पैदा हुई थीं, वादी ने भूमि का अपने नाम में नामांतरण करा लिया । वादी ने इस तथ्य को नामांतरण कार्यवाहियों में छिपा अन्य बच्चों के नामों का उल्लेख नहीं करने से स्वयमेव ही संदेह उत्पन्न करता है । व्यापक प्रतिपरीक्षा की गई है, लेकिन प्रतिवादियों से वसीयत की असलियत के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया ।

17. दूसरी ओर, वादी के विद्वान् काउंसेल यह निवेदन किया है कि वसीयत विधि के प्रावधानों के अनुसार साबित हो गई है, सभी अनुप्रमाणन करने वाले साक्षियों, वसीयत के लेखक की परीक्षा की गई है और वसीयत के अस्तित्व पर अविश्वास करने के लिए कोई सबूत अभिलेख पर नहीं लाया गया है, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा यथाअभिलिखित निष्कर्ष न तो अनुचित है और न ही अभिलेख के विपरीत है जिसके कारण इस न्यायालय का हस्तक्षेप अपेक्षित है ।

18. साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण और अमरनाथ साहू (अभि. सा. 2) और त्रिभुवन साहू (अभि. सा. 3) के साक्ष्य पर विचार करने से, उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा है कि वसीयत, वसीयतकर्ता के निर्देशानुसार लिखी गई है और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि साक्षियों ने अपने साक्ष्य में कहीं भी यह नहीं कहा है कि वसीयतकर्ता ने उनकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं । यहां यह उल्लेख करना उचित है कि त्रिभुवन साहू (अभि. सा. 3) और दल्लूराम साहू (अभि. सा. 4) के कथन से यह स्पष्ट है कि वसीयत के लेखक ने कहीं भी यह पृष्ठांकित नहीं किया है कि वसीयत, वसीयतकर्ता के निर्देश पर लिखी गई है, इसलिए, वसीयत के अस्तित्व के संबंध में संदिग्ध परिस्थितियां सिद्ध होती है । यह स्पष्ट है कि (प्रदर्श डी-1) आवेदन, जो कि दाखिल खारिज के लिए राजस्व न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया था, जिसमें प्रतिवादियों ने इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि बहनें अभी भी जीवित हैं, पक्षकार नहीं बनाया है, यह निश्चित रूप से वसीयत की असलियत पर संदेह उत्पन्न करता है ।

19. विचारण न्यायालय ने वसीयत के कूटरचित न होने के साक्ष्य को अभिलिखित करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि प्रतिवादियों ने अपने समर्थन में केवल एक साक्षी श्रीमती सोनिया बाई की परीक्षा कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुत्रियों को नामांतरण कार्यवाही में पक्षकार के रूप में नहीं रखा गया है, जो यह घोषित करने का आधार नहीं हो सकता कि वसीयत कूटरचित है और उन्होंने वादी के पक्ष में विवाद्यक का उत्तर दिया । यह विधि को गलत तरीके से लागू करना है, क्योंकि इसके लिए प्रतिपादक को यह दर्शाना था कि वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे और वसीयतकर्ता सुसंगत समय पर स्वस्थ और शांत मानसिक स्थिति में था । यह सिद्ध करना प्रतिपादक का कार्य था कि वसीयतकर्ता व्ययन की प्रकृति और प्रभाव को समझता था तथा अपनी स्वतंत्र इच्छा से हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया था । वादी द्वारा अभिलेख पर लाए गए ऐसे साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी ने वसीयत पर संदेह दूर कर दिया है ।

20. अपीलार्थियों/प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने **कविता कंवर** बनाम **श्रीमती पामेला मेहता**[1] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "29.2 दी गई स्थिति में, एक बुनियादी प्रश्न तुरंत उद्भूत होता है कि क्या कारण हो सकता है कि वसीयतकर्ता अपनी अन्य दो संतानों की अपेक्षा अपीलकर्ता को अधिक हिस्सा देकर अपनी सम्पत्ति का असमान वितरण करना चाहती है । अपीलार्थी ने सुझाव दिया है कि माता-पिता को उसके प्रति विशेष स्नेह था । यदि इस सुझाव को उसके प्रथमदृष्ट्या मान लिया जाए, तो भी यह मान लेना कठिन है कि एक बच्चे के प्रति कथित विशेष स्नेह, उसी माता द्वारा अन्य बच्चों के प्रति अनिवार्यतः घृणा के अनुरूप होना चाहिए । यहां तक कि यदि माता-पिता को अपीलकर्ता के प्रति विशेष पसंद और स्नेह था, जैसा कि पिता द्वारा प्रश्नगत संपत्ति के भूतल को उसके पक्ष में दिए गए उपहार के संदर्भ में

[1] 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 464.

तर्क दिया जा सकता है, तो यह मान लेना अतिशयोक्तिपूर्ण और अप्राकृतिक होगा कि अपीलकर्ता के प्रति इस तरह के विशेष स्नेह के कारण, मां अन्य बच्चों से बहुत दूर चली गई, जिसमें विधवा पुत्री भी शामिल है, जो उसी घर की ऊपरी मंजिल पर रहती थी और उसकी देखभाल कर रही थी । सामान्य और स्वाभाविक रूप से, एक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपने देखभाल करने वाले बच्चे के प्रति अधिक झुकाव रखता है; और यह मान लेना बहुत अवास्तविक होगा कि एक, शायद नीली आंखों वाले, बच्चे के प्रति विशेष प्रेम और स्नेह के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति सेवारत और जरूरतमंद बच्चे को बेसहारा छोड़ देगा । जैसा कि देखा गया है, संपत्ति का अनुचित निराकरण या विधि उत्तराधिकारियों, विशेषकर आश्रितों का अनुचित बहिष्कार, एक संदिग्ध परिस्थिति मानी जाती है । अपीलकर्ता ऐसा कोई भी कारण बताने में असफल रहा है जिसके कारण वसीयतकर्ता ने अपनी विधवा पुत्री को अनिश्चितता के घेरे में छोड़ना उचित समझा होगा, जैसा कि संबंधित वसीयत में उल्लेखित है । इसी प्रकार, वसीयतकर्ता और उसके पुत्र (प्रतिवादी संख्या 2) के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता की कमी का सुझाव भी अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है । वसीयतकर्ता द्वारा अपने पुत्र को जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजने तथा उसके साथ पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के तथ्य, भले ही माता और उसके पुत्र के बीच बहुत अच्छा संबंध स्थापित नहीं करते हों, लेकिन कम से कम वे उनके संबंधों में किसी तनाव के सुझाव को झूठलाते हैं । जैसा भी हो, भले ही वसीयतकर्ता के पुत्र से संबंधित मामले को आगे विस्तारित न किया जाए, फिर भी यह समझ से परे है कि वसीयतकर्ता अपनी विधवा पुत्री (प्रतिवादी संख्या 1) के लिए पर्याप्त और ठोस प्रावधान करने में रुचि क्यों नहीं रखती होगी ।

29.3 संपत्ति के अस्पष्टीकृत असमान वितरण का उपरोक्त कारक, वसीयत बनाने से संबंधित दो प्रमुख कारकों से उलझ जाता है: प्रथम, इस प्रक्रिया में अपीलकर्ता द्वारा निभाई गई सक्रिय

भूमिका; और दूसरा, इस प्रक्रिया में वसीयतकर्ता के अन्य बच्चों का वस्तुतः बहिष्कार । जैसा कि उल्लेख किया गया है, वसीयत-नामें में लाभार्थी द्वारा सक्रिय या अग्रणी भूमिका निभाना हमेशा संदेह को जन्म देने वाली परिस्थिति मानी जाती है, लेकिन किसी भी अन्य परिस्थिति की तरह, इसे प्रस्तावक और/या लाभार्थी द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है । वर्तमान मामले में, यह विवाद का विषय नहीं है कि वसीयतकर्ता के तीन बच्चों में से, अपीलकर्ता अकेला ही तारीख 20 मई, 2003 को वसीयत के निष्पादन के समय उपस्थित था । जैसा कि देखा गया, सुसंगत समय पर, अपीलकर्ता लगभग 20-22 वर्षों से दूर और एक अलग इलाके में रह रहा था, जबकि वसीयतकर्ता इमारत के भूतल पर रह रहा था और प्रतिवादी संख्या 1 पहली मंजिल पर था । यहां तक कि यदि हम शिमला में रहने वाली प्रतिवादी संख्या 2 के मामले को छोड़ भी दें, तो भी कोई कारण नहीं था कि सामान्य और साधारण क्रम में, वसीयतकर्ता ने प्रश्नगत वसीयत के निष्पादन में प्रतिवादी संख्या 1 को शामिल न किया होता, विशेषकर तब जब प्रतिवादी संख्या 1 के कल्याण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रही थी । दूसरे शब्दों में, यदि विचाराधीन वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा किए बिना बनाई जा रही थी, तो उसे इस प्रक्रिया से दूर रखने का कोई कारण नहीं था । यह स्वीकार किया जाता है, उक्त वसीयत को लगभग तीन वर्षों तक सार्वजनिक नहीं किया गया था । इसलिए, वसीयत के निष्पादन से जुड़ी एक अतिरिक्त तथ्य यह भी थी कि प्रतिवादी संख्या 2 को इस प्रक्रिया से अस्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था ।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 10 दिसंबर, 2021 को सिविल अपील संख्या 4270/2010 में मूर्ति बनाम सी. सरदंबल के मामले में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

(क) वसीयत (प्रदर्श पी-1) का तारीख 4 जनवरी, 1978 है । वसीयतकर्ता ई. श्रीनिवास पिल्लई का 19 जनवरी, 1978 को वसीयत के निष्पादन की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर

निधन हो गया था । यहां तक कि वसीयत के वाचन पर भी, यह ध्यान दिया जाता है कि वसीयतकर्ता ने स्वयं कहा है कि वह बीमार था तथा कमजोर हो रहा था, फिर भी कहा जाता है कि उसने स्वयं वसीयत "लिखी" थी जो विश्वसनीय नहीं है । वसीयत के प्रमाणकों में से एक, अभि. सा. 2 द्वारा यह अपदस्थ कर दिया गया है कि वसीयत को पंजीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि वसीयतकर्ता अस्वस्थ था तथा वास्तव में, वह बिस्तर पर था । साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि वसीयतकर्ता को लकवाग्रस्त स्ट्रोक हुआ था, जिससे उसकी बोलने की क्षमता, दाहिने हाथ और दाहिने पैर की गतिशीलता प्रभावित हुई थी । अपनी मृत्यु के पहले वे दस माह तक बिस्तर पर पड़े रहे थे । उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या वसीयतकर्ता वसीयत बनाते समय, जो कि उसकी मृत्य से पंद्रह दिन पूर्व की बात है, स्वस्थ और शांत मानसिक स्थिति में था ।

(ख) वसीयतकर्ता का इलाज करने वाले डॉक्टर का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है, जिससे यह साबित हो सके कि वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता स्वस्थ और स्वस्थ अवस्था में था ।

(ग) यह तथ्य कि वसीयतकर्ता की वसीयत के निष्पादन तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर मृत्य हो गई, वसीयतकर्ता की सोचने की क्षमता तथा शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओ पर संदेह पैदा करता है । न्यायालय के मन में उक्त संदेह को वसीयत के प्रस्तावक अर्थात् प्रथम वादी द्वारा कोई भी विपरीत चिकित्सीय साक्ष्य अथवा उस चिकित्सक का साक्ष्य प्रस्तुत करके दूर नहीं किया गया है, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु से पूर्व उसका उपचार कर रहा था ।

(घ) इस संदर्भ में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 पर भरोसा करना उपयोगी होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करना होगा

और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर ऐसे होने चाहिए कि वह वसीयत के लेखन को प्रभावी बनाने का "आशय़" रखता हो । अतः वसीयतकर्ता के वसीयतनामा बनाने के आशय़ को साबित करके वसीयत की वास्तविकता को साबित किया जाना चाहिए तथा इस हेतु, एक वैध वसीयतनामा बनाने हेतु जिन सभी कदमों की आवश्यकता होती है, उन्हें न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य देकर साबित किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत लिखने के लिए किसे निर्देश दिए थे । लेखक की भी परीक्षा नहीं की गई है । यह भी ज्ञात नहीं है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत बनाने तथा संपत्ति को केवल वसीयतकर्ता के पुत्र को देने के लिए किसी काउंसेल या किसी अन्य भरोसेमंद व्यक्ति की सहायता ली गई थी या नहीं ।

(ङ) इसके अलावा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (ग) में से पहले कहा गया है कि वसीयत को दो या दो से अधिक साक्षीयों/सत्यापनकर्ताओ द्वारा सत्यांपित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक को वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को उसकी उपस्थिति में देखना चाहिए था, या वसीयतकर्ता से वसीयत पर अपने हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है । दूसरे, प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक ही समय में एक से अधिक साक्षी उपस्थित हों, और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं है । किसी वसीयत को उसके निष्पादन की दृष्टि से वैध बनाने के लिए उपरोक्त दो अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है । वर्तमान मामले में दो सत्यापनकर्ता हैं, जिनके नाम अभि. सा. 2 वरदान और दक्षिणमूर्ति हैं तथा बाद वाले की मृत्यु हो चुकी है । अभिलेख पर साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अनुसार होना चाहिए, जो उन दस्तावेजों के प्रमाण से संबंधित है जिनके लिए सत्यापन अनिवार्य है । वसीयत जैसे दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए, उसे सत्यापित करने वाले कम से कम एक

साक्षी को उसके निष्पादन के सबूत के उद्देश्य से साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाना चाहिए । चूंकि वसीयत के सत्यापनकर्ताओं में से एक, दक्षिणमूर्ति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए अभि. सा. 2, वरदान ने वसीयत के सत्यापनकर्ताओं में से एक के रूप में अपना साक्ष्य दिया था । हालांकि, अभि. सा. 2 का अभिसाक्ष्य ऐसा है कि यह वादी के मामले के लिए घातक है ।

22. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, विषय पर विधि पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि वसीयत (प्रदर्श पी-1) की वैधता, विधि के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं हुई है और संदिग्ध परिस्थितियां अभिलेख पर उपलब्ध हैं, जिन्हें वादी द्वारा अभिलेख पर सामग्री प्रस्तुत करके स्पष्ट नहीं किया गया है । इसलिए, निर्णय और डिक्री जहां तक यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी वाद भूमि, खसरा संख्या 61/14, 291/1, बी/2, 291/1, एम/2, 291/4 कुल खसरा संख्या 4 क्षेत्रफल 0.457 हेक्टेयर और खसरा संख्या 291/1, टी/3, क्षेत्रफल 0.101 हेक्टेयर, 2.31 एकड़ है, का स्वामी है, को अपास्त किया जाता है ।

23. विवाद्यक संख्या 2 पर निर्णय करने के लिए, इस न्यायालय के लिए वर्ष 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों को उद्धृत करना समीचीन है, जो इस प्रकार है :–

6. सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण –

(1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005* के प्रारंभ से ही, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में, सहदायिक की पुत्री, –

(क) जन्म से ही वह पुत्र के समान ही अपने अधिकार से सहदायिक बन जाएगी ;

(ख) सहदायिक संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो पुत्र होने पर उसे प्राप्त होते ;

(ग) उक्त सहदायिक संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान दायित्वों के अधीन होगा, तथा हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के

प्रति किसी संदर्भ में सहदायिक की पुत्री के प्रति संदर्भ सम्मिलित समझा जाएगा :

परंतु कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात 20 दिसंबर, 2004 से पूर्व हुए संपत्ति के विभाजन या वसीयती निराकरण सहित किसी निराकरण या अन्य संक्रामण को प्रभावित या अवैध नहीं करेगी ।

(2) कोई संपत्ति, जिस पर कोई हिन्दू स्त्री उपधारा (1) के आधार पर हकदार हो जाती है, उसके द्वारा सहदायिक स्वामित्व के साथ धारित की जाएगी और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संपत्ति मानी जाएगी जिसका उसके द्वारा वसीयती व्ययन द्वारा व्ययन किया जा सकता है ।

(3) जहां हिंदू उत्तरधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पश्चात् किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा, और सहदायिक संपत्ति इस प्रकार विभाजित मानी जाएगी मानो विभाजन हो चुका हो और, –

(क) पुत्री को वही हिस्सा आवंटित किया जाएगा जो पुत्र को आवंटित किया जाता है ;

(ख) पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री का हिस्सा, जो उन्हें विभाजन के समय जीवित रहने पर मिलता, ऐसे पूर्वमृत पुत्र या ऐसी पूर्व-मृत पुत्री की जीवित संतान को आवंटित किया जाएगा ; तथा

(ग) पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री की पूर्व-मृत संतान का हिस्सा, जो उस संतान को मिलता यदि वह विभाजन के समय जीवित होती, पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री की पूर्व-मृत संतान को, जैसा भी मामला हो, आवंटित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं ।

(4) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के पश्चात् कोई भी न्यायालय किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता, दादा या परदादा से बकाया किसी ऋण की वसूली के लिए केवल हिंदू विधि के अंतर्गत ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के ऐसे किसी ऋण का भुगतान करने के पवित्र दायित्व के आधार पर कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा, परंतु कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले लिए गए किसी ऋण के मामले में, इस उपधारा में निहित कोई भी बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी –

(क) किसी ऋणदाता का पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार ; या

(ख) किसी ऐसे ऋण के संबंध में या उसकी संतुष्टि में किया गया कोई हस्तांतरण, और ऐसा कोई अधिकार या हस्तांतरण पवित्र दायित्व के नियम के अधीन उसी तरह और उसी सीमा तक लागू किया जा सकेगा जैसे वह हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अधिनियमित न होने पर लागू होता ।

स्पष्टीकरण –

खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "पुत्र", "पौत्र" या "प्रपौत्र" पद से, यथास्थिति, उस पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र का उल्लेख समझा जाएगा, जो हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005* के प्रारंभ से पूर्व पैदा हुआ था या गोद लिया गया था ।

4.(5) इस धारा में निहित कोई भी बात उस विभाजन पर लागू नहीं होगी जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले किया गया हो ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विभाजन" से पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन विधिवत् पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या न्यायालय की डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है ।

24. वर्तमान प्रतिवादियों ने अपनी मां स्वर्गीय कचरा बाई द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति में सहदायिक होने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिदावा भी फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वसीयत वैध है और प्रतिवादियों के प्रतिदावे को अस्वीकार कर दिया । चूंकि, इस न्यायालय ने साक्ष्यों का अध्ययन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि वसीयत विधि के अनुसार सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए, यह न्यायालय प्रतिवादियों द्वारा फाइल प्रतिदावे की भी परीक्षा कर रहा है । यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादियों ने तारीख 12 नवंबर, 2021 को किए गए संशोधन के माध्यम से प्रतिदावे को नामंजूर करने को भी चुनौती दी है ।

25. प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए प्रतिदावा खारिज कर दिया है । इस न्यायालय ने पूर्वगामी पैरा में पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को इस सीमा तक अपास्त कर दिया है कि यह घोषित किया जाता है कि तारीख 28 अक्तूबर, 2010 को वसीयत, विधि के प्रावधानों के अनुसार साबित होती है, इसलिए, वसीयत के आधार पर वादी के पक्ष में अर्जित अधिकार अपास्त किए जाने योग्य है और तद्नुसार, इसे अपास्त किया जाता है ।

26. चूंकि वादी और प्रतिवादी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में सहदायिक हैं, इसलिए, वर्ष 2005 में संशोक्षिधत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, पुत्रियां भी अपने माता-पिता द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति में समान हिस्सा पाने की हकदार हैं । वाद भूमि, मृतक कचरा बाई को विरासत में मिली है, इसलिए प्रतिवादी और वादी, वर्ष 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने के हकदार हैं ।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **विनीता शर्मा** बनाम **राकेश शर्मा और अन्य**[1] वाले मामले में पैरा 60, 68, 69, 73, 75 और 80 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> 60. धारा 6(1) के संशोधित प्रावधानों में यह प्रावधान है कि संशोधन अधिनियम के लागू होने से पुत्री को यह अधिकार प्रदान किया जाता है । धारा 6(1)(ए) जन्म से पुत्री को "अपने अधिकार में" और "उसी तरह जैसे पुत्र को सहदायिक बनाती है । धारा 6(1)(ए) में मिताक्षरा सहदायिक की अबाधित विरासत की अवधारणा निहित है, जो जन्म के आधार पर होती है । धारा 6(1)(बी) सहदायिक संपत्ति में वही अधिकार प्रदान करती है "जो उसे पुत्र होने पर प्राप्त होता" । अधिकार का प्रदाय जन्म से होता है, तथा अधिकार उसी प्रकार दिए जाते हैं, जैसे पुत्र को सहदायिकता के साथ दिए जाते हैं, तथा उसे उसी प्रकार सहदायिक माना जाता है, जैसे जन्म के समय वह पुत्री होती है । यद्यपि, अधिकारों का दावा किया जा सकता है, परन्तु तारीख 9 सितंबर, 2005 से प्रभावी, प्रावधान पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगे ; वे पूर्ववर्ती घटना के आधार पर लाभ प्रदान करते हैं, तथा मिताक्षरा सहदायिकता विधि में सहदायिक के रूप में पुत्री का उल्लेख शामिल माना जाएगा । उसी समय पर, विधान-मंडल ने एक परन्तुक जोड़ते हुए बचाव किया है कि यदि संपत्ति का कोई व्ययन या अन्यसंक्रामण जो तारीख 20 दिसंबर, 2004 से पहले वसीयती व्ययन या अन्यसंक्रामण या विभाजन से हुआ है, जिस तारीख को विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था, तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा ।
>
> 68. सहदायिकता के सिद्धांत पर विचार करते हुए कि किसी व्यक्ति को जन्म से ही मिताक्षरा सहदायिकता के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार, पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और दायित्व के साथ सहदायिक माना गया है । धारा 6 में प्रयुक्त

[1] (2020) 9 एस. सी. सी. 1.

अभिव्यक्ति यह है कि वह, पुत्र के समान ही सहदायिक बन जाती है । दत्तक लेने से भी सहदायिक का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है । धारा 6(1)(ए) और 6(1) के प्रावधानों के अधीन अबाधित विरासत की असंहिताबद्ध हिंदू विधि की अवधारणा को ठोस रूप दिया गया है । सह-भागीदार का अधिकार जन्म से है । इस प्रकार, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि संशोधन की तारीख पर पुत्री का पिता जीवित हो, क्योंकि उसे बाधित विरासत द्वारा सहदायिक के अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं । मिताक्षरा सहदायिक हिंदू विधि के अनुसार, जिसे धारा 6(1) में मान्यताप्राप्त है, यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन की तारीख को कोई जीवित सहदायिक या पिता हो, जिसकी उत्तराधिकारिणी पुत्री होगी । अधिनियम के पहले या बाद में जन्म लेने पर पुत्री, पुत्र के समान सहदायिकता में शामिल हो जाएगी । हालांकि, इससे पहले जन्मी पुत्री इन अधिकारों का दावा केवल संशोधन की तारीख अर्थात 9 सितंबर, 2005 से ही कर सकती है, जिसमें धारा 6(1) के प्रावधान में धारा 6(5) के साथ पठित प्रावधान के अनुसार पिछले संव्यवहार को बचाया जाएगा ।

69. संशोधन का प्रभाव यह है कि संशोधन की तारीख से पुत्री को सहदायिक बनाया गया है और वह विभाजन का दावा भी कर सकती है, जो सहदायिकता का एक आवश्यक सहवर्ती है । धारा 6(1) मिताक्षर विधि द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार को मान्यता देती है । सहदायिक का तारीख 9 सितंबर, 2005 को अस्तित्व में होना आवश्यक है ताकि सहदायिक की पुत्री को उस पर प्रदत्त अधिकारों का आनंद मिल सके । चूंकि यह अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, उत्तराधिकार से नहीं, इसलिए यह असंगत है कि जिस सहदायिक की पुत्री को यह अधिकार दिया गया है, वह जीवित है या नहीं । पिता या अन्य सहदायिक की मृत्यु के आधार पर उत्तराधिकार प्रदान नहीं किया जाता है । यदि जीवित सहदायिक की मृत्यु तारीख 9 सितंबर, 2005 के बाद होती है, तो उत्तराधिकार उत्तरजीविता के आधार पर नहीं, बल्कि प्रतिस्थापित

धारा 6(3) के अनुसार निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त होगा ।

73. संपत्ति में हित जन्म से ही अर्जित किया जाता है । वर्ष 1956 से पहले सहदायिक की मृत्य पर उत्तराधिकार केवल उत्तरजीविता के आधार पर ही होता था । 1956 के बाद, महिलाएं भी आपातकालीन स्थिति में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती थीं, जिसका उल्लेख असंशोधित धारा 6 के प्रावधान में किया गया है । अब विधि के कल्पना के अनुसार पुत्रियों को सहदायिक माना जाता है । ब्याज के हस्तांतरण से किसी को भी सह-भागीदार नहीं बनाया जाता है । यह जन्म के आधार पर या दत्तक ग्रहण के माध्यम से स्पष्ट रूप से अनुमेय श्रेणी के भीतर है ; एक व्यक्ति को सहदायिक माना जाएगा, अन्यथा नहीं ।

75. यह तर्क दिया गया था कि यदि संसद का आशय़ था कि वर्ष 2005 से पहले जन्म की घटना सह-भागीदार का दर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगी, तो संसद को धारा 6(1) के परंतुक को अधिनियमित करने की आवश्यकता नहीं होगी । जब हम प्रावधानों को संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं, तो जब एक सहदायिक की पुत्री को जन्म से पुत्र के समान अधिकार दिया जाता है, तो तारीख 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुए किसी भी विभाजन या वसीयतनामा उत्तराधिकार सहित निराकरण या अलगाव को बचाना आवश्यक हो जाता है । एक पुत्री तारीख 9 सितंबर, 2005 से अधिकार का दावा कर सकती है, और यह प्रावधान उपरोक्त संव्यवहार को अमान्य होने से बचाता है ।

80. प्रकाश **बनाम** फुलवती मामले में यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है कि प्रतिस्थापित धारा 6 के अंतर्गत अधिकार तारीख 9 सितंबर, 2005 को जीवित सहदायिकों की जीवित पुत्रियों को प्राप्त होते हैं, भले ही ऐसी पुत्रियों का जन्म किसी भी समय हुआ हो । हम पाते हैं कि इस न्यायालय का ध्यान इस पहलू की ओर नहीं आकर्षित किया गया कि सहदायिक का सृजन किस प्रकार होता है । सहदायिक गठन या सहदायिक

बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ववर्ती सहदायिक जीवित हो; सहदायिकता की श्रेणी के भीतर जन्म सुसंगत है, जिस तक यह विस्तारित है । उत्तरजीविता उत्तराधिकार का तरीका है, न कि सहदायिकता के गठन का । इसलिए, हम स्वयं को प्रकाश बनाम फुलवती मामले में प्रतिपादित "जीवित सहदायक" की अवधारणा से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं । हमारी राय में, पुत्रियों का तारीख 9 सितंबर, 2005 को जीवित होना चाहिए । प्रतिस्थापित धारा 6 में, "जीवित सहदायिक की पुत्री" प्रयोग नहीं किया गया है । जन्म से पुत्री को धारा 6(1)(क) के अधीन अधिकार दिया जाता है । पिछली घटना के आधार पर अधिकार की घोषणा तारीख 9 सितंबर, 2005 को की गई थी और जैसा कि धारा 6(1)(ख) में प्रावधान है, जन्म से पुत्रियों को सहदायिकता में समान अधिकार प्राप्त हैं, और वे धारा 6(1)(ग) में प्रावधन के अनुसार समान दायित्वों के अधीन हैं । सह-भागीदार के किसी भी संदर्भ में सह-भागीदार की पुत्री का संदर्भ शामिल होगा । धारा 6(1) के प्रावधान इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं कि सहदायिक को तारीख 9 सितंबर, 2005 को जीवित होना चाहिए जिसके माध्यम से पुत्री दावा कर रही है । हम उत्तरार्द्ध भाग में उल्लिखित कारणों से कथित विभाजन के प्रभाव से सहमत होने में असमर्थ हैं ।

उपर्युक्त विधिक स्थिति के अधीन वादी और प्रतिवादी वादग्रस्त संपत्ति में ¼ हिस्सा पाने के हकदार हैं ।

28. अपीलार्थियों/प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41, नियम 27 सपठित धारा 151 के अधीन अतिरिक्त दस्तावेज अभिलेख पर पेश करने के लिए आवेदन भी फाइल किया है, जिसमें कहा गया है कि अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थियों/प्रतिवादियों ने आदेश 1, नियम 10(2) सी.पी.सी. के अधीन एक आवेदन फाइल किया है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ने हेमंत कुमार जायसवाल के पक्ष में कुल 10 डेसीमल भूमि बेची है, इसलिए उन्हें मामले में पक्षकार बनाया गया है । इस न्यायालय ने तारीख 28

जनवरी, 2020 के आदेश के अधीन प्रतिवादी संख्या 3 हेमंत कुमार जायसवाल को प्रस्तावित नोटिस जारी किया था और नोटिस के अनुसरण में, विद्वान् काउंसेल ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थिति अभिलिखित कराई है, इस न्यायालय ने तारीख 11 नवंबर, 2021 को आवेदन मंजूर कर लिया है और हेमंत कुमार जायसवाल को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है । उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि खसरा संख्या 291/1 और 9523/2 की भूमि का विक्रय भी इस अपील के निर्णय के अध्यधीन होगी । इस तथ्य को वादी द्वारा अस्वीकार किया गया है, लेकिन विक्रय विलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 291/1 और 9523/2 में से लगभग माप 0.040 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को बेची गई है । जो भूमि पहले ही प्रतिवादी संख्या 3 को बेची जा चुकी है, यदि वह वादग्रस्त भूमि का भाग है तो माप .040 हेक्टेयर भूमि वादी के हिस्से से समायोजित/कम कर दी जाएगी ।

29. विषय पर तथ्यों और विधि को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों द्वारा फाइल प्रतिदावा मंजूर किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्रीमती सोनिया बाई, श्रीमती मुन्नी बाई, श्रीमती पुष्पा बाई और वादी दशरथ साहू, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन के अनुसार संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं । तद्नुसार, प्रतिवादियों द्वारा फाइल अपील को मंजूर की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित तारीख 18 मार्च, 2015 के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है ।

30. तद्नुसार, एक डिक्री तैयार की जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

महीं./क.

राजेन्द्र कुमार और अन्य

बनाम

नितिन कुमार गोयल और एक अन्य

(2021 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 77)

तारीख 15 नवम्बर, 2021

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – धारा 100 और आदेश 2 का नियम 11 [सपठित दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 1 और धारा 50 तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507] – द्वितीय अपील – प्रश्नगत दुकानों के किराए और बेदखली के लिए वाद – वाद कायम रखने को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उक्त प्रश्नगत दुकानों के लिए अनुतोष संबंधित दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अधीन उपलब्ध है क्योंकि प्रश्नगत भूमि को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचित 'शहरी क्षेत्र में' आता है – चुनौती खारिज होना – यदि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रश्नगत भूमि संबंधित अधिनियमों में अधिसूचित की गई है तो प्रश्नगत भूमि में स्थित दुकानों के किराए और बेदखली के लिए वाद, सिविल न्यायालय में कायम रखे जा सकते हैं और अपीलार्थी को युक्तियुक्त और विधिसंगत उपचार प्रदान किया जा सकता है ।

वर्तमान मामले में, संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि प्रत्यर्थी/वादी/ मकान-मालिक ने दो दुकानों अर्थात् दुकान संख्या 1 और 2 स्थित ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़, गली संख्या 11 की आबादी में, मुख्य सड़क ब्रह्मपुरी, दिल्ली – 110053, के संबंध में वादियों/प्रतिवादियों/ किराएदारों की बेदखली/कब्जा के साथ ही किराया की वसूली, अंतःकालीन लाभ/ क्षतियों और स्थायी व्यादेश के लिए वाद फाइल किया है । उक्त वाद में, वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 के नियम 6 के

अधीन एक आवेदन फाइल किया था । विचारण न्यायालय ने तारीख 12 फरवरी, 2021 को एक विस्तृत निर्णय पारित किया था जिसके द्वारा वाद को कब्जे के अनुतोष के संबंध में डिक्री कर दिया था और प्रतिवादियों को वाद-संपत्ति का कब्जा खाली करने और इसे शांतिपूर्ण तरीके से को सौपंने का निदेश दिया था । विचारण न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी गई थी और तारीख 25 अक्तूबर, 2021 के आक्षेपित आदेशों द्वारा अपील खारिज कर दी गई है । इससे व्यथित होकर वर्तमान द्वितीय अपीलें फाइल की गई । न्यायालय द्वारा भागतः अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने उन अधिसूचनाओं का परिशीलन किया जिन्हें अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है । उक्त अधिसूचनाओं के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादियों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रथम अधिसूचना संख्या एफ. 9(20)/66-लॉ-कार्पोरेशन, तारीख 13 जून, 1963 अधिसूचना संख्या एफ. 2(49)/65-एलएसजी, तारीख 28 मई, 1966 और एक पश्चात्वर्ती अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1236, तारीख 27 मार्च, 1979 का अवलंब लिया है । उक्त अधिसूचनाओं से यह स्पष्टतः दर्शित नहीं होता है कि ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़ को विनिर्दिष्टतः दोनों डीएमसी अधिनियम की धारा 507 के अधीन और डीआरसी अधिनियम की धारा 1 के अधीन अधिसूचित किया गया है । ग्राम घौण्डा के विभिन्न भाग प्रतीत होते हैं और जब तक प्रत्येक भाग के लिए विनिर्दिष्ट अधिसूचनाएं प्रत्येक अधिनियम के अधीन नहीं की जाती हैं तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि क्षेत्र डीआरसी अधिनियम द्वारा आच्छांदित है । न्यायालय ने स्पष्टतः यह निष्कर्ष निकाला है कि डीएमसी अधिनियम की धारा 507 के अधीन क्षेत्र का शहरीकरण करने से संबंधित अधिसूचना और डीआरसी अधिनियम की धारा 1(2) के अधीन अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है और उक्त विनिश्चय स्पष्टतः उसी क्षेत्र से संबंधित है जो प्रश्नगत है । इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा उद्भूत विधि का प्रश्न, वर्तमान अपीलों में उद्भूत नहीं होता है । तथापि, जहां तक प्रतिवादियों की बेदखली का प्रश्न है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी इन दोनों दुकानों पर 40 वर्ष से

अधिक अवधि से कब्जे में है और उसका वर्तमान किराया, एक दुकान के लिए 324/- रुपए और दूसरी दुकान के लिए 363/- रुपए संदत्त किया जाना कथित है । ये वाणिज्यिक दुकानें होने के नाते, जो प्रतिवादियों अर्थात् किराना स्टोर के रूप में चलाई जा रही हैं, इस समय खाली करने के लिए ईप्सित हैं और प्रतिवादियों द्वारा संदत्त किए जाने वाले उस बाजार किराया की शर्तों के अध्यधीन उसका कब्जा सौंपा जाएगा । इन अपीलों में – (i) वाद, दिसम्बर, 2019 में फाइल हुआ था और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 के नियम 6 के अधीन फरवरी, 2021 में बिना कोई साक्ष्य लिए डिक्री पारित की गई है, (ii) उक्त डिक्री को अक्तूबर, 2021 में अपील न्यायालय द्वारा कायम रखा गया था, (iii) इस बीच में, वादी द्वारा निष्पादन कार्यवाहियां भी फाइल की गई थीं, (iv) तथ्य पर विचार करते हुए, उक्त वाद दो वर्ष से कम पुराना है, (v) महामारी अवधि पर भी विचार किया गया है, और (vi) वाद परिसरों पर प्रतिवादियों द्वारा लम्बी अवधि का अधिभोग । इस न्यायालय की यह राय है कि परिसरों को खाली करने और खाली एवं शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने के लिए प्रतिवादियों को कुछ युक्तियुक्त समय प्रदान किया जाना चाहिए । श्री राजेन्द्र तथा अपीलार्थी संख्या 1 से प्राप्त निर्देशों पर विद्वान् काउंसेल श्री कपिल गोयल ने तद्नुसार तारीख 31 जनवरी, 2023 को या उसके पूर्व वादी को दोनों दुकानों का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का वचन दिया, निम्नलिखित निबंधनों पर – (i) आज से प्रारम्भ अर्थात् तारीख 15 नवम्बर, 2021 से तारीख 31 जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए मासिक प्रयोग और अधिभोग के प्रभारों के रूप में संयुक्त रूप से दोनों दुकानों के लिए प्रति दुकान 5,000/- रुपए अर्थात् 10,000/- रुपए का संदाय प्रतिवादियों द्वारा वादी को प्रत्येक माह की 10 तारीख को या उसके पूर्व संदत्त किया जाएगा । (ii) नवम्बर, 2021 की माह के लिए, मासिक किराया रकम का 50 प्रतिशत प्रतिवादियों द्वारा वादी को संदत्त किया जाएगा । (iii) प्रतिवादियों को यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाद संपत्ति में कोई क्षति कारित नहीं होगी और वाद संपत्ति की वर्तमान दशा, खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपे जाने के समय तक कायम रखी जाएगी । (iv) हक और/या कब्जे के

संबंध में कोई तृतीय पक्षकार हित सृजित नहीं किया जाएगा । सभी तीनों प्रतिवादी दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष वचनबंद्धता का शपथपत्र फाइल करेंगे, यह पुष्टि करते हुए कि वे उपर्युक्त निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करेंगे । इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा फाइल होने वाले उक्त वचनबंद्ध के अध्यधीन आक्षेपित डिक्री का निष्पादन नहीं किया जाएगा । तथापि, यदि खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपा नहीं जाता है या प्रतिवादियों द्वारा उपर्युक्त निबंधनों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो वादी निष्पादन कार्यवाहियों को पुनः आरम्भ करने के लिए स्वतंत्र होंगे जिसे निष्पादन न्यायालय के समक्ष लम्बित होना पहले ही कहा गया है । (पैरा 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] आरएसए 56/2017 विनिश्चय 5 मार्च, 2018 :
सैय्यदा बेगम बनाम **कैसर डैड खान** ; 8, 12

[2000] (2000) 9 एस. सी. सी. 720 :
मित्तेर सेन जैन बनाम **शकुन्तला देवी 85** । 10, 11

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2021 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 77 और 2021 की सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 39880 तथा 2021 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 78 और 2021 की सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 39885.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री गुरमेहर सिस्तानी, समित खोसला और कपिल गोयल, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री अशोक महिपाल, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह – यह सुनवाई विडियो क्रांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई है ।

2. वर्तमान अपीलों में 2021 की नियमित सिविल अपील डीजे 12 और 2021 की नियमित सिविल अपील डीजे 13, दोनों का शीर्षक राजेन्द्र कुमार और अन्य बनाम नितिन कुमार गोयल वाले मामलों में तारीख 25 अक्तूबर, 2021 को पारित आक्षेपित आदेशों को चुनौती दी गई है और जिसके द्वारा अपीली न्यायालय ने 2019 की सिविल वाद संख्या 684, शीर्षक नितिन कुमार गोयल बनाम राजेन्द्र कुमार और अन्य वाले मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा पारित तारीख 12 फरवरी, 2021 के आदेश को खारिज कर दिया गया था ।

3. संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि प्रत्यर्थी/वादी/मकान-मालिक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "वादी" कहा गया है) ने दो दुकानों अर्थात् दुकान संख्या 1 और 2 स्थित ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़, गली संख्या 11 की आबादी में, मुख्य सड़क ब्रह्मपुरी, दिल्ली – 110053, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "वाद संपत्ति" कहा गया है) के संबंध में वादियों/ प्रतिवादियों/ किराएदारों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "प्रतिवादियों" कहा गया है) की बेदखली/कब्जा के साथ ही किराया की वसूली, अंतःकालीन लाभ/क्षतियों और स्थायी व्यादेश के लिए वाद फाइल किया है ।

4. उक्त वाद में, वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 के नियम 6 के अधीन एक आवेदन फाइल किया था । विचारण न्यायालय ने तारीख 12 फरवरी, 2021 को एक विस्तृत निर्णय पारित किया था जिसके द्वारा वाद को कब्जे के अनुतोष के संबंध में डिक्री कर दिया था और प्रतिवादियों को वाद-संपत्ति का कब्जा खाली करने और इसे शांतिपूर्ण तरीके से को सौपंने का निदेश दिया था । विचारण न्यायालय के आदेश का प्रवर्तित भाग निम्नलिखित है :–

> "उपर्युक्त निर्णय चर्चा को ध्यान में रखते हुए, ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़ के क्षेत्र में दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 को लागू नहीं करने के संबंध में कोई संदिग्धता मौजूद नहीं है, अतएव, वर्तमान वाद दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958

की धारा 50 द्वारा वर्जित नहीं है । प्रतिवादी द्वारा उद्धृत आक्षेप बिना किसी बल या गुणागुण रहित है, तद्नुसार, इसे नामंजूर किया जाता है ।

उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 के नियम 11 के अधीन फाइल आवेदन खारिज किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 के नियम 6 के अधीन फाइल आवेदन प्रतिवादी द्वारा की गई सुस्पष्ट स्वीकृति के आधार पर मंजूर किया जाता है । कब्जे की डिक्री, वाद संपत्ति अर्थात् खसरा संख्या 1ईटीसी/60 में से संपत्ति संख्या के-1/144/1 में दुकान संख्या 2, स्थित ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़, गली संख्या 11 की आबादी में, मुख्य सड़क ब्रह्मपुरी, दिल्ली - 53 के संबंध में वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाती है । प्रतिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह तत्काल वाद संपत्ति को खाली भौतिक कब्जा वादी को सौंपे ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

5. जहां तक अंतःकालीन लाभों इत्यादि से संबंध थे, विवाद्यक विरचित किए गए हैं और अब मामला, विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के लिए लम्बित है ।

6. विचारण न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी गई थी और तारीख 25 अक्तूबर, 2021 के आक्षेपित आदेशों द्वारा अपील खारिज कर दी गई है ।

7. प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल श्री गुरमेहर सिस्तानी ने यह निवेदन किया है कि उसके द्वारा उद्धृत विधि का विवाद्क यह है कि शहरी क्षेत्रों के एक भाग के प्ररूप में घौण्डा चौहान बांगड़ के रूप में ज्ञात क्षेत्र है और इसे दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "डीआरसी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 1 के अधीन एक आच्छांदित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है । इस प्रकार, वादी के लिए समुचित उपचार, डीआरसी अधिनियम की धारा 14 के

अधीन अनुतोष ईप्सित किया गया था और न कि कब्जे के लिए साधारण सिविल वाद द्वारा बेदखली और अन्य अनुतोषों के लिए । उन्होंने यह निवेदन किया कि वाद स्वयं ही उन अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कायम रखे जाने योग्य नहीं था जो जारी की गई थीं, जिनमें घौण्डा चौहान बांगड़ को दोनों दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "डीएमसी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 507 के अधीन और डीआरसी अधिनियम की धारा 1 के अधीन भी अधिसूचित किया गया है । उन्होंने न्यायालय के समक्ष उक्त अधिसूचनाओं को प्रस्तुत किया है ।

8. **सैय्यदा बेगम** बनाम **कैसर डैड खान**[1] वाले मामले में, न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का भी अवलंब लिया है । यह तर्क देने के लिए कि इस निर्णय का विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लेना सही नहीं होगा क्योंकि, यद्यपि उक्त आदेश उसी क्षेत्र से संबंधित हैं, उक्त मामले में समुचित अधिसूचनाएं इत्यादि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई थीं जैसा कि स्वयं निर्णय के परिशीलन से सुस्पष्ट होता है । इस प्रकार, उन्होंने यह निवेदन किया कि प्रतिवादियों को मामले में साक्ष्य देने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 12 के नियम 6 के अधीन आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं होगा ।

9. दूसरी ओर, वादी के विद्वान् काउंसेल श्री अशोक महीपाल ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलंब लिया है जिसमें विचारण न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा अवलंब लिए गए कतिपय अधिसूचनाओं पर स्पष्टतः चर्चा की है और यह अभिनिर्धारित किया है कि ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़ के बारे में कोई अधिसूचना नहीं है और इस प्रकार, **सैय्यदा बेगम** (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय का सही ही अवलंब लिया गया है । विचारण न्यायालय के आदेश का उद्धृत सुसंगत भाग निम्नलिखित है :–

"विधि की यह सुस्थिर प्रतिपादना है कि दिल्ली नगर निगम

[1] आरएसए 56/2017 विनिश्चय 5 मार्च, 2018.

अधिनियम की धारा 507(क) के अधीन अधिसूचना जारी करते हुए साधारणतया किसी विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है, यह पर्याप्त नहीं है और दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 1(2) के अधीन एक अन्य अधिसूचना, डीआरसी अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और सिविल न्यायालय की अधिकारिता सृजित करने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र के बारे में जारी किया जाना आवश्यक है । यह विवादित नहीं है कि ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़ एक विभिन्न राजस्व खंड है और ग्राम घौण्डा या ग्राम घौण्डा चौहान खादर, घौण्डा गुजरान बांगड़ और घौण्डा निमका से भिन्न मामले के लिए पृथक् शनाख्त और अधिकारिता रखता है । <u>प्रतिवादी द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाएं ग्राम घौण्डा से संबंधित हैं और न कि ग्राम घौण्डा चौहान बांगड से संबंधित हैं । प्रतिवादी के विद्वान् काउंसेल द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाएं भी ग्राम घौण्डा के क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से घोषित करना ही प्रदर्शित करती हैं और ग्राम घौण्डा चौहान बांगड के क्षेत्र में दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई अधिसूचना नहीं है</u> । वादी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए सैय्यदा बेगम **बनाम** कैसर डैड खान (उपरोक्त) वाले निर्णय में, सुस्पष्टतः वर्तमान विवाद्यक के संबंध में विचार किया गया था और विनिर्दिष्टतया ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़, उत्तर-पूर्व दिल्ली का भाग बनाने के लिए डीआरसी को लागू करने के संबंध में विचार किया गया था । इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़ के क्षेत्र के बारे में डीआरसी अधिनियम को लागू करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए, सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को जब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई तो उसे कायम रखा गया था । वादी के विद्वान् काउंसेल द्वारा आज के अभिलेख पर फाइल उक्त आदेश की प्रति निर्दिष्ट की जा सकती है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

10. उन्होंने **मित्तेर सेन जैन** बनाम **शकुन्तला देवी 85**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया है, जिसमें स्पष्टतः यह अधिकथित किया गया है कि डीएमसी अधिनियम की धारा 507 के अधीन मात्र अधिसूचना पर्याप्त नहीं है और डीआरसी अधिनियम की धारा 1(2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिसूचना जारी किया जाना है ।

11. न्यायालय ने उन अधिसूचनाओं का परिशीलन किया जिन्हें अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है । उक्त अधिसूचनाओं के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादियों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रथम अधिसूचना संख्या एफ. 9(20)/66-लॉ-कार्पोरेशन, तारीख 13 जून, 1963 अधिसूचना संख्या एफ. 2(49)/65-एलएसजी, तारीख 28 मई, 1966 और एक पश्चात्वर्ती अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1236 तारीख 27 मार्च, 1979 का अवलंब लिया है । उक्त अधिसूचनाओं से यह स्पष्टतः दर्शित नहीं होता है कि ग्राम घौण्डा चौहान बांगड़ को विनिर्दिष्टतः दोनों डीएमसी अधिनियम की धारा 507 के अधीन और डीआरसी अधिनियम की धारा 1 के अधीन अधिसूचित किया गया है । ग्राम घौण्डा के विभिन्न भाग प्रतीत होते हैं और जब तक प्रत्येक भाग के लिए विनिर्दिष्ट अधिसूचनाएं प्रत्येक अधिनियम के अधीन नहीं की जाती हैं तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि क्षेत्र डीआरसी अधिनियम द्वारा आच्छांदित है । **मित्तेर सेन जैन** (उपरोक्त) वाले मामले का निर्णय इस प्रभाव में स्पष्ट है कि दोनों विधायनों के अधीन अधिसूचनाएं अपेक्षित होती हैं । उक्त निर्णय का सुसंगत भाग निम्नलिखित उद्धृत है :–

> "1. इसमें का अपीलार्थी, सागरपुर, दिल्ली में स्थित परिसरों का एक किराएदार है, जबकि प्रत्यर्थी मकान मालिक है । मकान मालिक ने अपीलार्थी को 400/- रुपए प्रतिमाह के मासिक किराए पर परिसरों को दिया था । तत्पश्चात्, मकान मालिक ने संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के अधीन नोटिस देते हुए

[1] (2000) 9 एस. सी. सी. 720.

किराएदारी समाप्त कर दी थी । इसके पश्चात् मकान मालिक ने किराएदार की बेदखली के साथ ही बकाया किराया और अंतःकालीन लाभों के लिए एक वाद फाइल किया । विचारण न्यायालय के समक्ष किराएदार ने एक लिखित कथन फाइल किया, जिसमें अभिवाकों में से एक अभिवाक् यह किया था कि परिसरें, जिन्हें उसे किराए पर दिया गया था, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अधीन आती है और इस प्रकार, वाद कायम रखे जाने योग्य नहीं है । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परिसरें, दिल्ली किराया अधिनियम, 1958 के अधीन नहीं आती हैं । परिणामस्वरूप, वाद डिक्री कर दिया था । प्रथम अपील, विद्वान् जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक द्वितीय अपील फाइल की और इसे भी खारिज कर दिया गया था । इस प्रकार, अपीलार्थी अपील, हमारे समक्ष है ।

2. अपीलार्थी की ओर से उद्धृत एकमात्र तर्क यह है कि चूंकि परिसरें, जिसमें अपालार्थी एक किराएदार है, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अधीन आती हैं और इसलिए, मकान मलिक द्वारा सिविल न्यायालय में फाइल वाद कायम रखे जाने योग्य नहीं था और उसमें पारित डिक्री आरम्भतः शून्य है । तर्क का मूल्यांकन करने के अनुक्रम में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के साथ ही दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को उद्धृत करना लाभदायक है, जो इस प्रकार हैं –

> "दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 –
>
> (क) सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निगम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का कोई भाग इसमें सम्मिलित होना समाप्त हो जाएगा और ऐसी अधिसूचना

जारी होने के उपरान्त वह भाग शहरी क्षेत्रों में और उसके भाग रूप में सम्मिलित हो जाएगा,

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 1 की उपधारा (2) -

इसे नई दिल्ली नगर समिति और दिल्ली छावनी बोर्ड की सीमाओं के भीतर सम्मिलित क्षेत्रों में विस्तारित किया जाता है और दिल्ली नगर निगम की सीमाओं के भीतर ऐसे शहरी क्षेत्रों को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाता है -

परन्तु यह कि केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को या इसके किसी उपबंध को दिल्ली नगर निगम की सीमाओं के भीतर सम्मिलित किसी अन्य शहरी क्षेत्र तक विस्तारित कर सकती है या इस अधिनियम या इसके किसी उपबंध के प्रवर्तन से किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकती है ।"

3. तत्पश्चात्, दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के अधीन जारी तारीख 24 अक्तूबर, 1994 की अधिसूचना द्वारा सागरपुर के अधीन आने वाले शहरी क्षेत्र, जहां विवादित संपत्ति स्थित है, को दिल्ली नगर निगम के शहरी क्षेत्र के भीतर सम्मिलित किया गया था । इस अधिसूचना के आधार पर, विदवान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि जब एक बार किसी क्षेत्र को दिल्ली नगर निगम के भीतर शहरी क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जाता है तो स्वतः दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम लागू हो जाएगा, यह तर्क पूर्णतया भ्रांतिपूर्ण है । यद्यपि कोई नया क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के शहरी क्षेत्र के भीतर सम्मिलित होता है तो उस क्षेत्र में, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अन्य अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित होता है । जब तक ऐसे क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा अनुसूची में इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं तब तक दिल्ली किराया

नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों को उस क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता है । यह स्वीकृत है कि अधिनियम की अनुसूची के भीतर सागरपुर क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करते हुए, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अभी भी ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की गई है । ऐसी अधिसूचना के अभाव में, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों को उस क्षेत्र अर्थात् सागरपुर में लागू नहीं किया जा सकता है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

12. **सैय्यदा बेगम** (उपरोक्त) वाले विनिश्चय में भी, न्यायालय ने स्पष्टतः यह निष्कर्ष निकाला है कि डीएमसी अधिनियम की धारा 507 के अधीन क्षेत्र का शहरीकरण करने से संबंधित अधिसूचना और डीआरसी अधिनियम की धारा 1(2) के अधीन अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है और उक्त विनिश्चय स्पष्टतः उसी क्षेत्र से संबंधित है जो प्रश्नगत है । इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा उद्भूत विधि का प्रश्न, वर्तमान अपीलों में उद्भूत नहीं होता है ।

13. तथापि, जहां तक प्रतिवादियों की बेदखली का प्रश्न है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी इन दोनों दुकानों पर 40 वर्ष से अधिक अवधि से कब्जे में है और उसका वर्तमान किराया, एक दुकान के लिए 324/- रुपए और दूसरी दुकान के लिए 363/- रुपए संदत्त किया जाना कथित है । ये वाणिज्यिक दुकानें होने के नाते, जो प्रतिवादियों अर्थात् किराना स्टोर के रूप में चलायी जा रही हैं, इस समय खाली करने के लिए ईप्सित हैं और प्रतिवादियों द्वारा संदत्त किए जाने वाले उस बाजार किराया की शर्तों के अध्यधीन उसका कब्जा सौंपा जाएगा ।

14. इन अपीलों में :–

(i) वाद, दिसम्बर, 2019 में फाइल हुआ था और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 के नियम 6 के अधीन फरवरी, 2021 में बिना कोई साक्ष्य लिए डिक्री पारित की गई है,

(ii) उक्त डिक्री को अक्तूबर, 2021 में अपील न्यायालय द्वारा कायम रखा गया था,

(iii) इस बीच में, वादी द्वारा निष्पादन कार्यवाहियां भी फाइल की गई थीं,

(iv) तथ्य पर विचार करते हुए, उक्त वाद दो वर्ष से कम पुराना है,

(v) महामारी अवधि पर भी विचार किया गया है, और

(vi) वाद परिसरों पर प्रतिवादियों द्वारा लम्बी अवधि का अधिभोग ।

इस न्यायालय की यह राय है कि परिसरों को खाली करने और खाली एवं शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने के लिए प्रतिवादियों को कुछ युक्तियुक्त समय प्रदान किया जाना चाहिए ।

15. श्री राजेन्द्र तथा अपीलार्थी संख्या 1 से प्राप्त निर्देशों पर विद्वान् काउंसेल श्री कपिल गोयल ने तद्नुसार तारीख 31 जनवरी, 2023 को या उसके पूर्व वादी को दोनों दुकानों का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का वचन दिया, निम्नलिखित निबंधनों पर :–

(i) आज से प्रारम्भ अर्थात् तारीख 15 नवम्बर, 2021 से तारीख 31 जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए मासिक प्रयोग और अधिभोग के प्रभारों के रूप में संयुक्त रूप से दोनों दुकानों के लिए प्रति दुकान 5,000/- रुपए अर्थात् 10,000/- रुपए का संदाय प्रतिवादियों द्वारा वादी को प्रत्येक माह की 10 तारीख को या उसके पूर्व संदत्त किया जाएगा ।

(ii) नवम्बर, 2021 की माह के लिए, मासिक किराया रकम का 50 प्रतिशत प्रतिवादियों द्वारा वादी को संदत्त किया जाएगा ।

(iii) प्रतिवादियों को यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाद संपत्ति में कोई क्षति कारित नहीं होगी और वाद संपत्ति की वर्तमान दशा, खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपे जाने के समय तक कायम रखी जाएगी ।

(iv) हक और/या कब्जे के संबंध में कोई तृतीय पक्षकार हित सृजित नहीं किया जाएगा ।

16. सभी तीनों प्रतिवादी दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष वचनबद्धता का शपथपत्र फाइल करेंगे, यह पुष्टि करते हुए कि वे उपर्युक्त निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करेंगे ।

17. इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा फाइल होने वाले उक्त वचनबद्ध के अध्यधीन आक्षेपित डिक्री का निष्पादन नहीं किया जाएगा । तथापि, यदि खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंपा नहीं जाता है या प्रतिवादियों द्वारा उपर्युक्त निबंधनों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो वादी निष्पादन कार्यवाहियों को पुनः आरम्भ करने के लिए स्वतंत्र होंगे जिसे निष्पादन न्यायालय के समक्ष लम्बित होना पहले ही कहा गया है ।

18. इस प्रक्रम पर, दोनों काउंसेलों ने निवेदन किया कि यह आदेश पक्षकारों की सहमति से पारित किया जा सकता है । तद्नुसार, उपर्युक्त आदेश पक्षकारों की सहमति से पारित किया जाता है ।

19. तथापि, अंतःकालीन लाभों के संबंध में वाद, तारीख 15 नवम्बर, 2021 तक की अवधि तक चलता रहेगा ।

20. इन मताभिव्यक्तियों के साथ लम्बित सभी आवेदनों के साथ दोनों अपीलें निपटाई जाती हैं ।

21. तारीख 15 दिसम्बर, 2021 को वचनबद्ध की शपथपत्रों की प्राप्ति के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए ।

अपीलें निपटाई गईं ।

क.

सुनील कुमार अलेडिया

बनाम

बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और अन्य

[2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 13547]

तारीख 30 नवम्बर, 2021

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 – रिट याचिका – याची के आवेदन पर समुचित सुनवाई किए बिना, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड द्वारा याची का विद्युत कनेक्शन काटने का नोटिस जारी करना – चुनौती – यदि याची की समुचित सुनवाई किए बिना, याची के विद्युत कनेक्शन काटने का नोटिस जाता है तो यह मनमाना और अयुक्तियुक्त होगा – संबंधित प्राधिकारी याची की समुचित सुनवाई करने के पश्चात् ही कोई न्यायसंगत निर्णय ले सकता है ।

वर्तमान मामले में, याची ने तारीख 9 नवम्बर, 2021 के आदेश को आक्षेपित किया है जिसके द्वारा याची द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को नामंजूर कर दिया गया था और प्रत्यर्थी/बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने याची की विद्युत आपूर्ति काटने की धमकी दी है । इसको चुनौती देतु हुए, याची ने वर्तमान याचिका फाइल की । न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि याची का चेक अनादृत हो गया है और तद्नुसार, विद्युत काटने की धमकी देते हुए नोटिसे जारी की गई थीं । उन्होंने यह निवेदन किया कि उसके पश्चात्, याची द्वारा यथादावाकृत संदाय जमा किया गया है । उन्होंने यह निर्देश देने का निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के अधिकारीगण तब तक कोई प्रपीड़क कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील पर विचार नहीं कर लिया

जाता है । यह याचिका निपटायी जाती है, प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण - अपीली प्राधिकारी यह निर्देश देते हुए कि आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर वरीयता के तौर पर रोक आवेदन के साथ याची की अपील पर विचार करें । यह निर्देश दिया जाता है कि जब तक अपील प्राधिकारी द्वारा अपील पर विचार नहीं कर लिया जाता है तब तक याची के विद्युत कनेक्शन के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी । (पैरा 4, 5, 6 और 7)

रिट (सिविल) अधिकारिता : 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 13547 और 2021 की दांडिक अपील संख्या 42747.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री कमलेश कुमार मिश्र, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री सुनील फर्नांडिश और सुभम शर्मा, अधिवक्तागण (प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से) (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), अनुज अग्रवाल, एएससी, सुश्री ऐश्वर्या शर्मा, सुश्री आयुषी बंसल और संयाम सूरी, अधिवक्तागण (प्रत्यर्थी सं. 2 और 4 की ओर से) (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) के साथ जीएनसीटीडी प्रत्यर्थी सं. 5 और 6 की ओर से (नाम नहीं दिया गया है)

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा – याची ने तारीख 9 नवम्बर, 2021 के आदेश को आक्षेपित किया है जिसके द्वारा याची द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को नामंजूर कर दिया गया था और प्रत्यर्थी/बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने याची की विद्युत आपूर्ति काटने की धमकी दी है ।

2. याची के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि याची ने पहले ही भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अधीन अपील प्राधिकारी होने के नाते अपर जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण के समक्ष

एक अपील फाइल कर चुका है, तथापि, अपील को अभी तक विचार में नहीं लिया गया है । उन्होंने यह निवेदन किया है कि याची ने सेवा प्रदाता द्वारा दावाकृत रकम का 50 प्रतिशत जमा कर दिया है ।

3. नोटिस जारी किया गया । नोटिस को प्रत्यर्थी सं. 1, 2, 5 और 6 की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा स्वीकार किया गया है ।

4. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि याची का चैक अनादृत हो गया है और तद्नुसार, विद्युत काटने की धमकी देते हुए नोटिसे जारी की गई थीं । उन्होंने यह निवेदन किया कि उसके पश्चात्, याची द्वारा यथादावाकृत संदाय जमा किया गया है ।

5. उन्होंने यह निर्देश देने का निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के अधिकारीगण तब तक कोई प्रपीड़क कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील पर विचार नहीं कर लिया जाता है ।

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका निपटायी जाती है, प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण अपीली प्राधिकारी यह निर्देश देते हुए कि आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर वरीयता के तौर पर रोक आवेदन के साथ याची की अपील पर विचार करें ।

7. यह निर्देश दिया जाता है कि जब तक अपील प्राधिकारी द्वारा अपील पर विचार नहीं कर लिया जाता है तब तक याची के विद्युत कनेक्शन के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि याची को मंजूर अंतरिम संरक्षण, यदि कोई हो, इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन जारी रहेंगे ।

9. अपील प्राधिकारी, गुणागुणों पर अपील और रोक आवेदन पर, इसमें कथित किसी चीज से प्रभावित हुए बिना, विधि के अनुसरण में विचार करेगा ।

रिट याचिका निपटाई गई ।

क.

शोभा पाटिल

बनाम

हरिश ग्रोवर और अन्य

(2020 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 45)

तारीख 20 दिसम्बर, 2021

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – धारा 100 – द्वितीय अपील – पक्षकारों के बीच टैरिस पर रखी पानी की टंकी के स्थान के बारे में विवाद – तथ्य का प्रश्न होना – द्वितीय अपील में ग्राह्य नहीं होना – यदि पक्षकारों के बीच कोई विवाद्यक ऐसी प्रकृति का है कि उसे विधि का सारवान् प्रश्न के रूप में विचारित नहीं किया जा सकता है तो द्वितीय अपील में ऐसे विवाद्यक से संबंधित प्रश्न का विचारण करने हेतु ग्रहण नहीं किया जा सकता है ।

वर्तमान मामले में, मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि अपीलार्थी, वादी-सुश्री शोभा पाटिल ने प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1-श्री हरीश ग्रोवर के विरुद्ध स्थायी और आज्ञापक व्यादेश के लिए एक वाद फाइल किया था । वादी और प्रतिवादी पड़ोसी हैं, जो सरिता विहार, नई दिल्ली - 110025 के एक ही ब्लाक में निवास करते हैं । वाद में छत पर प्रवेश और निकास के साथ ही सामान्य सीढ़ियों के संबंध में भी स्थायी व्यादेश के लिए प्रार्थना की गई थी । विचारण न्यायालय ने तारीख 24 मई, 2017 के विस्तृत निर्णय और डिक्री द्वारा वाद को डिक्री कर दिया । इसके पश्चात्, वादी ने तारीख 17 नवम्बर, 2018 के निर्णय की पुनर्विलोकन करने की ईप्सा करते हुए, अपील न्यायालय के समक्ष एक पुनर्विलोकन आवेदन फाइल किया । वादी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन को अपील न्यायालय ने तारीख 7 दिसम्बर, 2019 के आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया । इससे व्यथित होकर

वर्तमान द्वितीय अपील फाइल की गई । न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, यह उपदर्शित होता है कि न्यायालय ने स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया है कि वादी यह दर्शित करने में असफल रहा है कि क्यों पानी की टंकी का वर्तमान स्थान गलत है । वस्तुतः, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पानी की टंकी सही स्थान पर रखी हुई पायी गई है । अतएव, वादी ने वर्तमान द्वितीय अपील प्रस्तुत की है । वर्तमान द्वितीय अपील में तारीख 12 अप्रैल, 2021 को नोटिस जारी किया गया था । आरम्भतः, प्रक्रिया शुल्क फाइल नहीं हुआ था और मामला स्थगित हो गया था । इसके पश्चात्, मामला, तारीख 29 नवम्बर, 2021 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था जिसने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इस मामले में तामीली पूरी हो गई है । विद्वान् काउंसेल श्री गुप्ता वादी की ओर से हाजिर हुए और यह निवेदन किया कि तथ्य यह है कि वादी का फ्लैट एक डूप्लेक्स फ्लैट था जो आरम्भतः वाद पत्र में उल्लिखित नहीं था, किन्तु, इसके पश्चात्, एक शपथपत्र के माध्यम से साक्ष्य में उल्लिखित किया गया था । इस पर, विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है । यद्यपि यह सुविचारित है कि वादी का फ्लैट एक डूप्लेक्स फ्लैट है, दोनों विचारण न्यायालय के साथ ही अपील न्यायालय के निष्कर्ष, अपील के साथ ही पुर्विलोकन में यह है कि पानी की टंकी उस स्थान में रखी गई है जो किसी भी तरीके से वादी के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है । विचारण न्यायालय के साथ ही अपील न्यायालय के उक्त निष्कर्ष, तथ्य के निष्कर्ष हैं जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील ग्रहण नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए विधि का सारवान् प्रश्न निर्मित नहीं करता है । वर्तमान मामले में, वादी ने मुकदमेबाजी का चार प्रक्रम फाइल किया, प्रथम विचारण न्यायालय के समक्ष, जहां वाद मूल रूप से डिक्री हो गया था और इसके पश्चात् अपील न्यायालय के समक्ष । वादी को अपील न्यायालय द्वारा पारित तारीख 17 नवम्बर, 2018 के निर्णय के पुनर्विलोकन की ईप्सा करते हुए, फाइल आवेदन में पुनर्विलोकन का

उपचार भी नहीं मिला जिसे उक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था । इस न्यायालय की राय में, प्रश्न यह है कि क्या पानी की टंकी का स्थान जो एकमात्र विवाद्यक है जो वादी की शिकायत प्रतीत हो रही है, वह एक तथ्य का प्रश्न है । पानी की टंकी का स्थान के बारे में प्रश्न, द्वितीय अपील में विधि के सारवान् प्रश्न नहीं हो सकता है । (पैरा 8, 9, 10, 11, 12 और 13)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 45 और 2020 की सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 8355-56.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आलोक गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से श्री पुनीत बजाज, अधिवक्ता के साथ सुश्री अंजली धींगरा, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह – यह सुनवाई न्यायालय के समक्ष की गई है । उन मामलों में हाईब्रिड तरीके की अनुज्ञा है जहां न्यायालय से अनुज्ञा लेना ईप्सित है ।

2. वर्तमान द्वितीय अपील, विद्वान् एजीजे-07, दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अपील न्यायालय" कहा गया है) द्वारा 2017 की आरसीए संख्या 110, शीर्षक सुश्री शोभा पाटिल बनाम श्री हरीश ग्रोवर और अन्य वाले मामले में, पारित तारीख 17 नवम्बर, 2018 के आदेश के साथ ही 2019 की प्रकीर्ण संख्या 56, शीर्षक शोभा पाटिल और अन्य बनाम हरीश ग्रोवर और अन्य वाले मामले में, पारित तारीख 7 दिसम्बर, 2019 के आदेश को भी चुनौती देते हुए फाइल की गई है । आक्षेपित आदेशों द्वारा अपील न्यायालय ने विद्वान् एससीजे, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विचारण न्यायालय" कहा गया है) द्वारा 2016 की सीएस एससीजे संख्या 83416, शीर्षक सुश्री शोभा पाटिल

बनाम श्री हरीश ग्रोवर और अन्य वाले मामले में, पारित तारीख 24 मई, 2017 के निर्णय और डिक्री की पुष्टि कर दी थी ।

3. मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि अपीलार्थी, वादी-सुश्री शोभा पाटिल ने प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1-श्री हरीश ग्रोवर के विरुद्ध स्थायी और आज्ञापक व्यादेश के लिए एक वाद फाइल किया था । वादी और प्रतिवादी पड़ोसी हैं, जो सरिता विहार, नई दिल्ली-110025 के एक ही ब्लाक में निवास करते हैं । वाद में छत पर प्रवेश और निकास के साथ ही सामान्य सीढ़ियों के संबंध में भी स्थायी व्यादेश के लिए प्रार्थना की गई थी । वाद में ईप्सित अनुतोष निम्नलिखित उद्धृत हैं :–

> "1. तद्द्वारा, याची के फ्लैट संख्या एफ-314, सरिता विहार, नई दिल्ली में याची या उसके किराएदार को सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए छत पर जाने, पानी की टंकी, एंटीना इत्यादि लगाने, बदलने, रख-रखाव करने के प्रयोजन से याची या उसके किराएदार को अवरुद्ध करते हुए और पानी की टंकी जो मूल स्थान पर जहां डीडीए ने फ्लैट संख्या एफ-314, सरिता विहार, नई दिल्ली में लगाई थी, से हटाने के लिए याची या उसके किराएदार या कर्मचारी या नौकर या कोई पलम्बर/मेशन इत्यादि को अवरुद्ध करते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 5 को बाधा या किसी तरीके से अवरुद्ध करने से निर्बंधित करते हुए, प्रतिषेद्ध रिट या कोई अन्य समुचित रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए ।
>
> 2. तद्द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरुद्ध याची के फ्लैट अर्थात् फ्लैट संख्या एफ-314, सरिता विहार, नई दिल्ली की बालकनी पर अवैध निर्माण करने, जिसके द्वारा उसने अपने फ्लैट संख्या एफ-314, सरिता विहार, नई दिल्ली की बालकनी में एक बैडरूम बनाया है और बालकनी को बढ़ाया है और उसके द्वारा ग्रिलिंग इत्यादि करते हुए छत पर जाने वाली सीढ़ियों में बढ़ोत्तरी और परिवर्तन करने के लिए भी, जो अप्राधिकृत तौर पर बनाया गया है, कार्रवाई करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 या 4 को निदेश देते हुए, परमादेश रिट या कोई अन्य समुचित रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए

और परिणामस्वरूप, अप्राधिकृत निर्माण को गिराने और/या उसे हटाने का निदेश दिया जाए । प्रत्यर्थी संख्या 5 को यह भी निर्देश दिया जाए कि वह याची को टैरिस पर पानी की टंकी, केबल, एंटीना इत्यादि के रख-रखाव और लगाने के लिए नियमित आधार पर याची को स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति दें और विशिष्ट तौर पर वर्तमान समय में पानी की टंकी जिसे मूल रूप से याची के फ्लैट संख्या एफ-314, सरिता विहार, नई दिल्ली में जल की आपूर्ति के लिए, जिस स्थान पर लगाया गया है, पानी की टंकी लगाने के लिए छत पर याची और उसके श्रमिकों, उसके अभिकर्ताओं, किराएदार, सेवकों या कर्मचारियों को जाने की अनुमति दें ।

3. कोई अन्य अनुतोष मंजूर किया जाए, जिसे माननीय न्यायालय मामले के परिस्थितियों में ठीक और समुचित समझता है ।

4. खर्चा अधिनिर्णित किया जाए ।"

4. विचारण न्यायालय ने तारीख 24 मई, 2017 के विस्तृत निर्णय और डिक्री द्वारा वाद को निम्नलिखित निबंधनों में डिक्री किया :–

"14. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2, उनके नौकरों, अभिकर्ताओं, समनुदेशितों, एसोशिएट्स इत्यादि को प्रतिवादी संख्या 2 के फ्लैट संख्या एफ-314, सरिता विहार, नई दिल्ली की छत पर केबल टीवी कनेक्शन और डिश एंटीना, टेलीफोन लाइन, पानी की टंकी इत्यादि के रख-रखाव और मरम्मत के प्रयोजन हेतु छत पर जाने के साथ ही केबल टीवी कनेक्शन और डिश एंटीना, टेलीफोन लाइन, पानी की टंकी इत्यादि प्रयोजन के लिए सीढ़ियों के माध्यम से छत पर जाने के लिए प्रवेश और निकासी में किसी तरीके से बाधा डालने/कठिनाई/इनकार करने से स्थायी तौर पर निर्बंधित किया जाता है ।

14.1 प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2, उनके नौकरों, अभिकर्ताओं, समनुदेशितों इत्यादि द्वारा प्रश्नगत छत पर वादी को किसी तरीके से धमकी देना या वादी की किसी वस्तुओं/पानी की टंकी/डिश

एंटीना/टेलीफोन/टीवी कनेक्शन इत्यादि जो वैधतः लगायी गई है या निकट भविष्य में लगायी जानी हैं को क्षति/छेड़छाड़/हटाने/तोड़ने इत्यादि की किसी प्रकार की धमकी देने से स्थायी तौर पर निर्बंधित किया जाता है ।

14.2 आगे, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 उनके सेवकों, अभिकर्ताओं, समनुदेशितों, एसोशिएट्स इत्यादि को यह निर्देश दिया जाता है कि वे एक माह के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 के फ्लैट संख्या एफ-314, सरिता विहार, नई दिल्ली के ऊपर टैरिस पर जाने वाली सीढ़ियों से सामान्य रास्ते पर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा लगाए गए गेट/लोहे की ग्रिल, दरवाजे को हटा दें और प्रतिवादी संख्या 3 विधि के अनुसार, इनके अनुपालन को सुनिश्चित करेगा ।

14.3 आगे, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 उनके सेवक, अभिकर्ता, समनुदेशिती, एसोशिएट्स इत्यादि प्रश्नगत टैरिस पर लगाए गए केबल टी.वी., डिश एंटिना, टेलीफोन लाइन इत्यादि के रख-रखाव और मरम्मत करने से वादी और उसके अभिकर्ताओं, सेवकों, कर्मचारियों इत्यादि को कोई रुकावट या बाधा कारित नहीं करेंगे ।"

5. पानी की टंकी के संबंध में, जो वर्तमान अपील की विषयवस्तु है, विचारण न्यायालय ने तारीख 24 मई, 2017 के अपने निर्णय और डिक्री में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"13.2 वस्तुतः, वादी द्वारा अपने पक्षकथन के समर्थन में दो सेट फोटोग्राफ (प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-1/4 (कोल्ली) और प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/9) (कोल्ली) का अवलंब लिया गया है । प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/9 (कोल्ली), वाद संपत्ति के नवीनतम फोटोग्राफ हैं और वर्तमान मामले में न्यायनिर्णयन के लिए अति-महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य हैं । फोटोग्राफ (प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-1/4 (कोल्ली) वाद संपत्ति फोटोग्राफ हैं । <u>प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-1/3 और प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-1/4 (कोल्ली) की तुलना करने पर यह पाया जाता है कि प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-1/3 में बिन्दु 'डी' वादी के ओवरहेड टंकी का चिह्नित स्थान हैं जो प्रदर्श पी.डब्ल्यू.-1/4 (द्वितीय फोटोग्राफ) में बिन्दु 'ए' दर्शित है । प्रदर्श</u>

पी.डब्ल्यू.-1/4 (द्वितीय फोटोग्राफ), बिन्दु ए के ठीक आगे रखे काले ओवरहेड टंकी को दर्शित करता है जो आश्रितों की ओवरहेड टंकी हैं । तथापि, नवीनतम फोटोग्राफ, प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/9 (कोल्ली) में सातवां फोटोग्राफ स्पष्टतः दर्शित करता है कि भवन के किसी फ्लैट अधिभोगी की ओवरहेड पानी की टंकी नहीं है जो अब बिन्दु 'डी' या 'ई' पर रखे हुए हैं जैसा कि स्थल नक्शा (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/3) में दर्शित था और डी.डी.ए. द्वारा निर्मित मूल रूप से बीम के प्लेटफार्म के नीचे उक्त चिह्नित सीमेंट की पानी की टंकी टूट गई है और उक्त फोटोग्राफ को मूलतः देखने से यह प्रकट होता है कि पूर्ववर्ती चिह्नित स्थान, जैसा कि प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/3 में बिन्दु 'डी' और 'ई' पर दर्शित था, कोई ओवरहेड पानी की टंकी रखने के लिए अब उपयुक्त नहीं है । इसलिए, दस्तावेजी साक्ष्य, प्रतिवादी साक्षी 1 के साक्ष्य की संपुष्टि करता है कि क्यों वादी की पानी की टंकी टैरिस पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखी की गई थी । प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/9 (कोल्ली) का फोटोग्राफ संख्या 8, वादी के ओवरहेड पानी की टंकी का वर्तमान स्थान दर्शित करता है जो बिन्दु 'बी' है । उक्त ओवरहेड पानी की टंकी छोटे से प्लेटफार्म पर रखी हुई है । स्वीकृततः, अन्य अधिभोगियों की ओवरहेड पानी की टंकी उसी स्थान पर रखी हुई है जैसा कि स्थल नक्शा (प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/3) में बिन्दु 'ए', 'बी' और 'सी' से प्रकट होता है । वादी ने किसी भी प्रकार से यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि किस प्रकार उसके विधिक अधिकारों का अतिल्लंघन होता है अथवा वादी के ओवरहेड पानी की टंकी के स्थान के परिवर्तन होने से वादी को किस प्रकार प्रतिकूल परिणाम कारित होता है । इसलिए, टैरिस पर पूर्ववर्ती चिह्नित स्थान पर पानी की टंकी लगाने के लिए वादी की मांग, पूर्वोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

6. तथापि, वादी ने टैरिस पर उक्त पानी की टंकी के स्थान के संबंध में असाधारण शिकायत की थी । वादी का पक्षकथन यह था कि

पानी की टंकी के मूल स्थान को परिवर्तित कर दिया गया था और उक्त स्थान को पुनः बहाल किया जाना चाहिए । तद्नुसार, वादी ने 2017 की आर.सी.ए. संख्या 110 शीर्षक सुश्री शोभा पाटिल बनाम श्री हरिश ग्रोवर और अन्य के अधीन एक अपील प्रस्तुत की थी । विचारण न्यायालय द्वारा पारित तारीख 24 मई, 2017 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध थी । अपील न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत फोटोग्राफों का परिशीलन किया और पानी की टंकी के दोनों स्थानों की तुलना की । यह मत व्यक्त किया कि वादी की पानी की टंकी अपने सही स्थान पर रखी हुई थी । अपील न्यायालय ने इस संबंध में अपना निष्कर्ष, तारीख 17 नवम्बर, 2018 के निर्णय द्वारा निम्नलिखित उद्धृत किया है :–

> "11. दोनों स्थानों अर्थात् प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/3 में बिन्दु 'डी' और बिन्दु 'एक्स' पर चिह्नित स्थानों की तुलना करने पर और प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/4 और प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/9 फोटोग्राफों में उनके स्थानों को क्रमशः देखने पर, यह पाया जाता है कि अपीलार्थी/वादी की पानी की टंकी सही स्थान पर रखी हुई है, जहां कोई खतरा नहीं है, तथापि, बिन्दु डी स्थान के नीचे बीम क्षतिग्रस्त होने के संबंध में आशंका हो सकती है जहां पानी की टंकी मूल रूप से रखी हुई थी ।
>
> 12. मैं, अपीलार्थी/वादी के विद्वान् काउंसेल की दलील में कोई गुणागुण नहीं पाता हूं । विद्वान् विचारण न्यायालय का आदेश सुनिश्चित तौर पर विधिक है और किसी कमी से ग्रसित नहीं है । अपील खारिज की जाती है ।
>
> 13. तद्नुसार, डिक्री-पत्र तैयार किया जाए । खर्चे का कोई आदेश नहीं किया जाता है ।
>
> 14. अपील की फाइल अभिलेख कक्ष में समनुदेशित की जाए । विचारण न्यायालय के पास इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ अभिलेख भेजा जाए ।"

7. इसके पश्चात्, वादी ने तारीख 17 नवम्बर, 2018 के निर्णय की पुनर्विलोकन करने की ईप्सा करते हुए, अपील न्यायालय के समक्ष एक

पुनर्विलोकन आवेदन फाइल किया । वादी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन को अपील न्यायालय ने तारीख 7 दिसम्बर, 2019 के आक्षेपित निर्णय द्वारा निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों के साथ खारिज कर दिया :–

> "15. क्या विशिष्ट तथ्य तात्विक हैं या नहीं और पक्षकारों द्वारा अभिवाचित की जाने वाली आवश्यकता, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है । सभी तात्विक तथ्य अभिवचनों में प्रकट होने चाहिए और आवश्यक विशिष्टयां भी दी जानी चाहिए जिससे कि विरोधी पक्षकार को वादी के उस मामले को जानने और समझने का अवसर दिया जा सके जिसे विरोधी पक्षकार को जानने की आवश्यकता होती है और वह अपने रक्षोपाय के लिए रख सकता हो । वर्तमान मामले में, इस सिद्धांत को लागू करते हुए, तथ्य यह है कि वादियों का फ्लैट डुप्लेक्स था और टैरिस भाग के ठीक नीचे स्थित था जो इस विवाद्यक को विनिश्चित करने के अनुक्रम में अतिसुसंगत था और प्रतिवादियों को अपना लिखित कथन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी, फाइल करना चाहिए था कि विवाद्यक, पक्षकारों के अधिभोग के निचले भाग के नीचे टैरिस पर स्थित पानी की टंकी के संबंध में था । इसमें के अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि इस न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की थी कि सम्पूर्ण टैरिस प्रतिवादी के फ्लैट के ऊपर थी । यह तथ्य स्पष्ट था, इस तथ्य के बारे में कोई भ्रांति नहीं हो सकती थी और द्वितीयतः प्रतिवादियों को वादी के भाग पर अभिकथित तौर पर रखी पानी की टंकी के संबंध में अपनी प्रतिरक्षा में उन तथ्यों का खंडन करने की ऋजुतः अवसर था । पुनर्विलोकन आवेदन के साथ प्रथम बार के लिए स्पष्टीकरण नक्शा फाइल किया गया था । यह न्यायालय उस बात को समझने में असफल रहा जिस उपबन्ध के अधीन उक्त दस्तावेज फाइल की गई थी और वह भी इस न्यायालय की इजाजत के बिना । इस स्थल नक्शा पर इस प्रक्रम पर विचार नहीं किया जा सकता है । या तो इस न्यायालय या विरोधी पक्षकार की नोटिस में उन्हें लाए बिना साक्ष्य के शपथपत्र में तथ्यों को सीधे रखना अन्यायोचित

है । इसलिए, इन तथ्यों पर, जैसा कि शपथपत्र के पैरा 4 में कथित हैं, विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे अभिवचनों के निबंधनों के परे होंगे । अभिवचनों में इस तथ्यों का उल्लेख किए बिना, वादी उस तथ्य का लाभ नहीं ले सकता है जो प्रतिपरीक्षा के दौरान इन तथ्यों पर वादी के साक्ष्य रखने पर प्रश्न नहीं किया जा सकता था । ये तथ्य अभिवचनों के परे थे और उनमें अन्तर्विष्ट शपथपत्र के भाग का परिशीलन नहीं किया जा सकता है । इन तथ्यों और परिस्थितियों में, मैं यह नहीं पाता हूं कि भूल या अभिलेख के आमुख पर प्रकट त्रुटि के आधार पर उक्त आदेश का पुनर्विलोकन करने के अधीन तारीख 17 नवम्बर, 2018 के निर्णय/डिक्री में निकाले गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना समुचित होगा । यह न्यायालय पुनर्विलोकन के नाम में अपने ही आदेश के विरुद्ध अपील में नहीं बैठ सकता है । आवेदन कायम रखे जाने योग्य नहीं है । अतएवं, खारिज किया जाता है ।

16. पुनर्विलोकन फाइल अभिलेख कक्ष के लिए समनुदेशित की जाती है । अपील फाइल को इस आदेश की प्रति के साथ अभिलेख कक्ष में वापस भेजी जाए । टीसीआर को संबंधित न्यायालय में वापस भेजा जाए ।"

8. उपर्युक्त आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, यह उपदर्शित होता है कि न्यायालय ने स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया है कि वादी यह दर्शित करने में असफल रहा है कि क्यों पानी की टंकी का वर्तमान स्थान गलत है । वस्तुतः, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पानी की टंकी सही स्थान पर रखी हुई पायी गई है । अतएवं, वादी ने वर्तमान द्वितीय अपील प्रस्तुत की है ।

9. वर्तमान द्वितीय अपील में तारीख 12 अप्रैल, 2021 को नोटिस जारी किया गया था । आरम्भतः, प्रक्रिया शुल्क फाइल नहीं हुआ था और मामला स्थगित हो गया था । इसके पश्चात्, मामला, तारीख 29 नवम्बर, 2021 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था जिसने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इस मामले में तामीली पूरी हो गई है ।

10. विद्वान् काउंसेल श्री गुप्ता वादी की ओर से हाजिर हुए और यह निवेदन किया कि तथ्य यह है कि वादी का फ्लैट एक डुप्लेक्स फ्लैट था जो आरम्भतः वाद पत्र में उल्लिखित नहीं था, किन्तु, इसके पश्चात्, एक शपथपत्र के माध्यम से साक्ष्य में उल्लिखित किया गया था । इस पर, विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है ।

11. यद्यपि यह सुविचारित है कि वादी का फ्लैट एक डुप्लेक्स फ्लैट हैं, दोनों विचारण न्यायालय के साथ ही अपील न्यायालय के निष्कर्ष, अपील के साथ ही पुर्विलोकन में यह है कि पानी की टंकी उस स्थान में रखी गई है जो किसी भी तरीके से वादी के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है । विचारण न्यायालय के साथ ही अपील न्यायालय के उक्त निष्कर्ष, तथ्य के निष्कर्ष हैं जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील ग्रहण नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए विधि का सारवान् प्रश्न निर्मित नहीं करता है ।

12. वर्तमान मामले में, वादी ने मुकदमेबाजी का चार प्रक्रम फाइल किया, प्रथम विचारण न्यायालय के समक्ष, जहां वाद मूल रूप से डिक्री हो गया था और इसके पश्चात् अपील न्यायालय के समक्ष । वादी को अपील न्यायालय द्वारा पारित तारीख 17 नवम्बर, 2018 के निर्णय के पुनर्विलोकन की ईप्सा करते हुए, फाइल आवेदन में पुनर्विलोकन का उपचार भी नहीं मिला जिसे उक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था ।

13. इस न्यायालय की राय में, प्रश्न यह है कि क्या पानी की टंकी का स्थान जो एकमात्र विवाद्यक है जो वादी की शिकायत प्रतीत हो रही है, वह एक तथ्य का प्रश्न है । पानी की टंकी का स्थान के बारे में प्रश्न, द्वितीय अपील में विधि का सारवान् प्रश्न नहीं हो सकता है ।

14. तद्नुसार, यह न्यायालय वर्तमान द्वितीय अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता है । अपील सभी लम्बित आवेदनों के साथ खारिज की जाती है ।

द्वितीय अपील खारिज की गई ।

क.

सेक्यूरिट्रेन्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड

बनाम

श्री मनोज प्रसाद और अन्य

[2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 14889 और 47058-59]

तारीख 23 दिसम्बर, 2021

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 [सपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(घ)] – कर्मकार के विरुद्ध विभागीय जांच – जांच के आधार पर कर्मकार की पदच्युति का आदेश – जांच की विधिमान्यता और वैधता को चुनौती – यदि नियोजक द्वारा किसी कर्मकार के विरुद्ध अवचार के लिए विभागीय जांच करवाता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कर्मकार को पदच्युत कर दिया जाता है तो कर्मकार को उक्त विभागीय जांच की विधिमानता और वैधता को चुनौती देने का अधिकार है किन्तु सभी श्रम न्यायालय इस प्रकार के प्रश्न को 'आरम्भिक विवाद्यक' के रूप में विरचित करेंगे और उसके उत्तर के आधार पर ही मामले में आगे कार्यवाही करेंगे ।

वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थियों-कर्मकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कर्मकार" कहा गया है), जो विभिन्न एटीएम पर याची के साथ कार्य कर रहे थे, को याची द्वारा आयोजित अनुशासनिक जांच के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया गया था । उक्त सेवामुक्ति को कर्मकार द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । कर्मकारों द्वारा फाइल उक्त दावे में, निर्देश के निबंधन तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को विरचित किए गए थे, इसके पश्चात्, मामले की कार्यवाही श्रम न्यायालय के समक्ष आरम्भ हुई थी । चूंकि, कर्मकार समुचित विभागीय जांच के पश्चात् सेवामुक्त किए गए थे जो प्रबंधतंत्र द्वारा करायी गई थी, प्रबंधतंत्र द्वारा

एक आवेदन, जांच की विधिमान्यता और वैधता के संबंध में प्रारम्भिक विवाद्यक विरचित करने की ईप्सा करते हुए फाइल की गई थी । प्रबंधतंत्र का पक्षकथन यह था कि सुस्थिर विधिक प्रतिपादना के अनुसार, श्रम न्यायालय को उक्त जांच के संबंध में एक विवाद्यक विरचित करना चाहिए और उसके पश्चात्, उसे प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में समझा जाना चाहिए । इसके विरुद्ध रिट याचिकाएं फाइल की गईं, याचिकाएं मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय की यह राय है कि सुस्थिर विधिक प्रतिपादना को ध्यान में रखते हुए, साधारण प्रक्रिया यह है कि जो श्रम न्यायालयों द्वारा अपनायी जानी चाहिए कि उन्हें विभागीय जांच की विधिमान्यता का विनिश्चय सर्वप्रथम प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में किया जाना चाहिए और यदि उक्त विवाद्यक प्रबंधतंत्र के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है तो उसके बाद प्रबंधतंत्र को श्रम न्यायालय के समक्ष कर्मकार की पदच्युति के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए । ऐसी परिस्थितियों के अधीन श्रम न्यायालय को विभागीय जांच की विधिमान्यता के विवाद्यक को प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में विनिश्चित किया जाना चाहिए । तद्नुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त विवाद्यक संख्या 1क को अब श्रम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम न्यायनिर्णीत किया जाएगा और उक्त विवाद्यक के निष्कर्षों पर निर्भर रहते हुए, मामले में श्रम न्यायालय के समक्ष विधि के अनुसरण में कार्यवाही की जाएगी । इस निर्णय की एक प्रति एलआईआर संख्या 2920/19, 2921/19, 2922/19, 2023/19, 2925/19 और 2926/19 में विद्वान् एडीजे, श्रम न्यायालय, राउज एवेन्यू न्यायालय को भेजी जाए । वर्तमान निर्णय को इस न्यायालय के महारजिस्ट्रार द्वारा सभी श्रम न्यायालयों को परिचालित किया जाए, ताकि सभी श्रम न्यायालय द्वारा जांच से संबंधित विवाद्यक को प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में एकरूपता से विनिश्चित किया जा सके । (पैरा 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2021] डब्ल्यू. पी. (सिविल) 14365/2021, विनिश्चय तारीख 15 दिसम्बर, 2021 :
मैसर्स रेयान इंटरनेशनल स्कूल बनाम **श्री पान सिंह** ; 9

[2018] ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 973 :
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम **पृथ्वी सिंह** ; 9

[2018] ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 4668 :
एम. एल. सिंगला बनाम **पंजाब नेशनल बैंक** ; 5, 8

[1975] 1975 ए. आई. आर. 1900 :
कॉपर इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम **श्री पी. पी. मुंडे** । 5, 7

आरम्भिक (रिट) अधिकारिता : 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 14889 और 47058-59.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री अरुण मेहता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से –

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह – यह सुनवाई न्यायालय के समक्ष की गई है । हाई-ब्रिड तरीके से सुनवाई उन मामलों में अनुज्ञात की जाती है जहां न्यायालय से अनुज्ञा ईप्सित की गई है ।

2. याची-प्रबन्धतंत्र द्वारा फाइल इन छह याचिकाओं में श्रम न्यायालय द्वारा एलआईआर संख्या 2920/19, 2921/19, 2922/19, 2023/19, 2925/19 और 2926/19 में पारित तारीख 22 नवम्बर, 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा एक आवेदन जिसे प्रबन्धतंत्र द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में एक अतिरिक्त विवाद्यक विरचित करने के लिए और प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में

उक्त विवाद्यक को विनिश्चित करने के लिए फाइल किया गया था, को भागतः मंजूर कर लिया गया था ।

3. इस मामले में, प्रत्यर्थियों-कर्मकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कर्मकार" कहा गया है), जो विभिन्न एटीएम पर याची के साथ कार्य कर रहे थे, को याची द्वारा आयोजित अनुशासनिक जांच के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया गया था । उक्त सेवामुक्ति को कर्मकार द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । कर्मकारों द्वारा फाइल उक्त दावे में, निर्देश के निबंधन तारीख 3 अक्तूबर, 2019 को विरचित किए गए थे, इसके पश्चात्, मामले की कार्यवाही श्रम न्यायालय के समक्ष आरम्भ हुई थी । तारीख 1 अक्तूबर, 2021 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए थे :–

> "(1) क्या कर्मकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ध) के अधीन यथापरिभाषित "कर्मकार" की परिभाषा के अधीन नहीं आते हैं ?
>
> (2) क्या कर्मकार की सेवाएं प्रबंधतंत्र द्वारा अवैध तौर पर और अन्यायोचित तरीके से समाप्त की गई हैं ?
>
> (3) यदि पूर्वोक्त विवाद्यक का उत्तर सकारात्मक है तो आर्थिक या कोई अन्य पारिणामिक अनुतोष क्या हैं, जिसके लिए कर्मकार हकदार हैं ?
>
> (4) निर्देश के निबंधन ?
>
> (5) अनुतोष ।"

4. चूंकि, कर्मकार समुचित विभागीय जांच के पश्चात् सेवामुक्त किए गए थे जो प्रबंधतंत्र द्वारा करायी गई थी, प्रबंधतंत्र द्वारा एक आवेदन, जांच की विधिमान्यता और वैधता के संबंध में प्रारम्भिक विवाद्यक विरचित करने की ईप्सा करते हुए फाइल की गई थी । प्रबंधतंत्र का पक्षकथन यह था कि सुस्थिर विधिक प्रतिपादना के अनुसार, श्रम न्यायालय को उक्त जांच के संबंध में एक विवाद्यक विरचित करना चाहिए और उसके पश्चात्, उसे प्रारम्भिक विवाद्यक के

रूप में समझा जाना चाहिए । प्रबंधतंत्र ने इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों का अवलंब लिया है । उक्त आवेदन में श्रम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था :–

"प्रबंधतंत्र द्वारा जांच की विधिमान्यता के संबंध में, प्रारम्भिक विवाद्यक विरचित करने के लिए एक आवेदन फाइल किया गया है । कर्मकार द्वारा आवेदन का उत्तर दलीलों से इनकार करते हुए फाइल किया गया है और आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की है ।

आवेदन पर तर्कों की सुनवाई की गई और अपनी दलीलों के समर्थन में, प्रबंधतंत्र द्वारा अवलम्बित निर्णयों का परिशीलन किया गया । इस मामले में विवाद्यक तारीख 1 अक्तूबर, 2021 को विरचित किए गए थे । यद्यपि, जांच के संबंध में उद्भूत विवाद्यक, प्रबंधतंत्र द्वारा कर्मकार की अवैध सेवा समाप्ति के संबंध में विरचित विवाद्यक संख्या 2 के अधीन आता है किन्तु, लिखित कथन में प्रबंधतंत्र की विनिर्दिष्ट आक्षेपों को ध्यान में रखते हुए, विवाद्यक संख्या 1क के द्वारा एक अतिरिक्त विवाद्यक निम्नलिखित रूप से विरचित किया जाता है –

'**विवाद्यक संख्या 1क** :

क्या प्रबंधतंत्र द्वारा कर्मकार के विरुद्ध की गई जांच पक्षपातपूर्ण, अऋजु थी और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार नहीं थी

जहां तक प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में जांच के विवाद्यक विरचित करने की प्रार्थना का संबंध है, प्रार्थना नामूंजर की जाती है क्योंकि, विवाद्यक, विधि और तथ्य के विवाद्यक से संबंधित है

तद्नुसार, आवेदन निपटाया जाता है ।

साक्ष्य के माध्यम से कर्मकार द्वारा शपथपत्र फाइल किया गया है । प्रतिलिपि, प्रबंधतंत्र के लिए ए. आर. को भेजी जाए ।

कर्मकार की परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के लिए तारीख 20 जनवरी, 2022 नियत की जाती है ।'"

5. प्रबंधतंत्र के विद्वान् काउंसेल श्री अरूण मेहता ने यह निवेदन किया है कि प्रबंधतंत्र की शिकायत यह है कि यदि जांच से संबंधित विवाद्यक को अब विवाद्यक संख्या 1क के रूप में विरचित किया जाता है तो यह प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में विनिश्चित नहीं होगा और यदि श्रम न्यायालय द्वारा अंतिम तौर पर मामले का अधिनिर्णयन किया जाता है तो प्रबंधतंत्र मामले में, किसी कारण से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर खो सकता है, श्रम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जांच, विधि के अनुसरण में नहीं की गई है । उन्होंने निवेदन किया कि **कॉपर इंजीनियरिंग लिमिटेड** बनाम **श्री पी. पी. मुंडे**[1] और **एम. एल. सिंगला** बनाम **पंजाब नेशनल बैंक**[2] वाले मामलों में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, सुस्थिर विधिक प्रतिपादना यह है कि विभागीय जांच की विधिमान्यता, श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में विनिश्चित किया जाता है । इसलिए, उन्होंने यह निवेदन किया कि यदि उक्त विवाद्यक, प्रबंधतंत्र के विरुद्ध विनिश्चित होता है तो प्रबंधतंत्र को अपने मामले के समर्थन में श्रम न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

6. इन याचिकाओं की अग्रिम प्रतियां श्री राजेश खन्ना को तामील की गई हैं जो इन सभी मामलों में कर्मकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं । विद्वान् काउंसेल श्री मेहता ने यह निवेदन किया है कि उनकी श्री खन्ना के साथ टेलिफोन पर बातचीत हुई है जिन्होंने इन याचिकाओं की प्राप्तियों की पुष्टि की है ।

---

[1] 1975 ए. आई. आर. 1900.

[2] ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 4668.

7. इस मामले में, आगे नोटिस जारी करना समुचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उसके खर्चें का भार भी कर्मकार पर होगा । विनिश्चयों में इस संबंध में, विधिक प्रतिपादना सुस्थिर है, जिनका अवलंब श्री मेहता द्वारा लिया गया है । **कॉपर इंजीनियरिंग** (उपरोक्त) वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था -

"*** *** ***

इसलिए, हमारी यह स्पष्टतः राय है कि जब एक कर्मचारी की पदच्युति या उन्मोचन का मामला श्रम न्यायालय के औद्योगिक न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट किया जाता है तो प्रथमतः, इस प्रारम्भिक विवाद्यक पर विनिश्चय किया जाना चाहिए कि क्या विभागीय जांच से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण हुआ है । जब कोई विभागीय जांच नहीं हुई है या त्रुटिपूर्ण जांच हुई है जिसे नियोजक द्वारा स्वीकार किया गया है तो यहां कोई कठिनाई नहीं होगी । किन्तु, जब मामले में पक्षकारों के बीच संविवाद है तो उक्त प्रश्न को प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में विनिश्चित किया जाना चाहिए । उस पर विनिश्चय उद्घोषित होना चाहिए जो प्रबंधतंत्र के लिए इसे विनिश्चित करना होगा कि क्या वह श्रम न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेगा । यदि वह कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता है तो इसके पश्चात्, इस प्रकार के विवाद्यक को उद्भूत करने के लिए किसी कार्रवाई में अनुज्ञेय नहीं होगा । हमें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि प्रारम्भिक विवाद्यक के संबंध में इसके विनिश्चय को प्रश्नगत करते हुए श्रम न्यायालय द्वारा विवाद्यक का अंतिम न्यायनिर्णय करने से किसी पक्षकार के लिए न्यायोचित नहीं होगा जब मामला, अंतिम अधिनिर्णय के पश्चात् भी उत्तेजित करने योग्य हो सकता है । उच्च न्यायालय के लिए यह भी विधिसम्मत् होगा कि वह इस प्रक्रम पर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दे । इन मताभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हुए, हमारी चिन्ता यह है कि औद्योगिक अधिनिर्णयन में असम्यक् विलम्ब नहीं होना चाहिए ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

8. इसी प्रकार, **एम. एल. सिंगला** (उपर्युक्त) वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि श्रम न्यायालय की त्रुटि यह थी कि उन्होंने सर्वप्रथम विभागीय जांच की विधिमान्यता और वैधता पर विनिश्चय नहीं किया था । उक्त निर्णय में, माननीय उच्चतम की मताभिव्यक्तियां निम्नलिखित हैं :–

"20. जब हम उपर्युक्त प्रस्तुत सविस्तृत तथ्यों के प्रकाश में अधिनिर्णय की परीक्षा करते हैं तो हम यह पाते हैं कि श्रम न्यायालय ने निदेश का उत्तर देने में एक से अधिक अधिकारिता संबंधी त्रुटि कारित की हैं ।

21. <u>प्रथम त्रुटि यह थी कि वह विभागीय जांच की विधिमान्यता और वैधता को विनिश्चित करने में असफल रहा था चूंकि, पदच्युति आदेश विभागीय जांच पर आधारित था, इसलिए, श्रम न्यायालय की यह बाध्यता थी कि वह सर्वप्रथम प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में इस प्रश्न पर विनिश्चय करता कि क्या विभागीय जांच विधिक और समुचित थी</u> ।

22. इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर रहते हुए, श्रम न्यायालय को अगले प्रश्न का विनिश्चय करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी ।

23. यदि प्रारम्भिक विवाद्यक के प्रश्न का उत्तर यह था कि विभागीय जांच विधिक और समुचित है तो श्रम न्यायालय द्वारा इस अगले प्रश्न पर विचार करना चाहिए था कि क्या सेवा से पदच्युति का दंड आरोपों की गंभीरता के अनुसरण में है या श्रम न्यायालय द्वारा इसकी मात्रा के संबंध में हस्तक्षेप करने की अपेक्षा असंगत है ।

24. यदि इस प्रश्न का उत्तर यह था कि यह असंगत है तो श्रम न्यायालय कारणों को समनुदेशित करते हुए दंड की मात्रा में हस्तक्षेप करने का हकदार था और प्रत्यर्थी संख्या 1-बैंक द्वारा अधिरोपित दंड के स्थान पर अन्य दंड प्रतिस्थापित कर सकता था । श्रम न्यायालय ऐसा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की

धारा 11-क के अधीन शक्तियों का अवलंब लेते हुए कर सकता था ।

25. इस प्रश्न का विनिश्चय करते समय, श्रम न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह इस बात की परीक्षा करता कि क्या आरोप बनाए गए हैं या नहीं । दूसरे शब्दों में, प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए जांच ऐसे कारकों तक सीमित होनी चाहिए थी कि आरोप/आरोपों की प्रकृति, इसकी गंभीरता क्या है, क्या यह नियमों के अनुसार बड़ा या छोटा है, आरोपों पर जांच अधिकारी के निष्कर्ष, कर्मचारी की सभी प्रकार की सेवाओं का अभिलेख और अधिरोपित दंड इत्यादि ।

26. यदि श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विभागीय जांच अवैध है क्योंकि इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अतिक्रमण में किया गया था जिससे कर्मचारी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर कारित होता है तो प्रत्यर्थी संख्या 1-बैंक की यह विधिक बाध्यता थी कि वह श्रम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी (कर्मचारी) के विरुद्ध अभिकथित अवचार (आरोप) को साबित करता, परन्तु, उसने गुणागुणों पर आरोपों को साबित करने के लिए ऐसे अवसर की ईप्सा की है ।"

9. यह प्रतिपादना, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय** बनाम **पृथ्वी सिंह**[1] वाले मामले में और इस न्यायालय द्वारा **मैसर्स रेयान इंटरनेशनल स्कूल** बनाम **श्री पान सिंह**[2] वाले मामले में भी कायम रखा गया है ।

10. कर्मकार द्वारा फाइल उत्तर का परिशीलन करने से भी यह दर्शित होता है कि कर्मकार ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया है । उक्त उत्तर का सुसंगत भाग इसमें निम्नलिखित उद्धृत है :–

"1. कि प्रबंधतंत्र का आवेदन पूर्णतया अन्यायोचित है । प्रबंधतंत्र का निवेदन इस सीमा तक सही है कि जांच की

---

[1] ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 973.

[2] डब्ल्यू. पी. (सिविल) 14365/2021, विनिश्चय तारीख 15 दिसम्बर, 2021.

विधिमान्यता के संबंध में विवाद्यक को प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में माना जाना चाहिए और प्रारम्भिक प्रक्रम पर इसका निपटारा होना चाहिए । किन्तु प्रबंधतंत्र का यह कथन पूरी तरह से गलत है कि जांच की विधिमान्यता के बारे में विवाद्यक को साबित करने का भार कर्मकार पर है ।

प्रबंधतंत्र के लिखित कथन में यह कथित है कि प्रबंधतंत्र ने विभागीय जांच के आधार पर कर्मकार की पदच्युति की है, इसलिए, उक्त जांच की विधिमान्यता को साबित करने का भार प्रबंधतंत्र पर है । इस प्रकार, विवाद्यक निम्नलिखित रूप से विरचित किया जा सकता है –

'क्या प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित जांच ऋजु और समुचित थी और वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार थी ?'

..... इसलिए, जांच की विधिमान्यता को साबित करने के विवाद्यक को उपर्युक्त कथित रूप से विरचित किया गया और प्रबंधतंत्र के ऊपर यह भार सौंपा गया कि प्रबंधतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए इसे साबित करे ।"

11. इस न्यायालय की यह राय है कि सुस्थिर विधिक प्रतिपादना को ध्यान में रखते हुए, साधारण प्रक्रिया यह है कि जो श्रम न्यायालयों द्वारा अपनायी जानी चाहिए कि उन्हें विभागीय जांच की विधिमान्यता का विनिश्चय सर्वप्रथम प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में किया जाना चाहिए और यदि उक्त विवाद्यक प्रबंधतंत्र के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है तो उसके बाद प्रबंधतंत्र को श्रम न्यायालय के समक्ष कर्मकार की पदच्युति के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

12. ऐसी परिस्थितियों के अधीन श्रम न्यायालय को विभागीय जांच की विधिमान्यता के विवाद्यक को प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में विनिश्चित किया जाना चाहिए । तद्नुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त विवाद्यक संख्या 1क को अब श्रम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम

न्यायनिर्णीत किया जाएगा और उक्त विवाद्यक के निष्कर्षों पर निर्भर रहते हुए, मामले में श्रम न्यायालय के समक्ष विधि के अनुसरण में कार्यवाही की जाएगी ।

13. इस निर्णय की एक प्रति एलआईआर संख्या 2920/19, 2921/19, 2922/19, 2023/19, 2925/19 और 2926/19 में विद्वान् एडीजे, श्रम न्यायालय, राउज एवेन्यू न्यायालय को भेजी जाए । वर्तमान निर्णय को इस न्यायालय के महारजिस्ट्रार द्वारा सभी श्रम न्यायालयों को परिचालित किया जाए, ताकि सभी श्रम न्यायालय द्वारा जांच से संबंधित विवाद्यक को प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में एकरूपता से विनिश्चित किया जा सके ।

14. रिट याचिकाएं, इन निबंधनों के अधीन निपटाई जाती हैं । सभी लम्बित आवेदन भी निपटाए जाते हैं ।

15. इस आदेश की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यालय वेबसाइट www.delhihighcourt.nic.in पर सम्यक् रूप से अपलोडेड को अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आदेश की प्रमाणित प्रति माना जाएगा । आदेशों की भौतिक प्रति प्राप्त करने के लिए किसी प्राधिकारी/इकाई या मुकदमेबाज द्वारा जोर नहीं दिया जाएगा ।

रिट याचिकाएं निपटाई गईं ।

क.

खेम सिंह और अन्य

बनाम

श्री भीम सिंह और अन्य

(2013 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 56)

तारीख 10 नवम्बर, 2021

न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बारोवालिया

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – धारा 100 – द्वितीय अपील – विचारण न्यायालय द्वारा इस संहिता के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन आवेदन का निपटारा किए बिना मामले में निर्णय और डिक्री पारित किया जाना – चुनौती मंजूर होना – यदि विचारण न्यायालय के समक्ष किसी मामले की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन कोई आवेदन दिया जाता है तो विचारण न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वह ऐसे मामले में कोई निर्णय या डिक्री पारित करने के पूर्व उस आवेदन का निपटारा करे अन्यथा उस आवेदन का निपटारा किए बिना मामले में कोई निर्णय या डिक्री पारित करता है तो वह विधि में दूषित और कायम रखे जाने योग्य नहीं होगा ।

वर्तमान नियमित द्वितीय अपील के माध्यम से अपीलार्थियों ने विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), मंडी, जिला मंडी द्वारा 2009 की सिविल अपील संख्या 101 में पारित तारीख 1 दिसम्बर, 2012 के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी है जिसके द्वारा विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय ने विद्वान् सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), चच्योट, गोहर, जिला मंडी द्वारा 2003 की सिविल वाद संख्या 64 में पारित तारीख 22 अगस्त, 2009 के निर्णय और डिक्री की पुष्टि कर दी है । न्यायालय द्वारा यह द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित – जब आज वर्तमान मामले में सुनवाई की गई तो अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री के. डी. सूद ने यह तर्क दिया

कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य हैं, मात्र इस आधार पर ही कि विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय, निर्णय और डिक्री पारित किए जाने के पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन एक आवेदन को विनिश्चित करने में असफल रहा है और यह कि आवेदन, विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय में अविनिश्चित ही रह गया । दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री संजीव कोठियाल ने यह जोरदार तर्क दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन आवेदन अविनिश्चित रहा किन्तु निष्कर्ष विधि के अनुसार निकाले गए हैं । तद्नुसार, विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त करते हुए, इस एकमात्र बिन्दु पर वर्तमान अपील मंजूर की जाती है और मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के साथ पठित आदेश 41 के नियम 27 के अधीन फाइल आवेदन, जैसा कि अभिलेख के पृष्ठ 36 के साथ उत्तर में उल्लिखित है, जैसा कि विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष पृष्ठ 38 पर उल्लिखित है, का विधि के अनुसरण में निपटारा करने के लिए विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय के पास वापस भेजा जाता है । इसके पश्चात्, विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय को यथासंभव तत्परतापूर्वक और वरीयतः तारीख 30 अप्रैल, 2022 के पूर्व अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है । पक्षकार तारीख 1 दिसम्बर, 2021 को विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे । (पैरा 5, 6 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2007] 2007 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 622, विनिश्चित तारीख 27 अगस्त, 2021 : **सुश्री मानि देवी** बनाम **सुरेश चन्द और अन्य** 8

[1996] 1996 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 277, विनिश्चित तारीख 28 मई, 2021 : **मैसर्स हिमपराष्ठा फाइनेंसियर्स (प्रा.) लिमिटेड और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य** । 7

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2013 की नियमित द्वितीय अपील सं. 56.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री के. डी. सूद, ज्येष्ठ अधिवक्ता के साथ राज ठाकुर और हेत राम ठाकुर, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री संजीव कोठालिया, ज्येष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री अनैदा कोठालिया और सुश्री गरिमा कोठालिया, अधिवक्तागण

न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बारोवालिया – वर्तमान नियमित द्वितीय अपील के माध्यम से अपीलार्थियों ने विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), मंडी, जिला मंडी द्वारा 2009 की सिविल अपील संख्या 101 में पारित तारीख 1 दिसम्बर, 2012 के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी है जिसके द्वारा विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय ने विद्वान् सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), चच्योट, गोहर, जिला मंडी द्वारा 2003 की सिविल वाद संख्या 64 में पारित तारीख 22 अगस्त, 2009 के निर्णय और डिक्री की पुष्टि कर दी है ।

2. वर्तमान अपील का न्यायनिर्णयन करने के लिए आवश्यक तात्विक तथ्य यह हैं कि मूल वादी, श्री देवी राम (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल वादी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा फाइल प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रतिवादियों" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के विरुद्ध घोषणा और व्यादेश के लिए वाद को कायम रखा था, यह अभिकथन करते हुए कि स्वर्गीय श्री नोखु मूल वादी का पिता, खाता/खतौनी संख्या 10/23, किट्टा 56, माप 65-8-14 बीघा, स्थित ग्राम घायन, एच. बी. संख्या 101, इलाका कोहालू, तहसील चच्योट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट भूमि का कब्जे सहित स्वामी था और भूमि खेवट खतौनी संख्या 38/65, किटा 13, माप 2-15-3 बीघा, स्थित ग्राम काडो, एच. बी. संख्या 99 तहसील चच्योट,

जिला मंडी (जिसे इसमें इसके पश्चात् वाद भूमि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में समाविष्ट जो पूर्व में, पूर्ववर्ती स्वामी अमर सिंह और अन्यों के अधीन गैर-अधिभोगी किराएदार के रूप में स्वर्गीय नोखू राम के पूर्व कब्जे में था, वादी अपने दो भाइयों चेत राम और बालक राम के साथ नोखू राम की मृत्यु के पश्चात् वाद भूमि के कब्जे में आए थे । इसी प्रकार, स्वर्गीय नोखू राम की अन्य भूमि जो मोहल द्राहल संख्या एच. बी. सं. 97 में स्थित थी, भी किराएदार के रूप में नोखू राम के कब्जे में थी और जो उसकी मृत्यु के पश्चात् वादी और उसके दोनों भाइयों के कब्जे में आ गए थे । नोखू राम की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी और उसकी मृत्यु के पश्चात् वाद भूमि, वादी और उसके दोनों भाइयों के उत्तराधिकार में प्राप्त कर ली थी । वादी और उसके दोनों भाइयों अर्थात् चेत राम और बालक राम अवयस्क थे और वादी की माता अपने पति नोखू की मृत्यु के ठीक पश्चात् कालू राम के घर में रहने लगी थी । चूंकि, वादी और उसके भाई अवयस्क थे, इसलिए, उनकी माता श्रीमती कला देवी ने उन्हें भी कालू राम के घर ले आई थी और वहां पर रखा था । वर्ष 1950 में वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् नोखू के उत्तराधिकार के रूप में नामांतरण संख्या 95, 178 वादी, उसके भाइयों और साजू के पक्ष में अनुप्रमाणित हुए थे । पूर्वोक्त नामांतरणों के अनुप्रमाणन के समय पर, वादी और उसके भाई अवयस्क थे और कला ने वादी और उसके दो भाइयों को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सगे भाइयों के रूप में प्रस्तुत किया था । साजू के नाम में गलत राजस्व प्रविष्टि का असम्यक् लाभ लेते हुए, प्रतिवादी वर्ष 1996 में वादी के पास आया और यह अभ्यावेदन दिया कि वह साजू के नाम में अभिलिखित भूमि संपत्ति की देख-भाल और प्रतिपाल्य करने में असमर्थ है और उसके साधारण मुख्तारनामा के रूप में वादी को नियुक्त करने का आशय व्यक्त किया । साजू के नाम में नामांतरण गलत, अवैध, आरम्भतः शून्य होने के नाते वादी और उसके दोनों भाइयों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

3. वादी के पक्षकथन का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित कथन फाइल करते हुए प्रति-विरोध और विरोध किया गया था और यह

आरम्भिक आक्षेप करते हुए कि वाद कायम रखे जाने योग्य नहीं है, वादी वर्तमान वाद फाइल करने से स्वयं के कृत्य और आचरण द्वारा विबंधित है, वाद परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित है और वाद का न्यायालय शुल्क और अधिकारिता के प्रयोजन के लिए समुचित तौर पर मूल्यांकन नहीं हुआ है । गुणागुणों पर, इस बात से इनकार किया है कि नोखू की मृत्यु के पश्चात्, उसके मकान-मालिक ने सम्पत्ति को चेत राम और बालक राम के साथ वादी द्वारा समुचित तौर पर उत्तराधिकार और कब्जे में प्राप्त कर लिया था । तथ्य यह हैं कि नोखू की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पूर्ण भूमि सम्पत्ति उसके चार पुत्रों द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त कर ली गई थी । यह स्वीकृत है कि नोखू की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी और कला, नोखू की विधिक तौर पर विवाहित पत्नी थी । वस्तुतः, कला देवी ने नोखू के साथ दाम्पत्य जीवन के दौरान चार पुत्रों को जन्म दिया था और उत्तर देने वाला प्रतिवादी अपनी माता के गर्भ में था जब उसके पिता नोखू की मृत्यु हुई थी और प्रतिवादी का जन्म नोखू की मृत्यु की तारीख से तीन माह के पश्चात् हुआ था । साजू के रूप में उसका नाम उसकी दादी द्वारा पटवारी के अभिलेख में प्रविष्ट करवाया गया था ।

4. इससे व्यथित होकर, मूल वादी श्री देवी राम ने विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को आक्षेपित करते हुए विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील फाइल की, यह आक्षेपित करते हुए कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने विधि के विरुद्ध और सही परिप्रेक्ष्य में पक्षकारों के साक्ष्यों और अभिवचनों का मूल्यांकन किए बिना निष्कर्ष निकाला है । उक्त अपील लम्बित रहने के दौरान मूल वादी की मृत्यु हो गई और उसके विधिक प्रतिनिधियों अर्थात् श्री खेम सिंह और श्रीमती फग्नी ने वर्तमान अपील को जारी रखा । तथापि, वर्तमान अपील लम्बित रहने के दौरान श्रीमती फग्नी की मृत्यु हो गई, इसलिए, अपीलार्थियों की सूची से उसका नाम हटा दिया गया था । विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय ने विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि कर दी थी । अब, अपीलार्थी ने वर्तमान द्वितीय अपील फाइल की जिसे

निम्नलिखित सारवान् विधि के प्रश्नों पर तारीख 6 मई, 2013 को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था :-

> "1. क्या निचले न्यायालयों ने अभिवचनों और साक्ष्यों का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया है, यह अभिनिर्धारित करने में कि भीम सिंह **उर्फ** साजू राम नोखू राम का पुत्र है ?
>
> 2. क्या निचले न्यायालयों ने प्रदर्श पी डब्ल्यू 3/ए, प्रदर्श पी डब्ल्यू 3/सी प्रदर्श पी डब्ल्यू 3/ई प्रदर्श पी डब्ल्यू 3/जी और प्रदर्श पी डब्ल्यू 4/डी का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया है ?
>
> 3. क्या निचले अपील न्यायालय ने उन साक्ष्यों का अवलंब लिया है जो साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 50 के अधीन सुसंगत नहीं थीं ?
>
> 4. क्या विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश (एफ. टी. सी.) ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन आवेदन विनिश्चित नहीं करने में त्रुटि कारित की है ?"

5. जब आज वर्तमान मामले में सुनवाई की गई तो अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री के. डी. सूद ने यह तर्क दिया कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य हैं, मात्र इस आधार पर ही कि विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय, निर्णय और डिक्री पारित किए जाने के पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन एक आवेदन को विनिश्चित करने में असफल रहा है और यह कि आवेदन, विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय में अविनिश्चित ही रह गया ।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री संजीव कोठियाल ने यह जोरदार तर्क दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन आवेदन अविनिश्चित रहा किन्तु निष्कर्ष विधि के अनुसार निकाले गए हैं ।

7. **मैसर्स हिमपराष्ठा फाइनेंसियर्स (प्रा.) लिमिटेड और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के समन्वय न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "यह सुस्थिर विधि है कि जब एक पक्षकार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन एक आवेदन के साथ अपील न्यायालय के समक्ष आता है तो अपील न्यायालय द्वारा एक या अन्य तरीके से आवेदन विनिश्चित किया जाता है और उसे अभिलेख न्यायालय के समक्ष अविनिश्चित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि कोई भी यह कह सकता है कि अंतिम निर्णय का उसके विनिश्चय पर क्या असर होगा, यदि आवेदन न्यायालय द्वारा मंजूर किया जाता है । इस मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन फाइल तारीख 24 अप्रैल, 1996 के इस तृतीय आवेदन का विनिश्चय नहीं करके, विद्वान् अपील न्यायालय द्वारा तात्विक अनियमितता कारित की गई है जो उनके द्वारा पारित निर्णय और डिक्री विधि की दृष्टि में कुछ नहीं है । यह पुनः दोहराया जाता है कि यह न्यायालय यह सुझाव नहीं देता है कि प्रथम विद्वान् अपील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए और यह सभी इस न्यायालय के विवेक पर छोड़ा जाता है कि जब एक बार इस आवेदन को अभिलेख पर लाया गया था तो विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय को उस पर विनिश्चय करने का बाध्यकारी कर्तव्य था ।"

8. **सुश्री मानि देवी** बनाम **सुरेश चन्द और अन्य**[2] वाले मामले में, इस न्यायालय के समन्वय न्यायपीठ ने निम्नलिखित भी अभिनिर्धारित किया है :–

> "निस्संदेह, वादी को निचले अपील न्यायालय से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की उसकी प्रार्थना पर विनिश्चय कराने का

---

[1] 1996 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 277, विनिश्चय तारीख 28 मई, 2021.

[2] 2007 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 622, विनिश्चय तारीख 27 अगस्त, 2021.

अधिकार था । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन आवेदन पर अधिनिर्णय के अभाव में यह निचले अपील न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार की कोटि में आता है जिससे वादी को प्रतिकूलता कारित हो सकती है ।"

9. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विधि का सारवान् प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दिया जाता है, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन आवेदन पर एक या अन्य प्रकार से विनिश्चय करना अपेक्षित था ।

10. तद्नुसार, विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त करते हुए, इस एकमात्र बिन्दु पर वर्तमान अपील मंजूर की जाती है और मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के साथ पठित आदेश 41 के नियम 27 के अधीन फाइल आवेदन, जैसा कि अभिलेख के पृष्ठ 36 के साथ उत्तर में उल्लिखित है, जैसा कि विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष पृष्ठ 38 पर उल्लिखित है, का विधि के अनुसरण में निपटारा करने के लिए विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय के पास वापस भेजा जाता है । इसके पश्चात्, विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय को यथासंभव तत्परतापूर्वक और वरीयतः तारीख 30 अप्रैल, 2022 के पूर्व अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है । पक्षकार तारीख 1 दिसम्बर, 2021 को विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे ।

11. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त निर्बंधनों के अध्यधीन वर्तमान अपील निपटाई जाती है, पक्षकार अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे । विद्वान् निचले न्यायालय को अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाएं ।

द्वितीय अपील मंजूर की गई ।

क.

इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि.

बनाम

श्रीमती शकुंतला और अन्य

(2020 की एफएओ संख्या 149 और 150)

तारीख 17 नवम्बर, 2021

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 173 – यान दुर्घटनाग्रस्त होना – यान में यात्रा कर रहे यात्रियों की मृत्यु कारित होना – यात्रियों की मुफ्त यात्री के रूप में यात्रा करना साबित नहीं होना – चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति होना – प्रतिकर का निर्धारण – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त यान के चालक के पास यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति थी और उस यान में यात्रा कर रहे व्यक्ति मुफ्त यात्री के रूप में यात्रा नहीं कर रहे थे तो बीमा-कम्पनी ऐसी दुर्घटना में कारित क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगी जिसका निर्धारण संबंधित अधिकरण द्वारा तत्समय लागू विधियों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की अर्जित आय, आयु इत्यादि और परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है ।

वर्तमान मामले में, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन फाइल वर्तमान अपीलों में विद्वान् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, शिमला-3 द्वारा 2017 की आरबीटी संख्या 24-एस/2 और 2017 की आरबीटी संख्या 25-एस/2 में पारित तारीख 31 दिसम्बर, 2019 के अधिनिर्णयों को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान् निचले अधिकरण ने दावा याचिकाओं, जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1-दावेदार को मंजूर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी बीमा कम्पनी दावेदार को उसके पुत्र संजय कुमार और पति श्री लईक राम जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, याचिकाओं को फाइल करने की तारीख से उनके उद्ग्रहण होने तक प्रतिकर के रूप में

क्रमशः कुल रकम 14,98,000/- रुपए और 6,30,028/- रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ संदाय करने के लिए दायी है । इससे व्यथित होकर दोनों पक्षकारों ने अधिनियम की धारा 166 के अधीन याचिकाएं फाइल कीं । क्रमशः पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत अभिवचनों के साथ ही साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान् निचले अधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णयों द्वारा बीमा कम्पनी को यान का बीमाकर्ता होने के नाते प्रतिकर संदाय करने के दायित्व के रूप में क्रमशः 14,98,000/- रुपए और 6,30,028/- रुपए के साथ 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दावेदार को संदाय करने का आदेश दिया । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी ने वर्तमान कार्यवाहियों के अधीन इस न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जिसके द्वारा आक्षेपित अधिनिर्णयों को अपास्त करने और दावेदार द्वारा फाइल दावा याचिकाओं को खारिज करने का निवेदन किया । न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दावेदार ने अपने कथन में सुस्पष्टतः यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक किराना सामान क्रय करने के लिए खारापाथर गए थे और उन्हें लाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण यान को किराए पर लिया था । दावेदार का पूर्वोक्त बयान की अभि. सा. 6 प्रदीप कुमार द्वारा भी पुष्टि की गई है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 23 जुलाई, 2013 को अपराह्न लगभग 2.00-3.00 बजे लईक राम और उसका पुत्र संजय सेब के लिए पैकिंग सामग्री के साथ ही कतिपय किराना सामान लेने गए थे, जिसे उन्होंने सुरजान रनता की पिंक-अप जीप में लोड किया था और उन्हें ताऊ गांव ला रहे थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में, सुस्पष्टतः यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यान रजिस्ट्रीकरण संख्या एचपी-63-2943 में लईक राम और उसके पुत्र का माल ढोया जा रहा था । यद्यपि, इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसे यह याद नहीं है कि क्या उसने मृतक को विक्रय वस्तुओं के लिए बिल जारी किया था किन्तु उसने विनिर्दिष्ट तौर पर इनकार किया कि उसने दावेदार के पक्ष में गलत रूप से अभिसाक्ष्य दिया था । आशीष, प्रत्यर्थी सं. 1, जो प्रत्यर्थी साक्षी 2 के रूप में उपस्थित हुआ था, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक माल के स्वामियों के रूप में जीप में यात्रा

कर रहे थे । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने से कहीं भी यह सुझाव नहीं मिलता है कि विरोधी पक्षकार इस साक्षी से किसी भी ऐसी चीज के प्रतिकूल कुछ उद्धृत करने में समर्थ हुए थे कि क्या उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया था । प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा माल का बिल प्रस्तुत नहीं करने मात्र से अथवा दावेदार ने कहीं भी यह सिद्ध नहीं किया है कि किराना सामान सुरजान अर्थात् आशीष के पिता के प्रश्नगत जीप में मृतक द्वारा ले जाए जा रहे थे । यद्यपि, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी ने यह मामला बनाने का प्रयास किया कि प्रदीप कुमार कोई किराना दुकान नहीं चला रहा था, किन्तु इस बारे में अभिलेख पर कोई तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, सिवाय इस संबंध में अभिसाक्ष्य प्रदीप कुमार द्वारा दिए गए बयान कि उसके पास एक किराना दुकान है जिसकी पुष्टि यान के स्वामी आशीष पुत्र सुरजान के साथ ही दावेदार के बयान से होती है । निस्संदेह, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी ने इस तथ्य को साबित करने के लिए आपराधिक अहलमद प्रस्तुत किया कि दुर्घटना के समय पर यान में कोई माल नहीं था किन्तु परिवादी उप-निरीक्षक गौरी दत्त, जिसकी प्रेरणा पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज हुई थी, की कभी भी परीक्षा नहीं की गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुओं का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से, कहीं भी यह सुझाव नहीं मिलता है कि परिवादी गौरी दत्त कभी भी दुर्घटनास्थल पर गया था । यदि वह दुर्घटनास्थल पर नहीं गया था तो उसने कैसे दुर्भाग्यपूर्ण यान में, जिसमें मृतक यात्रा कर रहे थे, माल ले जाने/नहीं ले जाने के तथ्य के बारे में, यदि कोई हो, अभिलिखित किया । श्री शर्मा ने यह तर्क दिया कि चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श आर. डब्ल्यू. 2/ए जाली है क्योंकि सुरजान सिंह नागालैण्ड का निवासी नहीं था और अपराध करने वाले यान का पता जिला शिमला का है । यद्यपि, उन्होंने यह तर्क दिया कि नागालैण्ड के परिवहन आयुक्त द्वारा जारी सूचना के अनुसार, बुकलेट या मैनुअल प्ररूप में जारी अनुज्ञप्तियां असली नहीं हैं किन्तु, यह तथ्य शेष रह जाता है कि बीमा कम्पनी ने यह सिद्ध करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श आर. डब्ल्यू. 2/ए जाली है/थी, न ही जिला परिवहन कार्यालय, ओखा, नागालैण्ड के किसी कर्मचारी की कभी भी परीक्षा की गई न ही उस कार्यालय से कोई

अभिलेख कभी भी प्रस्तुत किया गया/मंगाया गया जिससे कि यह साबित हो सके कि चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श आर. डब्ल्यू. 2/ए विधिमान्य नहीं थी या कार्यालय द्वारा जारी की गई थी । इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त, नागालैण्ड के कार्यालय द्वारा अभिकथित तौर पर तारीख 1 अगस्त, 2014 की सूचना को कभी भी विद्वान् अधिकरण के समक्ष विधि के अनुसरण में साबित किया गया था, इस प्रकार, इसे सही ही इनकार किया गया है । यह सत्य है कि यद्यपि दावेदार ने यह दावा किया है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक अपने कृषिय व्यवसाय से क्रमशः प्रतिमाह 40,000/- रुपए और 25,000/- रुपए अर्जित कर रहे थे, किन्तु वह अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करते हुए इसे साबित करने में असफल रही थी और इस प्रकार, निचले अधिकरण ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि दोनों मृतक कृषक थे, जिस तथ्य को अन्यथा भी बीमा कम्पनी द्वारा कभी भी खंडन नहीं किया गया, जब अनुमानों के आधार पर मृतक की आय 10,000/- रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई थी । यद्यपि यह न्यायालय अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के इस तर्क से सहमत है कि चूंकि, मृतक की मासिक आय के बारे में कोई तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए, निचले अधिकरण को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में सुसंगत समय पर देय न्यूनतम मजदूरियों के आधार पर उनकी आय निर्धारित की जानी चाहिए थी किन्तु वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि मृतक संजय कुमार की मृत्यु के समय पर आयु 30 वर्ष थी और वह अपनी बागवानी की देखभाल कर रहा था । (पैरा 25, 26, 27, 28 और 29)

वर्तमान मामले में, यद्यपि दावेदार द्वारा मृतक की आय के बारे में अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जैसा कि दावा याचिका में उसके द्वारा दावा किया गया है, किन्तु, मृतक की मासिक आय के बारे में दावेदार द्वारा किया गया कथन, उनकी बागवानी होने के कारण अन्य साक्षियों द्वारा भी सम्यक् रूप से पुष्टि होती है । जैसा कि इसमें उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी के साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 2 भी दावेदार के इन दावों को

इनकार करने में समर्थ नहीं रहे हैं कि मृतक के पास बागवानी थी और इस प्रकार, यह सुरक्षित तौर पर उपधारणा और निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों मृतक अपनी बागवानी से प्रत्येक 10,000/- रुपए प्रतिमाह अर्जित कर रहे थे । जैसा कि इसमें उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना के समय पर मृतक बागवानियों के स्वामी थे और इस प्रकार, विद्वान् निचले अधिकरण ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के आधार पर मृतक की मासिक आय निर्धारित करने के बजाय सही ही अनुमानों के आधार पर इसे निर्धारित किया है जिसे वर्तमान मामले में, वास्तविकता से अलग नहीं कहा जा सकता है । दावेदार के मौखिक साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है जो मृतक अर्थात् संजय और लईक राम की माता और पत्नी है, दुर्घटना के समय पर मृतक अच्छी-खासी रकम अर्जित कर रहे थे किन्तु फिर भी निचले अधिकरण ने इस तथ्य को उल्लिखित किया है कि मृतक द्वारा अर्जित आय के बारे में अभिलेख पर कभी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्होंने अनुमानों के आधार पर, सही ही दोनों मृतकों में से प्रत्येक की मासिक आय 10,000/- रुपए के रूप में निर्धारित की है, जिसे किसी भी कल्पना के आधार पर अत्यधिक और/या उच्चतम नहीं कहा जा सकता है । (पैरा 32 और 34)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	2019 (1) हिमाचल एल. आर. (एच. सी.) 258 : **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** बनाम **दलीप सिंह और एक अन्य** ;	24
[2019]	2019 की एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 6466 से उद्भूत 2021 की सिविल अपील सं. 6152 : **चन्द्रा** उर्फ **चन्दा और एक अन्य** बनाम **मुकेश कुमार यादव और अन्य** ;	33
[2018]	2018 की एफ.ए.ओ. संख्या 244 : **चोलामंडलम् एमएस जी.आई.सी.** बनाम **श्रीमती नीलम और अन्य** ;	30

[2017] (2017) 5 एस. सी. सी. 79 :
शिवाकुमार एम. बनाम **मैनेजिंग डायरेक्टर, बैंगलूरु मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन** ; 29

[2013] एच. एल. जे. 2013 (एच. पी.) अनुपूरक 369 = 2018 की एफ.ए.ओ. सं. 288 :
शशि कुमार और एक अन्य बनाम **श्रीमती झूलो और एक अन्य**; 21

[2013] 2013 की एफ.ए.ओ. संख्या 4006 :
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम **आशा वर्मा** ; 30

[2009] (2009) 2 एस. सी. सी. 75 :
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम **रतानी और अन्य** । 21

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की एफ.ए.ओ. संख्या 149 और 150.

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री विरेन्दर शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री मनीष धतवाला, अधिवक्ता और आशीष वर्मा, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – चूंकि दोनों उपर्युक्त अपीलें एक ही दुर्घटना से संबंधित याचिकाओं में पारित अधिनिर्णयों के विरुद्ध निर्देशित हैं, इसलिए, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की सहमति से सुनवाई के लिए उन्हें एक साथ लिया जाता है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जाना है ।

2. मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 173 के अधीन फाइल वर्तमान अपीलों में विद्वान् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, शिमला-III द्वारा 2017 की आरबीटी संख्या 24-एस/2 और 2017 की आरबीटी संख्या 25-एस/2 में पारित तारीख 31 दिसम्बर, 2019 के अधिनिर्णयों को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान् निचले अधिकरण ने दावा

याचिकाओं, जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1-दावेदार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दावेदार" कहा गया है) को मंजूर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी बीमा कम्पनी दावेदार को उसके पुत्र संजय कुमार और पति श्री लईक राम जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, याचिकाओं को फाइल करने की तारीख से उनके उद्ग्रहण होने तक प्रतिकर के रूप में क्रमशः कुल रकम 14,98,000/- रुपए और 6,30,028/- रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ संदाय करने के लिए दायी है ।

3. सुस्पष्ट रूप से, मामले के तथ्य जैसा अभिलेख से उद्भूत होते हैं यह हैं कि अधिनियम की धारा 166 के अधीन दो याचिकाएं दावेदार की ओर से संस्थित की गई थीं, जिनमें उसने अपने पुत्र संजय कुमार और अपने पति लईक राम की मृत्यु की एवज में प्रत्येक में 35 लाख रुपए के साथ 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित प्रतिकर की ईप्सा की थी ।

4. दावेदार ने दावा याचिकाओं में दावा किया है कि तारीख 3 जुलाई, 2013 को उसका पुत्र संजय कुमार अपने पिता लईक राम के साथ खारापत्थर से अपने पैतृक गांव ताऊ, अपने यान रजिस्ट्रीकरण संख्या एचपी-63-2943 (बलोरो पिकप) से आ रहे थे जिसे उनके चालक अर्थात् सुरजान सिंह चला रहा था । दावेदार के अनुसार मृतक संजय कुमार और उसके पिता किराना सामग्री क्रय करने के लिए खारापत्थर गए थे और उन्होंने खारापत्थर से ताऊ तक के लिए दुर्भाग्यपूर्ण यान किराए पर लिया था । जब यान वेरस्ता कैंची के स्थान पर पहुंचा तो उसी स्थान पर सड़क दुर्घटना के परिणामस्वरूप यान का चालक अर्थात् सुरजान सिंह के साथ ही साथ उसका पुत्र संजय और पति लईक राम के शरीर पर कतिपय क्षतियां कारित हुईं और दुर्घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई ।

5. दावेदार ने यह दावा किया कि दुर्घटना के समय पर उसके मृतक पुत्र की आयु 31 वर्ष थी और उसके मृतक पति की आयु 65 वर्ष थी और वे अपनी कृषिय व्यवसाय से क्रमशः प्रतिमाह 40,000/- रुपए और 25,000/- रुपए अर्जित कर रहे थे । उपर्युक्त के अतिरिक्त, दावेदार

ने यह भी दावा किया कि यह दुर्घटना चालक अर्थात् सुरजान सिंह द्वारा यान रजिस्ट्रीकरण संख्या एचपी-63-2943 को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाए जाने के कारण घटित हुई थी और इस प्रकार, उसे दुर्घटना की तारीख से इसके उद्ग्रहण होने तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ कुल 35 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत किया जा सकता है ।

6. दावेदार द्वारा किए गए पूर्वोक्त दावे का प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री आशीष, दुर्घटनाग्रस्त यान का स्वामी ने याचिका बनाए रखने के आधार पर विरोध किया । उसने यह दावा किया कि चूंकि अपराध करने वाला यान दुर्घटना के समय पर अपीलार्थी बीमा कम्पनी के द्वारा बीमाकृत था, इस प्रकार, वह दावेदार को कोई प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी नहीं है, इसके बजाय, दावाकृत प्रतिकर का संदाय बीमा कम्पनी द्वारा किया जाना चाहिए । गुणागुणों पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दुर्घटना होने के तथ्य को स्वीकार किया है किन्तु इस बात से इनकार किया है कि दुर्घटना चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाने के कारण हुई थी । उसने यह दावा किया कि घटनास्थल पर तीव्र ढलान था और सब कुछ अचानक हुआ था, यान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके परिणामस्वरूप यान गहरी खाई में गिर गया ।

7. अपीलार्थी बीमा कम्पनी ने दावा कायम रखने के बारे में प्रारम्भिक आक्षेप करते हुए, दोनों दावा याचिकाओं में पृथक् उत्तर फाइल किया । अपीलार्थी-बीमा कम्पनी ने उत्तर में यह प्रकथन किया कि मृतक निःशुल्क यात्रियों के रूप में दुर्घटनाग्रस्त यान में यात्रा कर रहे थे और इस प्रकार बीमाकृत क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व नहीं है । अपीलार्थी-बीमा कम्पनी ने दावा किया कि प्रश्नगत यान को बीमा कम्पनी के निबंधनों और शर्तों के अतिलंघन में चलाया जा रहा था क्योंकि चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी और यान को बिना विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, मार्ग परमिट के चलाया जा रहा था, इसलिए, दावेदार को प्रतिकर संदाय करने के दायित्व का भार उस पर नहीं डाला जा सकता है । गुणागुणों पर अपीलार्थी बीमा कम्पनी इस बात से इनकार किया कि मृतक बागवानी या छंटाई, ग्रेडिंग, पैंकिंग

इत्यादि में विशेषज्ञ थे और क्रमशः 40,000/- रुपए और 25,000/- रुपए प्रतिमाह अर्जित कर रहे थे ।

8. क्रमशः पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत अभिवचनों, जैसा कि इसमें उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, के आधार पर विद्वान् अधिकरण ने निम्नलिखित विवाद्यकों को विरचित किया था :–

"1. क्या मृतक संजय कुमार की मृत्यु सुरजान सिंह के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाने के कारण मोटर दुर्घटना में हुई थी, जैसा कि अभिकथित है ?

2. क्या याची प्रतिकर पाने का हकदार है, यदि ऐसा है तो कितनी रकम और किससे ?

3. क्या मृतक मुफ्त यात्री के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण यान में यात्रा कर रहा था, जैसा कि अभिकथित है ?

4. क्या यान को बीमा पालिसी के आज्ञापक निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, जैसा कि अभिकथित है, यदि ऐसा था तो उसका प्रभाव ?

5. क्या यान के चालक के पास यान चलाने के लिए कोई विधिमान्य और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी ?

6. क्या याची स्वच्छ हाथों से अधिकरण के समक्ष नहीं आया है, यदि ऐसा है तो उसका प्रभाव ?

7. क्या याचिका दुरभिःसंधि में फाइल की गई है, जैसा कि अभिकथित है ?

8. अनुतोष ।"

9. क्रमशः पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत अभिवचनों के साथ ही साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान् निचले अधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णयों द्वारा बीमा कम्पनी को यान का बीमाकर्ता होने के नाते प्रतिकर संदाय करने के दायित्व के रूप में क्रमशः 14,98,000/- रुपए और 6,30,028/- रुपए के साथ 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से

दावेदार को संदाय करने का आदेश दिया । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी ने वर्तमान कार्यवाहियों के अधीन इस न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जिसके द्वारा आक्षेपित अधिनिर्णयों को अपास्त करने और दावेदार द्वारा फाइल दावा याचिकाओं को खारिज करने का निवेदन किया ।

10. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने और क्रमशः पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के साथ विद्वान् निचले अधिकरण द्वारा समनुदेशित कारणों, जिसके द्वारा दावा याचिकाओं को मंजूर किया गया था, का परिशीलन करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान कार्यवाहियों में आक्षेपित अधिनिर्णयों को प्रारम्भिक तौर पर चुनौती निम्नलिखित आधारों पर दी गई है :–

1. जब एक बार, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह साबित हो जाता है कि यान में कोई किराना माल/सेब बाक्स ले जाए नहीं जा रहे थे तो विद्वान् निचला न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि मृतक, यान में माल के स्वामियों के रूप में यात्रा कर रहे थे ।

2. जब एक बार, अभिलेख पर सम्यक् रूप से यह सिद्ध कर दिया जाता है कि मृतक संजय और लईक राम, दुर्घटना के समय पर दुर्भाग्यपूर्ण यान में मुफ्त यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे तो निचला अधिकरण, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी को प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी अभिनिर्धारित नहीं कर सकता था ।

3. निचला अधिकरण विवाद्यक संख्या 5 का उत्तर नकारात्मक रूप से देने में त्रुटि कारित की है, यह मत व्यक्त करते हुए कि चालक के पास विधिमान्य और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी ।

4. निचले अधिकरण ने प्रतिकर का निर्धारण करने के लिए दोनों मृतक की मासिक आय 10,000/- रुपए के रूप में गलत तौर पर निर्धारित की है, जबकि दावेदारों द्वारा मामले के अभिलेख पर कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

11. अपीलार्थी-बीमा कम्पनी के विद्वान् काउंसेल श्री विरेन्दर शर्मा

ने जोरदार रूप से तर्क दिया कि चूंकि एफआईआर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए की अन्तर्वस्तुओं को तर्कपूर्ण विश्वसनीय साक्ष्यों से दावेदार द्वारा साबित नहीं किए गए थे और दुर्भाग्यपूर्ण यान में माल ले जाएं/और ढोए जाते थे, दुर्घटना के समय पर यान में ले जाने वाले माल, यदि कोई हों, के बारे में कोई उल्लेख नहीं हुआ था । विद्वान् काउंसेल ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि दावेदार ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि दुर्भाग्यपूर्ण यान में मृतक द्वारा माल ढोए जाते थे, निचले अधिकरण ने मात्र अभि. सा.-6 प्रदीप कुमार के इस कथन के आधार पर कि मृतक संजय और उसके पिता ने किराना सामान क्रय किया था और दुर्भाग्यपूर्ण यान को किराए पर लिया था, इससे ही यह अभिनिर्धारित नहीं करना चाहिए था कि मृतक, माल के स्वामियों के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण यान में यात्रा कर रहे थे और न कि मुफ्त यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे ।

12. अपीलार्थी-बीमा कम्पनी के विद्वान् काउंसेल श्री शर्मा ने यह जोरदार रूप से तर्क दिया कि जब एक बार प्रतिवादी साक्षी-1 सुरेन्द्र शर्मा आपराधिक अहलमद ने शीर्षक राज्य बनाम सुरजान सिंह वाले मामले की मूल दांडिक वाद की फाइल प्रस्तुत की थी और अभिलेख के आधार पर यह कथन किया था कि चालक की चालन अनुज्ञप्ति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 181 के अधीन चालन भी निगमित की गई थी तो निचला अधिकरण यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि यान के चालक के पास यान चलाते समय विधिमान्य और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी ।

13. अंततः, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी के विद्वान् काउंसेल श्री शर्मा ने यह तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, यद्यपि दावेदार ने यह दावा किया है कि उसके पुत्र और पति दुर्घटना के समय पर कृषिय व्यवसाय से क्रमशः प्रतिमाह 40,000/- रुपए और 25,000/- रुपए अर्जित कर रहे थे किन्तु चूंकि वह इस एवज में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही थी, इसलिए, निचला अधिकरण, अनुमानों द्वारा सांकेतिक आधार पर मृतक की आय का निर्धारण नहीं कर सकता था इसके बजाय उन परिस्थितियों में, विद्वान् निचले अधिकरण को वर्ष 2013 में

हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, कर्मकार को देय न्यूनतम मजदूरियों के आधार पर आय का निर्धारण करना चाहिए था जो 150/- रुपए प्रतिदिन था और प्रतिमाह आय के रुप में 4,500/- रुपए निर्धारित किया जाना चाहिए था ।

14. प्रत्यर्थी-दावेदार के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री बी. एस. चौहान ने आक्षेपित अधिनिर्णयों का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि अधिनिर्णयों में कोई अवैधता या कमी नहीं है और वे मामले के अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के समुचित मूल्यांकन पर आधारित हैं । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभि. सा. 6 प्रदीप कुमार के कथन के मूल परिशीलन से ही यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि दुर्घटना के समय पर मृतक ने अभि. सा. 6 प्रदीप कुमार की दुकान से क्रय किराना सामानों को ले जाने के लिए अपराध करने वाले यान को किराए पर लिया था । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री चौहान ने श्री आशीष शर्मा, प्रतिवादी साक्षी 2 के कथन की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, यह तर्क दिया कि अभिकथित दुर्घटना के समय पर माल के स्वामियों के रूप में यान में यात्रा कर रहे थे । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री चौहान ने अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के बारे में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए तर्क का खंडन करते हुए, यह तर्क दिया कि यद्यपि परिवहन आयुक्त, नागालैण्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विवरण बुकलेट या मैन्युअल प्ररूप में जारी अनुज्ञप्तियां असली नहीं हैं, किन्तु चूंकि बीमा कम्पनी यह सिद्ध करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है कि चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श आर. डब्ल्यू. 2/ए जाली थी और इस प्रकार, विद्वान् निचले अधिकरण ने मृतक चालक की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श आर. डब्ल्यू. 2/ए को सही ही असली और विधिमान्य अभिनिर्धारित किया है ।

15. अंत में, श्री चौहान ने यह तर्क दिया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि दावेदार अभिलेख पर यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि दुर्घटना के समय पर मृतक अपनी कृषिय व्यवसाय से प्रतिमाह 40,000/- रुपए और 25,000/- रुपए अर्जित कर रहे थे क्योंकि दावेदार शकुंतला देवी ने अपने कथन में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दुर्घटना के समय पर,

मृतक बागवानी, पेंकिंग और छंटाई के रूप में कार्य कर रहे थे और प्रतिमाह 40,000/- रुपए और 25,000/- रुपए अर्जित कर रहे थे । श्री चौहान ने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि यह उपधारणा की जा सकती है कि दावेदार, मृतक की आय को साबित करने में असमर्थ थी, कोई गलती नहीं है, यदि कोई हो, क्योंकि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निर्धारित मृतक की आय 10,000/- रुपए प्रतिमाह निष्कर्ष निकाला गया है ।

16. अभि. सा. 1 शकुंतला देवी ने एक शपथपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए के माध्यम से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रश्नगत यान के चालक ने यान पर नियंत्रण खो दिया था, जिसके परिणामस्वरूप, वह सड़क से बाहर चला गया था । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गई थी जिससे कहीं भी यह सुझाव नहीं मिलता है कि उसके परिसाक्ष्य को विरोधी पक्षकार द्वारा उसके परिसाक्ष्य का खंडन किया जा सके ।

17. अभि. सा. 2 रणवीर ने भी शपथपत्र पर यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दुर्घटना, यान के चालक द्वारा उतावलेपन से यान चलाने के कारण घटित हुई थी । इस साक्षी ने प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए इस सुझाव से विनिर्दिष्ट तौर पर इनकार किया है कि दुर्घटना, यान में कुछ तकनीकी खराबी के कारण घटित हुई थी ।

18. अभि. सा. 4 कांस्टेबल प्रवीण कुमार ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए को साबित करते समय सुस्पष्टतः यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दुर्घटना, चालक सुरजान सिंह की उपेक्षा के कारण कारित हुई थी ।

19. पूर्वोक्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान् निचले अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि कारित की है कि यान को चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुओं को अभि. सा. 4 कांस्टेबल प्रवीण कुमार द्वारा सम्यक् रूप से साबित किया गया है । अन्यथा भी, कोई सुझाव, यदि कोई हो, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुओं की सत्यता के बारे में नहीं दी गई है ।

20. अपीलार्थी-बीमा कम्पनी के विद्वान् काउंसेल श्री विरेन्दर शर्मा ने यह तर्क दिया कि चूंकि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लिखित नहीं है कि दुर्घटना के समय यान में माल ले जाए जा रहे थे और उसके बारे में कोई अभिग्रहण ज्ञापन तैयार नहीं किया गया था, दावेदार का दावा कि मृतक द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण यान में किराना सामान ले जाया जा रहा था, अभिलेख के प्रतिकूल होने के नाते नामंजूर किए जाने योग्य है ।

तथापि, यह न्यायालय बीमा कम्पनी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए पूर्वोक्त निवेदन से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, विनिर्दिष्ट तौर पर तब जब वह व्यक्ति, जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराता है, वह इसकी अन्तर्वस्तुओं को साबित करने कि लिए साक्षी कटघरे में कभी नहीं आया । वर्तमान मामले में, यद्यपि, अभि. सा. 4 कांस्टेबल प्रवीण कुमार ने न्यायालय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ए की अन्तर्वस्तुओं को साबित किया है किन्तु, लोप, यदि कोई हो, जो उसकी ओर से दुर्घटना के समय पर दुर्भाग्यपूर्ण यान में ले जाए जाने वाले किराना सामान के बारे में अभिसाक्ष्य देने में की गई है, यह दावेदार के दावे को नामंजूर करने का आधार नहीं हो सकता है, विनिर्दिष्ट तौर पर तब जब परिवादी उप-निरीक्षक गौरी दत्त शर्मा, जिसकी प्रेरणा पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसकी अपीलार्थी बीमा कम्पनी ने मृतक द्वारा अभिकथित दुर्घटना के समय पर किराना सामान, यदि कोई हो, को नहीं ले जाने के तथ्य को साबित करने के लिए कभी भी परीक्षा नहीं की । इसके अतिरिक्त, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि उप-निरीक्षक गौरी दत्त ने दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने के पश्चात्, चौरा ग्राउंड, ग्राम ताऊ पर गया और वहां मृत शरीर पड़े पाया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुओं के अनुसार, पुलिस के वहां पहुंचने के पूर्व स्थानीय लोगों ने खाई से मृत शरीरों को पहले ही उठा लिया था और उन्हें चौरा ग्राउंड में रखा था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में, परिवादी ने यह रिपोर्ट किया था कि तारीख 23 जुलाई, 2013 को अपराह्न लगभग 6.00 से 7.00 बजे के बीच जब

दुर्भाग्यपूर्ण यान वेरस्ता कैंची के पास पहुंचा तो यह खाई में गिर गया और गांव के निवासियों ने उनके मृत शरीरों को रात्रि के दौरान ही गांव ताऊ में लाए थे । यद्यपि, इस साक्षी ने यह कथन किया है कि खाई की गहराई लगभग 40 फीट पाई गई थी किन्तु, यह कहीं भी सुझाव नहीं दिया गया है कि वह खाई में नीचे उतरा था, इस प्रकार, उसके लिए अभिकथित दुर्घटना के समय पर दुर्भाग्यपूर्ण यान में माल ढोए जाने के बारे में कोई कथन करने का अवसर नहीं था ।

21. अपीलार्थी बीमा कम्पनी के विद्वान् काउंसेल श्री विरेन्दर शर्मा ने **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** बनाम **रतानी और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और **शशि कुमार और एक अन्य** बनाम **श्रीमती झूलो और एक अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के समन्वय न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 25 अप्रैल, 2019 के निर्णय का अवलंब लेते हुए, यह कथन किया कि जब एक बार दावेदारों ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अवलंब ले लिया तो निचले अधिकरण को इसका सम्पूर्ण रूप से परिशीलन किया जाना चाहिए था और जब एक बार माल ले जाए जाने के तथ्य को अभिलिखित नहीं किया गया तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि दुर्घटना के समय पर मृतक माल के स्वामियों के रूप में यान में यात्रा कर रहे थे ।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त निर्णयों के मूल परिशीलन से स्पष्ट तौर पर यह प्रकट होता है कि साधारणतया प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथन साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य के समान नहीं होता है किन्तु यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथन दावा याचिका के भागरूप में किए गए हैं तो न्यायालय उसका संज्ञान लेने के लिए आबद्ध है । वर्तमान मामले में, यद्यपि दावेदार ने चालक की ओर से यान को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाए जाने को साबित करने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अवलंब लिया था किन्तु यदि इसका सम्पूर्ण रूप से परिशीलन किया जाता है तो

---

[1] (2009) 2 एस. सी. सी. 75.

[2] एच. एल. जे. 2013 (एच. पी.) अनुपूरक 369 = 2018 की एफ.ए.ओ. सं. 288.

यह किसी भी प्रकार से बीमा कम्पनी के मामले का समर्थन नहीं करता है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुओं से यह नितान्त प्रकट होता है कि परिवादी के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं था, यदि कोई हो, कि वह दुर्घटना के समय पर दुर्भाग्यपूर्ण यान में माल ले जाए जाने के तथ्य को सत्यापित करता, बजाय वह दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने के पश्चात् चौरा ग्राउंड में रखे मृत शरीरों को मात्र देखा था ।

23. दुर्भाग्यपूर्ण यान में माल ले जाए जाने के तथ्य, यदि कोई हो, सभी प्रकार से परिवादी, उप-निरीक्षक गौरी दत्त की परीक्षा द्वारा ही साबित किया जा सकता था जिसकी वर्तमान मामले में परीक्षा नहीं की गई है, कोई गलती, यदि कोई हो, विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में नहीं पायी जाती है ।

24. **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** बनाम **दलीप सिंह और एक अन्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया है जिसमें इस न्यायालय के समन्वय न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "2. अपीलार्थी/बीमाकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष अत्यधिक जोर देते हुए यह दलील दी है (i) कि सुसंगत समय पर, यद्यपि दावेदार अपराध करने वाले यान में मुफ्त यात्रियों के रूप में यात्रा कर रहे थे, जबकि बीमा की संविदा प्रदर्श आरएक्स में अपराध करने वाले यान में पूर्वोक्त क्षमता में, दावेदार के अलावा भी यात्रियों को ले जाने के लिए प्रतिषिद्ध है (ii) अतएव, उसके उपरान्त बचने के बजाय बीमा संविदा प्रदर्श आरएक्स का मौलिक उल्लंघन प्रकट होता है, (iii) उसके उपरान्त, बीमाकर्ता के ऊपर क्षतिपूर्ति का दायित्व अधिरोपित करना प्रतिकूल रूप से संशोधित करना है । तथापि, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से पूर्वोक्त सहभागिता उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि (क) दावेदार अभि. सा. 6 के रूप में उपस्थित होते समय, घटना के सुसंगत स्थल पर अपनी उपस्थिति के बारे में और प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपराध करने वाले यान को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाने के बारे में

[1] 2019 (1) हिमाचल एल. आर. (एच.सी.) 258.

अभिसाक्ष्य दिया (अधिकरण के समक्ष) है । (ख) उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसी समय पर उसके शरीर पर क्षतियां कारित हुई थीं, (ग) दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में उसके परिसाक्ष्य में ऐसी ही प्रतिध्वनी प्रतीत होती है, यद्यपि यह नरेन्द्र कुमार की प्रेरणा पर दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए के प्रतिकूल है जिसमें अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदन का समर्थन नहीं होता है, अतएव, (घ) इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए में दिए गए विवरणों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि नरेन्द्र कुमार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए में दिए गए पूर्वोक्त विवरणों को साबित करने के लिए कभी भी साक्षी कठघरे में नहीं आया । इसका प्रभाव यह हुआ कि दावेदार द्वारा दिया गया परिसाक्ष्य, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए में दिए गए विवरणों से सुस्पष्टतः विपरीत है अतएव, उन्हें तकपूर्ण रूप से साबित किया जाना था । पूर्वोक्त कथित निष्कर्ष के संपार्श्विक, दावेदार को इसके बारे में यह साबित करना था कि सुसंगत समय पर वह अपराध करने वाले यान में मुफ्त यात्रियों के रूप में यात्रा नहीं कर रहा था, उसने सुसंगत समय के बारे में अपनी उपस्थिति साबित करने के बजाय वह सड़क पर टहल रहा था । आगे उसके क्रम में यह है कि बीमाकर्ता पर क्षतिपूर्ति दायित्व का अधिरोपित करना किसी सम्पूर्ण दायित्व के साथ दीर्घस्थायी नहीं होता है ।"

25. दावेदार ने अपने कथन में सुस्पष्टतः यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक किराना सामान क्रय करने के लिए खारापाथर गए थे और उन्हें लाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण यान को किराए पर लिया था । दावेदार का पूर्वोक्त बयान की अभि. सा. 6 प्रदीप कुमार द्वारा भी पुष्टि की गई है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 23 जुलाई, 2013 को अपराह्न लगभग 2.00-3.00 बजे लईक राम और उसका पुत्र संजय सेब के लिए पैकिंग सामग्री के साथ ही कतिपय किराना सामान लेने गए थे, जिसे उन्होंने सुरजान रनता की पिंक-अप जीप में लोड किया था और उन्हें ताऊ गांव ला रहे थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में,

सुस्पष्टतः यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यान रजिस्ट्रीकरण संख्या एचपी-63-2943 में लईक राम और उसके पुत्र का माल ढोया जा रहा था । यद्यपि, इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसे यह याद नहीं है कि क्या उसने मृतक को विक्रय वस्तुओं के लिए बिल जारी किया था किन्तु उसने विनिर्दिष्ट तौर पर इनकार किया कि उसने दावेदार के पक्ष में गलत रूप से अभिसाक्ष्य दिया था ।

26. आशीष, प्रत्यर्थी सं. 1, जो प्रत्यर्थी साक्षी 2 के रूप में उपस्थित हुआ था, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक माल के स्वामियों के रूप में जीप में यात्रा कर रहे थे । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने से कहीं भी यह सुझाव नहीं मिलता है कि विरोधी पक्षकार इस साक्षी से किसी भी ऐसी चीज के प्रतिकूल कुछ उद्धित करने में समर्थ हुए थे कि क्या उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया था । प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा माल का बिल प्रस्तुत नहीं करने मात्र से अथवा दावेदार ने कहीं भी यह सिद्ध नहीं किया है कि किराना सामान सुरजान अर्थात् आशीष के पिता के प्रश्नगत जीप में मृतक द्वारा ले जाए जा रहे थे ।

27. यद्यपि, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी ने यह मामला बनाने का प्रयास किया कि प्रदीप कुमार कोई किराना दुकान नहीं चला रहा था, किन्तु इस बारे में अभिलेख पर कोई तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, सिवाय इस संबंध में अभिसाक्ष्य प्रदीप कुमार द्वारा दिए गए बयान कि उसके पास एक किराना दुकान है जिसकी पुष्टि यान के स्वामी आशीष पुत्र सुरजान के साथ ही दावेदार के बयान से होती है । निसंस्देह, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी ने इस तथ्य को साबित करने के लिए आपराधिक अहलमद प्रस्तुत किया कि दुर्घटना के समय पर यान में कोई माल नहीं था किन्तु परिवादी उप-निरीक्षक गौरी दत्त, जिसकी प्रेरणा पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज हुई थी, की कभी भी परीक्षा नहीं की गई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुओं का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से, कहीं भी यह सुझाव नहीं मिलता है कि परिवादी गौरी दत्त कभी भी दुर्घटनास्थल पर गया था । यदि वह दुर्घटनास्थल पर नहीं गया था तो उसने कैसे दुर्भाग्यपूर्ण यान में, जिसमें मृतक यात्रा कर रहे थे, माल ले जाने/नहीं ले जाने के तथ्य के बारे में, यदि कोई हो, अभिलिखित किया ।

28. श्री शर्मा ने यह तर्क दिया कि चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श आर. डब्ल्यू. 2/ए जाली है क्योंकि सुरजान सिंह नागालैण्ड का निवासी नहीं था और अपराध करने वाले यान का पता जिला शिमला का है । यद्यपि, उन्होंने यह तर्क दिया कि नागालैण्ड के परिवहन आयुक्त द्वारा जारी सूचना के अनुसार, बुकलेट या मैनुअल प्ररुप में जारी अनुज्ञप्तियां असली नहीं हैं किन्तु, यह तथ्य शेष रह जाता है कि बीमा कम्पनी ने यह सिद्ध करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श आर. डब्ल्यू. 2/ए जाली है/थी, न ही जिला परिवहन कार्यालय, ओखा, नागालैण्ड के किसी कर्मचारी की कभी भी परीक्षा की गई न ही उस कार्यालय से कोई अभिलेख कभी भी प्रस्तुत किया गया/मंगाया गया जिससे कि यह साबित हो सके कि चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श आर. डब्ल्यू. 2/ए विधिमान्य नहीं थी या कार्यालय द्वारा जारी की गई थी । इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त, नागालैण्ड के कार्यालय द्वारा अभिकथित तौर पर तारीख 1 अगस्त, 2014 की सूचना को कभी भी विद्वान् अधिकरण के समक्ष विधि के अनुसरण में साबित किया गया था, इस प्रकार, इसे सही ही इनकार किया गया है ।

29. यह सत्य है कि यद्यपि दावेदार ने यह दावा किया है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक अपने कृषिय व्यवसाय से क्रमशः प्रतिमाह 40,000/- रुपए और 25,000/- रुपए अर्जित कर रहे थे, किन्तु वह अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करते हुए इसे साबित करने में असफल रही थी और इस प्रकार, निचले अधिकरण ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि दोनों मृतक कृषक थे, जिस तथ्य को अन्यथा भी बीमा कम्पनी द्वारा कभी भी खंडन नहीं किया गया, जब अनुमानों के आधार पर मृतक की आय 10,000/- रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई थी । यद्यपि यह न्यायालय अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के इस तर्क से सहमत है कि चूंकि, मृतक की मासिक आय के बारे में कोई तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए, निचले अधिकरण को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में सुसंगत समय पर देय न्यूनतम मजदूरियों के आधार पर उनकी आय निर्धारित की जानी चाहिए थी किन्तु वर्तमान मामले में, यह

विवादित नहीं है कि मृतक संजय कुमार की मृत्यु के समय पर आयु 30 वर्ष थी और वह अपनी बागवानी की देखभाल कर रहा था और इस प्रकार, निचले अधिकरण ने **शिवाकुमार एम.** बनाम **मैनेजिंग डायरेक्टर, बैगलूरु मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने आकस्मिक कर्मकार अर्थात् पेंटर की आय अर्थात् 15,000/- रुपए से 16,500/- रुपए निर्धारित की थी, का अवलंब लेते हुए, मृतक की आय अर्थात् 10,000/- रुपए प्रतिमाह निर्धारित की है । इसी प्रकार, निचले अधिकरण ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि मृतक लईक राम एक कृषक था और वह अपनी बागवानी की देखभाल कर रहा था, उसकी आय भी बागवानी की उन्नति देखते हुए प्रतिमाह 10,000/- रुपए निर्धारित की है ।

30. बीमा कम्पनी के विद्वान् काउंसेल ने **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** बनाम **आशा वर्मा**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के समन्वय न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 25 अक्तूबर, 2019 के निर्णय और **चोलामंडलम् एमएस जी.आई.सी.** बनाम **श्रीमती नीलम और अन्य**[3] वाले मामले में, इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 10 नवम्बर, 2019 के निर्णय का अवलंब लिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक की मासिक आय के बारे में विनिर्दिष्ट सबूत के अभाव में उसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए ।

31. यद्यपि, इसमें उपर्युक्त उल्लिखित निर्णयों में इस न्यायालय के समन्वय न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि की पूर्वोक्त प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकता है किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिवाकुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में, इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उस मामले में मृतक एक पेंटर था, जिसकी मासिक आय 10,000/- रुपए निर्धारित करने के बजाय 15,000/- रुपए निर्धारित

---

[1] (2017) 5 एस. सी. सी. 79.

[2] 2013 की एफ.ए.ओ. संख्या 4006.

[3] 2018 की एफ.ए.ओ. संख्या 244.

की थी जैसा कि वर्तमान मामले में अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है । पूर्वोक्त निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुस्पष्टतः यह अभिनिर्धारित किया है कि आकस्मिक कर्मकार के लिए, जो पेंटिंग का कार्य करने के लिए एक घर से दूसरे घर और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसकी आय के बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त करना कठिन है क्योंकि वह स्थायी नियोजक नहीं है ।

32. वर्तमान मामले में, यद्यपि दावेदार द्वारा मृतक की आय के बारे में अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जैसा कि दावा याचिका में उसके द्वारा दावा किया गया है, किन्तु, मृतक की मासिक आय के बारे में दावेदार द्वारा किया गया कथन, उनकी बागवानी होने के कारण अन्य साक्षियों द्वारा भी सम्यक् रूप से पुष्टि होती है । जैसा कि इसमें उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, अपीलार्थी-बीमा कम्पनी के साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 2 भी दावेदार के इस दावों को इनकार करने में समर्थ नहीं रहे हैं कि मृतक के पास बागवानी थी और इस प्रकार, यह सुरक्षित तौर पर उपधारणा और निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों मृतक अपनी बागवानी से प्रत्येक 10,000/- रुपए प्रतिमाह अर्जित कर रहे थे ।

33. हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **चन्द्रा** उर्फ **चन्दा और एक अन्य** बनाम **मुकेश कुमार यादव और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अनुमानों के आधार पर कुछ रकम निर्धारित किया जाना अपेक्षित है, किन्तु उसी समय पर, उसे वास्तविकता से पूर्णतया अलग नहीं किया जाना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "10. दावेदारों का यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन है कि मृतक के पास भारी यान चालन अनुज्ञप्ति थी और वह 15,000/- रुपए प्रतिमाह अर्जित कर रहा था । दुर्घटना की तारीख पर ऐसी

---

[1] 2019 की एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 6466 से उद्भूत 2021 की सिविल अपील संख्या 6152.

अनुज्ञप्ति होने और भारी यान चलाने की अनुज्ञप्ति को अभिलेख पर साक्ष्यों द्वारा साबित कर दिया गया है । [1919 की सी. ए. **उर्फ** एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 6466 = (2021) 2 एस. सी. सी. 166] यद्यपि, मृतक की पत्नी ने अभि. सा. 1 के रूप में सुस्पष्टतः यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पति शिवपाल प्रतिमाह 15,000/- रुपए अर्जित कर रहे थे, जिसपर मात्र इस आधार पर विचार नहीं किया गया था कि वेतन प्रमाणपत्र फाइल नहीं किया गया था । अधिकरण ने वर्ष 2016 में कुशल श्रमिक के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी को अंगीकार करते हुए, मृतक की मासिक आय नियत की है । वेतन प्रमाणपत्र के अभाव में, न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित करने का एक मापदंड हो सकता है किन्तु उसी समय पर मृतक की आय सम्पूर्ण रूप से नियत नहीं की जा सकती है । अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, अनुमानों के आधार पर कुछ रकम नियत करने की आवश्यकता होती है । किन्तु, उसी समय पर मृतक की आय निर्धारित करने के लिए अनुमानों के आधार पर मृतक की आय सम्पूर्ण रूप से वास्तविकता से अलग नहीं होनी चाहिए । मात्र इस कारण से कि दावेदार शिवपाल की मासिक आय दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे, इसे आय की संगणना करते समय न्यूनतम मजदूरी की निचली पंक्ति को अंगीकार करना न्यायोचित नहीं हो सकता है । मृतक की पत्नी के मौखिक साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि स्वर्गीय शिवपाल प्रतिमाह लगभग 10,000/- रुपए अर्जित कर रहे थे । मीनू राउत और एक अन्य **बनाम** सत्या प्रदायमना महापात्रा और अन्य [(2013) 10 एस. सी. सी. 695 = 2019 की सी. ए. **उर्फ** एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 6466] वाले मामले में, इस न्यायालय ने एक दुर्घटना जो तारीख 8 नवम्बर, 2004 को घटित हुई थी, से संबंधित दावे पर विचार करते समय हल्के मोटर यान के चालक का वेतन 6,000/- रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया है । इस मामले में, दुर्घटना, तारीख 27 फरवरी, 2016 को घटित हुई थी और यह स्पष्टतः साबित हुआ है कि

मृतक के पास भारी यान चालन अनुज्ञप्ति थी और दुर्घटना के दिन वह यान चला रहा था । बड़ी संख्या में यानों के बढ़ने और माल ढोने वाले चालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए और अभिलेख पर के मौखिक साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हम आश्रित की हानि के प्रयोजन के लिए मृतक की आय 8,000/- रुपए प्रतिमाह निर्धारित कर सकते हैं । मृतक की आयु, दुर्घटना की तारीख पर लगभग 32 वर्ष थी और क्योंकि वह नियत वेतन पर था, भावी संभावनाओं की हानि के बारे में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है । उस समय पर मृतक की आय से उसके वैयक्तिक खर्चों के संबंध में एक तिहाई की कटौती की जाती है । तद्नुसार, मृतक की आय 7,467/- रुपए प्रतिमाह पहुंच सकती है । 16 का गुणक लागू करने पर, दावेदार, प्रतिकर के रूप में 14,33,664/- रुपए पाने की हकदार है । क्योंकि 10,99,700/- रुपए की रकम आश्रित की हानि के संबंध में पहले ही संदत्त किया जा चुका है, अपीलार्थी/माता-पिता 3,33,964/- रुपए की अन्तर प्रतिकर के लिए हकदार है । मैगमा जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड **बनाम** नानू राम **उर्फ** चुहरु राम और अन्य वाले मामले में, इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए भी अपीलार्थी प्रत्येक 40,000/- रुपए की माता-पिता की सहायता के रूप में पाने के भी हकदार हैं । अधिकरण का यह निष्कर्ष कि माता-पिता आश्रितों के रूप में नहीं माने जा सकते हैं जो इस न्यायालय द्वारा सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य **बनाम** दिल्ली परिवहन निगम और अन्य [(2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1546 = (2018) 18 एस. सी. सी. 130 = 2019 की सी. ए. **उर्फ** एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 6466] वाले मामले में दिए गए निर्णय के प्रतिकूल है । प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए कीर्ति और एक अन्य **बनाम** ओरिएंटल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड वाला मामला, मामले के तथ्यों के बारे में और अभिलेख पर के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनके मामले के समर्थन में कोई सहायता नहीं करता है ।"

34. जैसा कि इसमें उपर्युक्त उल्लिखित किया गया है, इस बारे में

कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना के समय पर मृतक बागवानियों के स्वामी थे और इस प्रकार, विद्वान् निचले अधिकरण ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के आधार पर मृतक की मासिक आय निर्धारित करने के बजाय अनुमानों के आधार पर सही ही इसे निर्धारित किया है जिसे वर्तमान मामले में, वास्तविकता से अलग नहीं कहा जा सकता है । दावेदार के मौखिक साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है जो मृतक अर्थात् संजय और लईक राम की माता और पत्नी है, दुर्घटना के समय पर मृतक अच्छी-खासी रकम अर्जित कर रहे थे किन्तु फिर भी निचले अधिकरण ने इस तथ्य को उल्लिखित किया है कि मृतक द्वारा अर्जित आय के बारे में अभिलेख पर कभी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्होंने अनुमानों के आधार पर, सही ही दोनों मृतकों में से प्रत्येक की मासिक आय 10,000/- रुपए के रूप में निर्धारित की है, जिसे किसी भी कल्पना के आधार पर अत्यधिक और/या उच्चतम नहीं कहा जा सकता है ।

35. परिणामतः, इसमें उपर्युक्त विस्तृत चर्चा के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय, विद्वान् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, शिमला-III द्वारा पारित अधिनिर्णयों में कोई अवैधता या कमी नहीं पाता है और उन्हें कायम रखा जाता है । दोनों अपीलें असफल होती है और तद्नुसार, खारिज की जाती हैं । खर्चों का कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

36. अन्तरिम आदेश, यदि कोई हो, वातिल की जाती है । सभी प्रकीर्ण आवेदन निपटाए जाते हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

क.

संसद् के अधिनियम

सती (निवारण) अधिनियम, 1987

(1988 का अधिनियम संख्यांक 3)

[3 जनवरी, 1988]

सती कर्म के और उसके गौरवान्वयन के अधिक प्रभावी निवारण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

सती या विधवाओं या स्त्रियों का जीवित दहन या गाड़ा जाना मानव प्रकृति की भावनाओं के विपरीत है और यह भारत के किसी भी धर्म में कहीं भी अनिवार्य कर्तव्य के रूप में आदिष्ट नहीं है ;

और सती कर्म के और उसके गौरवान्वयन के निवारण के लिए अधिक प्रभावी उपाय करना आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

भाग 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सती (निवारण) अधिनियम, 1987 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. परिभाषाएं – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है ;

(ख) सती कर्म के संबंध में, "गौरवान्वयन" के अंतर्गत चाहे सती कर्म इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात्, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित है –

(i) सती कर्म के संबंध में कोई अनुष्ठान करना या कोई जुलूस निकालना ; या

(ii) सती की प्रथा का किसी भी रीति से समर्थन करना, न्यायोचित ठहराना या प्रचार करना ; या

(iii) उस स्त्री का, जिसने सती कर्म किया है, गुणगान करने के लिए किसी समारोह का आयोजन करना ; या

(iv) उस स्त्री के, जिसने सती कर्म किया है, सम्मान को कायम रखने या स्मृति को बनाए रखने की दृष्टि से किसी न्यास का सृजन करना या निधि का संग्रह करना, या कोई मंदिर या अन्य संरचना सन्निर्मित करना या उसमें किसी भी रूप में उपासना करना या कोई अनुष्ठान करना ;

(ग) "सती कर्म" से अभिप्रेत है, –

(i) किसी विधवा का उसके मृत पति या किसी अन्य नातेदार के शरीर के साथ या पति या ऐसे नातेदार से संबंधित किसी वस्तु, पदार्थ या चीज के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य ; अथवा

(ii) किसी स्त्री का उसके किसी भी नातेदार के शरीर के साथ जीवित दहन या गाड़ देने का कार्य, भले ही यह दावा किया जाए कि ऐसा दहन या गाड़ देना विधवा या स्त्री की ओर से स्वेच्छा से किया गया है या अन्यथा ;

(घ) "विशेष न्यायालय" से धारा 9 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ङ) "मंदिर" के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, स्मृति बनाए रखने के लिए सन्निर्मित या बनाया गया और किसी भी रूप में उपासना करने के लिए या ऐसे सती कर्म के संबंध में कोई अन्य अनुष्ठान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई भवन या कोई संरचना है चाहे उस पर छत है या नहीं ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो भारतीय दंड संहिता या संहिता में हैं ।

भाग 2
सती कर्म से संबंधित अपराधों के लिए दंड

3. सती कर्म करने का प्रयत्न – भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई सती कर्म करने का प्रयत्न करेगा और सती कर्म करने का कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परंतु इस धारा के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने से पूर्व, अपराध किए जाने की परिस्थितियों, किए गए कार्य, अपराध से आरोपित व्यक्ति की कार्य करने के समय मानसिक दशा और अन्य सभी सुसंगत बातों पर विचार करेगा ।

4. सती कर्म करने का दुष्प्रेरण – (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई स्त्री सती कर्म करती है, तो जो कोई सती कर्म करने का, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु से, या आजीवन कारावास से, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) यदि कोई स्त्री सती कर्म करने का प्रयत्न करती है, तो जो कोई ऐसे प्रयत्न का प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दुष्प्रेरण करेगा वह

आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित कार्यों में से किसी कार्य या तत्समान कार्यों को भी दुष्प्रेरण समझा जाएगा, अर्थात् :–

(क) किसी विधवा या स्त्री को उसके मृत पति या किसी अन्य नातेदार के शरीर के साथ या पति या ऐसे नातेदार से संबंधित किसी वस्तु, पदार्थ या चीज के साथ, स्वयं का जीवित दहन कर लेने या गड़ जाने के लिए उत्प्रेरित करना, चाहे वह ठीक मानसिक दशा में है या मत्तता या संज्ञा शून्यता की हालत में है या ऐसा कोई अन्य कारण है जो उसकी स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग में बाधा डाल रहा है ;

(ख) किसी विधवा या स्त्री को यह विश्वास दिलाना कि सती कर्म के परिणामस्वरूप उसे या उसके मृत पति या नातेदार को कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा या कुटुम्ब का पूर्ण कल्याण होगा ;

(ग) किसी विधवा या स्त्री को, सती कर्म करने के उसके संकल्प में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उसे सती कर्म करने के लिए उकसाना ;

(घ) सती कर्म से संबंधित किसी जुलूस में भाग लेना या विधवा या स्त्री को उसके मृत पति या नातेदार के शरीर के साथ शवदाह या शमशान भूमि तक ले जाकर सती कर्म करने के उसके विनिश्चय में सहायता करना ;

(ङ) उस स्थान पर, जहां सती कर्म किया जा रहा है, सती कर्म करने के कार्य में या उससे संबंधित किसी अनुष्ठान में सक्रिय सहभागी के रूप में उपस्थित रहना ;

(च) विधवा या स्त्री को, जीवित दहन किए या गाड़े जाने से अपने को बचाने से रोकना या उसमें बाधा पहुंचाना ;

(छ) सती कर्म के निवारण के लिए पुलिस के कोई कदम

उठाने के उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाना या हस्तक्षेप करना ।

5. सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए दंड – जो कोई सती कर्म के गौरवान्वयन के लिए कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

भाग 3
सती कर्म से संबंधित अपराधों के निवारण के लिए कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां

6. कुछ कार्यों का प्रतिषेध करने की शक्ति – (1) जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की यह राय है कि सती कर्म किया जा रहा है या उसके किए जाने का दुष्प्रेरण किया जा रहा है या सती कर्म किया जाने वाला है वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी व्यक्ति द्वारा सती कर्म से संबंधित किसी कार्य के किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा ।

(2) कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, आदेश द्वारा, उस आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति द्वारा सती कर्म के किसी रीति से गौरवान्वयन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(3) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, वह, यदि ऐसा उल्लंघन इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन दंडनीय नहीं है तो कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

7. कुछ मंदिरों या अन्य संरचनाओं को हटाने की शक्ति – (1)

यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी मंदिर या अन्य संरचना में, जो बीस वर्ष से अन्यून समय से विद्यमान है, किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, सम्मान को कायम रखने या उसकी स्मृति को बनाए रखने की दृष्टि से किसी रूप में उपासना या कोई अनुष्ठान किया जाता है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे मंदिर या संरचना को हटाने का निदेश दे सकेगी ।

(2) यदि कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी मंदिर या अन्य संरचना में, ऐसे व्यक्ति के, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, सम्मान को कायम रखने या उसकी स्मृति को बनाए रखने की दृष्टि से किसी रूप में उपासना या कोई अन्य अनुष्ठान किया जाता है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे मंदिर या संरचना को हटाने का निदेश दे सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, वहां, यथास्थिति, राज्य सरकार या कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, मंदिर या अन्य संरचना को किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, माध्यम से, व्यतिक्रमी के खर्चे पर, हटवाएगा ।

8. कुछ संपत्तियां अभिग्रहण करने की शक्ति – (1) जहां कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि सती कर्म के गौरवान्वयन के प्रयोजन के लिए कोई निधि या संपत्ति संगृहीत या अर्जित की गई है या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का संदेह उत्पन्न करती है, वहां वह ऐसी निधि या संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे अपराध का, जिसके संबंध में ऐसी निधि या संपत्ति संगृहीत या अर्जित की गई थी, विचारण करने के लिए गठित विशेष न्यायालय को, यदि कोई है, ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट देगा और उसके व्ययन के बारे में ऐसे विशेष न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करेगा ।

भाग 4
विशेष न्यायालय

9. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण – (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, इस धारा के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होंगे ।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक विशेष न्यायालय गठित करेगी और प्रत्येक विशेष न्यायालय संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग की बाबत, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिकारिता का प्रयोग करेगा ।

(3) विशेष न्यायालय में ऐसा न्यायाधीश पीठासीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, नियुक्त किया जाएगा ।

(4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति में ठीक पूर्व, किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं हो ।

10. विशेष लोक अभियोजक – (1) प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने का तभी पात्र होगा जब उसने सात वर्ष से अन्यून अवधि तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया है, या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून अवधि तक ऐसा कोई पद धारण किया है जिसमें विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा है ।

(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को संहिता की धारा 2 के खंड (प) के अर्थ में लोक अभियोजक समझा जाएगा और तद्नुसार संहिता के उपबंध प्रभावी होंगे ।

11. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां – (1) विशेष न्यायालय ऐसे तथ्यों के परिवाद के प्राप्त होने पर जिनसे ऐसा अपराध गठित होता है या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, अभियुक्त को विचारण के लिए अपने को सुपुर्द किए जाने के बिना, किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा ।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए, सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराधों का विचारण यावत्शक्य, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार वैसे ही करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो ।

12. विशेष न्यायालयों की अन्य अपराधों की बाबत शक्ति – (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त पर उसी विचारण में संहिता के अधीन आरोप लगाया जाए यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित है ।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किसी विचारण के दौरान यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है, तो विशेष न्यायालय, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए भी सिद्धदोष ठहरा सकेगा और उसके दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक जांच या विचारण में, कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता के साथ की जाएगी और विशिष्टतया वहां जहां साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ हो गई है, वह दिन प्रतिदिन तब तक चलती रहेगी जब तक हाजिर सभी साक्षियों की परीक्षा नहीं हो जाती है, और यदि कोई विशेष न्यायालय उसका पश्चात्वर्ती तारीख से आगे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक समझता है तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारण लेखबद्ध करेगा ।

13. निधि या संपत्ति का समपहरण – जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

वहां ऐसे अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, यह घोषणा कर सकेगा कि धारा 8 के अधीन अभिगृहीत कोई निधि या संपत्ति राज्य को समपहृत हो जाएगी ।

14. अपील – (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, तथ्य और विधि, दोनों पर उच्च न्यायालय को साधिकार अपील होगी ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से, जिससे अपील की गई है, तीस दिन के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था तो, तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा ।

भाग 5
प्रकीर्ण

15. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण – इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

16. सबूत का भार – जहां किसी व्यक्ति को धारा 4 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है वहां यह साबित करने का भार कि उसने उक्त धारा के अधीन अपराध नहीं किया है, उस पर होगा ।

17. कुछ व्यक्तियों की इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के बारे में रिपोर्ट करने की बाध्यता – (1) सरकार के सभी

अधिकारियों से, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने के लिए अपेक्षा की जाती है और उन्हें सशक्त किया जाता है ।

(2) सभी ग्राम अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट किसी क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट करे और ऐसे क्षेत्र के निवासी, यदि उन्हें यह विश्वास करने का कारण है, या यह ज्ञान है कि उस क्षेत्र में सती कर्म किया जाने वाला है या सती कर्म किया गया है तो, ऐसे तथ्य की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने में तुरंत करेंगे ।

(3) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

18. धारा 4 के अधीन किसी अपराध के सिद्धदोष व्यक्ति का कुछ संपत्ति विरासत में पाने से निरर्हित होना – सती कर्म करने के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को सिद्धदोष व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, संपत्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति की संपत्ति, जिसका वह ऐसे व्यक्ति की, जिसके संबंध में सती कर्म किया गया है, मृत्यु पर विरासत में पाने का हकदार होता, विरासत में पाने से निरर्हित हो जाएगा ।

*__19. 1951 के अधिनियम 43 का संशोधन__ – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में, –

(क) धारा 8 की उपधारा (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए किसी विशेष न्यायालय द्वारा

---

*2001 के अधिनियम सं. 30 की धारा 2 और पहली अनुसूची द्वारा धारा 19 निरसित ।

सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और अपने छोड़े जाने से पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निरर्हित बना रहेगा ।";

(ख) धारा 123 में, खंड (3क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(3ख) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सती कर्म" और सती कर्म के संबंध में "गौरवान्वयन" के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में हैं ।'।

20. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

21. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं

तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

22. विद्यमान विधियों का निरसन – (1) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व उस राज्य में प्रवृत्त सभी विधियां, जो सती कर्म के निवारण या गौरवान्वयन का उपबंध करती हैं, ऐसे प्रारंभ पर, निरसित हो जाएंगी ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन निरसित किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और, विशिष्टतया इस प्रकार निरसित किसी विधि के उपबंधों के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान किए गए और उस राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व उसके समक्ष लंबित किसी मामले पर कार्रवाई ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस विशेष न्यायालय द्वारा वैसे ही जारी रहेगी, मानो वह विशेष न्यायालय इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित किया गया हो ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145
2.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
3.	भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संविधान संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
4.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2024	कीमत रु. 2,500
2. भारत का संविधान (पाकेट एडीशन)	2024	कीमत रु. 325

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in